



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2011-12

विषय—सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	6
विनियोग लेखे का सार	7—19
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	20—21
विनियोग लेखे	
अनुदान संख्या अनुदान या विनियोग का नाम	
भारित विनियोग ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	22—24
भारित विनियोग लोक ऋण	25—26
01 सामान्य प्रशासन	27—31
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	32—33
03 पुलिस	34—37
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	38—39
05 जेल	40
06 वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	41—43
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	44—46
08 भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	47—49
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	50—51
10 वन	52—56
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	57—59
12 ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	60—61
13 कृषि	62—66
14 पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	67—69
15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	70—71
16 मछली पालन	72—73
17 सहकारिता	74—76
18 श्रम	77—79

19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	80–86
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	87–91
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	92–94
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	95–96
23	जल संसाधन विभाग	97–105
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	106–110
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	111–112
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	113–115
27	स्कूल शिक्षा	116–117
28	राज्य विधान मंडल	123
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	124–127
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	128–131
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	132–133
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	134–135
33	आदिम जाति कल्याण	136–138
34	समाज कल्याण	139–141
35	पुनर्वास	142
36	परिवहन	143–144
37	पर्यटन	145
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	146–148
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	149–150
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	151–177
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	178–179
43	खेल और युवा कल्याण	180–181
44	उच्च शिक्षा	182–183

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	184–187
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	188
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	189–193
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	194–200
49	अनुसूचित जाति कल्याण	201
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	202
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	203
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	204–205
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	206
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	207–210
56	ग्रामोद्योग	211–213
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	214–215
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	216–222
59	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	223
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	224
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	225–242
65	विमानन विभाग	243
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	244–245
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	246–253
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	254–257
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	258–259
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	260
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	261–262
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	263–264

79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	265–268
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	269–274
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	275–280
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	281–284
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	285–286

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	288–289
परिशिष्ट-II	मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण	290

प्रस्तावना

वर्ष 2011-12 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
. ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा राजस्व— प्रभारित	14,03,34,34	12,93,19,79	1,10,14,55	..
.. लोक ऋण पूँजीगत— प्रभारित	10,42,70,01	8,52,48,84	1,90,21,17	..
01. सामान्य प्रशासन राजस्व— दत्तमत प्रभारित	99,19,25 12,49,02	83,72,01 8,92,73	15,47,24 3,56,29
पूँजीगत— दत्तमत	15,00	..	15,00	..
02. सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत	12,02,00	9,11,66	2,90,34	..
03. पुलिस राजस्व— दत्तमत प्रभारित	15,52,86,24 26,00	15,12,81,38 3,01	40,04,86 22,99
पूँजीगत— दत्तमत	6,75,00	75,00	6,00,00	..
04. गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत	28,53,15	11,00,23	17,52,92	..
05. जेल राजस्व— दत्तमत प्रभारित	66,81,40 10	57,66,67 ..	9,14,73 10
06. वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत प्रभारित	21,06,60,40 17,49	19,17,07,49 13,80	1,89,52,91 3,69
पूँजीगत— दत्तमत	14,22,11	18,13,87	..	3,91,76 (₹ 3,91,76,102)

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
07. वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	1,96,51,91	1,88,25,97	8,25,94	..
प्रभारित	45,05,55	45,00,05	5,50	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	48,50	48,49	1	..
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,06,29,89	2,57,63,49	1,48,66,40	..
प्रभारित	5,45	50	4,95	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,00,00	..	1,00,00	..
09. राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	10,88,51	5,22,15	5,66,36	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	5,00	..	5,00	..
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	6,30,98,93	5,91,92,43	39,06,50	..
प्रभारित	18,45,25	18,29,19	16,06	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	17,75,00	7,26,36	10,48,64	..
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	95,42,56	74,10,14	21,32,42	..
प्रभारित	35	..	35	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	34,67,00	22,63,83	12,03,17	..
प्रभारित	15,00	..	15,00	..
12. उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,34,38,89	2,31,98,66	2,40,23	..
प्रभारित	1,01,00,00	1,00,00,00	1,00,00	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	9,00,00,00	9,00,00,00

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
13. कृषि				
राजस्व—				
दत्तमत	5,84,12,95	4,09,85,46	1,74,27,49	..
प्रभारित	7,81	7,70	11	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,00,10,00	1,00,09,65	35	..
14. पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	2,54,48,87	1,87,54,73	66,94,14	..
प्रभारित	20	..	20	..
15. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	1,16,99,45	95,17,52	21,81,93	..
16. मछली पालन				
राजस्व—				
दत्तमत	26,40,71	24,72,21	1,68,50	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	25,10	25,00	10	..
17. सहकारिता				
राजस्व—				
दत्तमत	98,67,26	81,31,63	17,35,63	..
प्रभारित	15	..	15	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	47,96,27	46,16,06	1,80,21	..
18. श्रम				
राजस्व—				
दत्तमत	37,83,25	27,66,69	10,16,56	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	3,43,00	54,00	2,89,00	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	5,87,14,50	5,13,54,58	73,59,92	..
प्रभारित	15,50	6,23	9,27	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	21,09,00	12,88,34	8,20,66	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व—				
दत्तमत	3,14,44,35	3,01,28,80	13,15,55	..
प्रभारित	10,00	..	10,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	38,30,10	3,18,44	35,11,66	..
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	33,07,45	18,20,81	14,86,64	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	3,48,05,00	3,93,30,97	..	45,25,97
				(₹ 45,25,96,900)
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय राजस्व—				
दत्तमत	3,08,31	2,68,88	39,43	..
प्रभारित	10	..	10	..
23. जल संसाधन विभाग राजस्व—				
दत्तमत	2,87,13,70	2,84,77,22	2,36,48	..
प्रभारित	1,10	..	1,10	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	4,41,34,75	3,10,94,20	1,30,40,55	..
प्रभारित	25,00	1,98	23,02	..
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल राजस्व—				
दत्तमत	3,86,29,83	2,55,91,04	1,30,38,79	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	6,48,28,02	4,01,91,56	2,46,36,46	..
प्रभारित	1,27,05	1,25,74	1,31	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
25. खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	1,32,94,88	1,26,23,09	6,71,79	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	55,00,00	55,00,00
26. संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	16,88,00	14,26,13	2,61,87	..
27. स्कूल शिक्षा राजस्व—				
दत्तमत	24,77,68,35	21,74,07,19	3,03,61,16	..
प्रभारित	3,20	..	3,20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	62,53,10	57,51,02	5,02,08	..
28. राज्य विधान मण्डल राजस्व—				
दत्तमत	26,19,50	19,04,21	7,15,29	..
प्रभारित	60,80	3,91	56,89	..
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन राजस्व—				
दत्तमत	1,49,13,90	1,16,61,45	32,52,45	..
प्रभारित	29,15,30	19,52,22	9,63,08	..
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	4,73,64,63	4,47,38,36	26,26,27	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	54,38,50	44,88	53,93,62	..
31. योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	16,40,10	13,48,27	2,91,83	..
प्रभारित	40	..	40	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
32. जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	58,10,20	57,17,21	92,99	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,00	96	4	..
33. आदिम जाति कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	9,86,57,10	8,59,35,35	1,27,21,75	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
34. समाज कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	38,93,36	31,78,38	7,14,98	..
प्रभारित	40	..	40	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	10,00	5,00	5,00	..
35. पुनर्वास राजस्व—				
दत्तमत	2,08,97	1,12,21	96,76	..
36. परिवहन राजस्व—				
दत्तमत	32,19,23	22,22,72	9,96,51	..
प्रभारित	22,96	..	22,96	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	10,00,00	10,00,00
37. पर्यटन राजस्व—				
दत्तमत	32,35,00	32,35,00
पूँजीगत—				
दत्तमत	25,60,50	11,10,79	14,49,71	..
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	8,75,32,15	8,65,42,61	9,89,54	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	4,14,87,50	4,06,76,65	8,10,85	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
40. आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	4,63,28	4,55,09	8,19	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	38,88,00	38,71,36	16,64	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व—				
दत्तमत	31,59,70,89	25,17,94,39	6,41,76,50	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	14,69,81,03	8,77,11,44	5,92,69,59	..
प्रभारित	2,34,65	2,24,34	10,31	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल				
पूंजीगत—				
दत्तमत	3,97,82,50	1,65,11,98	2,32,70,52	..
प्रभारित	10,00	..	10,00	..
43. खेल और युवा कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	31,99,33	15,65,49	16,33,84	..
प्रभारित	10	..	10	..
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	3,96,45,10	2,57,19,83	1,39,25,27	..
प्रभारित	70	..	70	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	43,99,25	45,47,71	..	1,48,46
				(₹ 1,48,45,568)
पूंजीगत—				
दत्तमत	4,88,30,02	3,13,78,81	1,74,51,21	..
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी				
राजस्व—				
दत्तमत	11,10,00	4,54,50	6,55,50	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
47. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग राजस्व— दत्तमत 1,38,94,21 प्रभारित 20 पूँजीगत— दत्तमत 27,99,00		92,57,55 .. 9,20,14	46,36,66 20 18,78,86
48. तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान राजस्व— दत्तमत 3,52,69,37 पूँजीगत— दत्तमत 3,28,46,00		2,64,99,31 1,29,86,76	87,70,06 1,98,59,24
49. अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व— दत्तमत 41,77,30		38,77,20	3,00,10	..
50. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत 1,69,30		1,77,61	..	8,31 (₹ 8,31,216)
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व— दत्तमत 5,97,30		5,47,44	49,86	..
53. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत 12,35,00 पूँजीगत— दत्तमत 5,00,00		7,69,41 ..	4,65,59 5,00,00
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत 60,50,00		56,50,00	4,00,00	..
55. महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत 6,81,24,36 प्रभारित 10 पूँजीगत— दत्तमत 9,45,00		5,39,64,17 .. 11,28,00	1,41,60,19 10 1,83,00 (₹ 1,83,00,000)

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
56. ग्रामोद्योग राजस्व—				
दत्तमत	65,85,10	58,01,35	7,83,75	..
प्रभारित	3,57	3,57
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,85,00	37,44	1,47,56	..
57. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत—				
दत्तमत	72,66,00	24,72,69	47,93,31	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व—				
दत्तमत	4,62,13,82	2,82,88,94	1,79,24,88	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	20,00	..	20,00	..
59. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व—				
दत्तमत	1,00,00	66,42	33,58	..
60. जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	86,00	41,59	44,41	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	56,50,00	55,31,82	1,18,18	..
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना राजस्व—				
दत्तमत	11,62,26,32	7,64,59,76	3,97,66,56	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	8,04,63,17	5,59,73,05	2,44,90,12	..
65. विमानन विभाग राजस्व—				
दत्तमत	53,70,25	52,30,62	1,39,63	..
प्रभारित	10	..	10	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	84,62,60	78,63,65	5,98,95	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,59,80	1,57,32	2,48	..
67. लोक निर्माण कार्य—भवन राजस्व—				
दत्तमत	3,17,74,96	2,60,02,91	57,72,05	..
प्रभारित	30,00	19,58	10,42	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	3,64,54,54	1,00,80,22	2,63,74,32	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन पूँजीगत—				
दत्तमत	1,26,48,63	69,38,76	57,09,87	..
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	3,83,61,80	1,38,63,30	2,44,98,50	..
71. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी राजस्व—				
दत्तमत	38,05,49	26,11,49	11,94,00	..
75. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत—				
दत्तमत	1,49,01,00	1,04,64,94	44,36,06	..
76. लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत—				
दत्तमत	1,82,00,00	57,43,56	1,24,56,44	..
79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	2,45,84,66	1,84,95,99	60,88,67	..
प्रभारित	4,20	..	4,20	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	60,99,00	42,43,43	18,55,57	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
80. त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	20,16,13,20	17,90,18,51	2,25,94,69	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	22,00	15,68	6,32	..
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	10,22,24,57	9,80,48,51	41,76,06	..
प्रभारित	36,16,00	36,16,00
पूँजीगत—				
दत्तमत	78,00,00	60,00,00	18,00,00	..
82. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	11,28,22,95	10,42,87,87	85,35,08	..
83. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	24,61,00	22,17,67	2,43,33	..
योग.				
राजस्व—				
दत्तमत	2,54,38,66,54	2,14,59,52,31	39,80,71,00	₹ 1,56,77 (₹ 1,56,76,784)
प्रभारित	16,47,80,44	15,21,68,28	1,26,12,16	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	79,10,80,14	53,81,12,48	25,80,68,39	₹ 51,00,73 (₹ 51,00,73,002)
प्रभारित	10,46,81,71	8,56,00,90	1,90,80,81	..
महायोग:				
राजस्व	2,70,86,46,98	2,29,81,20,59	41,06,83,16	₹ 1,56,77 (₹ 1,56,76,784)
पूँजीगत	89,57,61,85	62,37,13,38	27,71,49,20	₹ 51,00,73 (₹51,00,73,002)

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में अनुदान एवं विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग	
दत्तमत— अनुदान		
06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	..	पूँजीगत
21—जल संसाधन विभाग	..	पूँजीगत
45—खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	..
50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		राजस्व
55—अनुसूचित जाति कल्याण	..	पूँजीगत

चूँकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है। उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2011—12 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,14,59,52,31	15,21,68,28	53,81,12,48	8,56,00,90
घटाइये—वसूलियों का जोड़	3,53,16,04	..	55,47,25	
वित्त लेखे के 10—दत्तमत एवं भारित व्यय के विवरण में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	2,11,06,36,27	15,21,68,28	53,25,65,23	8,56,00,90

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से दस प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान के अर्न्तगत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

पूजीगत :- अनुदान संख्या- 06, 21, एवं 55

प्रावधान से दस प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अर्न्तगत हुई :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 67, 69, 71, 79 एवं 81

(ii) पूजीगत :- अनुदान संख्या- 01, 03, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 30, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 67, 68, 75, 79 एवं 80

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या- 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 55, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूजीगत :- अनुदान संख्या- लोक ऋण, 11, 23, एवं 42

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गई है ।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे अयथार्थ कथन से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं ।

हस्ता —

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 18 सितम्बर 2012

स्थान : नई दिल्ली

**ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व	14,03,34,34	12,93,19,79	-1,10,14,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,10,14,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 1,10,14.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 1,10,14.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	-50,00.00
₹ 55,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-			
मूल	5,20,00.00		
पुनर्वि.	-9,29.70	5,10,70.30	..
₹ 9,29.70 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	20,18.26		
पुनर्वि.	-20,18.26
(4) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कॅश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-			
मूल	10,80.00		
पुनर्वि.	-10,80.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 20,18.26 लाख एवं ₹ 10,80.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(5) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	39,00.00		
पुनर्वि.	-6,38.99	32,61.01	32,61.01
(6) 2049-01-200-4486-सामान्य बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	4,70.80		
पुनर्वि.	-4,40.17	30.63	30.63
(7) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध-			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	-79.99	0.01	0.01
(8) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज-			
मूल	2,00,00.00		
पुनर्वि.	-6,80.68	1,93,19.32	1,93,19.32
(9) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	1,01,14.00		
पुनर्वि.	-7,91.26	93,22.74	93,22.74
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 6,38.99 लाख, ₹ 4,40.17 लाख, ₹ 79.99 लाख, ₹ 6,80.68 एवं ₹ 7,91.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) 2005-06 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2049-60-101-6802-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)-			
मूल	38,61.28		
पुनर्वि.	-2,48.33	36,12.95	36,12.95
(12) 2049-60-701-990-क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड्स पर ब्याज-			
मूल	22,50.00		
पुनर्वि.	-93.58	21,56.42	21,56.42

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,48.33 लाख, एवं ₹ 93.58 लाख, की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत विनियोग से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2049-01-200-3752-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज— मूल 43.30 पुनर्वि. 8,51.00	8,94.30	8,94.30	..
(2) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचलन सम्बंधी व्यय— मूल 10.00 पुनर्वि. 45.14	55.14	55.14	..
(3) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज— मूल 2,57.60 पुनर्वि. 1,16.86	3,74.46	3,74.46	..
(4) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज— मूल 97.17 पुनर्वि. 54.90	1,52.07	1,52.07	..
(5) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)— मूल 11,41.16 पुनर्वि. 52.60	11,93.76	11,93.76	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,51.00 लाख, ₹ 45.14 लाख ₹ 1,16.86 लाख, ₹ 54.90 लाख एवं ₹ 52.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष -			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	10,42,70.01	8,52,48,84	-1,90,21,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,90,21,21

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) ₹ 1,90,21.17 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 1,90,21.21 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 6003-101-6963-पुराने बाजार ऋणों के अदायगी हेतु-			
मूल	30.00		
पुनर्वि.	-30.00
..			
₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।			
(2) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार-			
मूल	14,37.97		
पुनर्वि.	-14,37.97
₹ 14,37.97 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।			
(3) 6003-104-3093-भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज-			
मूल	4,70.78		
पुनर्वि.	-4,50.01	20.77	20.77
₹ 4,50.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम-			
मूल	90,00.00		
पुनर्वि.	-90,00.00

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम—			
मूल	90,00.00		
पुनर्वि.	-90,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत प्रत्येक में ₹ 90,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(6) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां—			
मूल	1,99,91.90		
पुनर्वि.	-95.20	1,98,96.70	1,98,96.70

₹ 95.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(7) 6004—02—101—3052—ब्लॉक कर्ज—			
मूल	48,25.58		
पुनर्वि.	-3,42.49	44,83.09	44,83.09

₹ 3,42.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	----------------	---------------------------------	-----------------

(1) 6003—105—3731—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्ज—			
मूल	1,33,68.91		
पुनर्वि.	12,60.05	1,46,28.96	1,46,28.96

₹ 12,60.05 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 6004—01—800—9484—सेन्ट्रल पूल बटालियन—			
मूल	1,26.10		
पुनर्वि.	80.60	2,06.70	2,06.70

₹ 80.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
	(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—		
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
2013—मंत्री परिषद		
2015—निर्वाचन		
2051—लोक सेवा आयोग		
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं		
2055—पुलिस		
2059—लोक निर्माण कार्य		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं		
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं		
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
राजस्व :		
दत्तमत—		
मूल	87,62,00	
पूरक	11,57,25	99,19,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)		83,72,01
		—15,47,24
		15,92,52
प्रभारित—		
मूल	12,27,62	
पूरक	21,40	12,49,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)		8,92,73
		—3,56,29
		3,51,47
पूंजीगत :		
दत्तमत	15,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)		..
		—15,00
		15,00
टीका एवं टिप्पणियां		
राजस्व :		
दत्तमत—		
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितंबर 2011 (₹ 3,35.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 8,22.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,57.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।		
(ii) ₹ 15,47.24 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 15,92.52 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।		

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2015-101-6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	5,51.36		
पुनर्वि	-2,34.52	3,16.84	+19.98
₹ 2,34.52 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 38.66 लाख) एवं अधिकांश पदों पर निर्विरोध चुनाव होने (₹ 1,48.30 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 47.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2052-090-4327—सचिवालय—			
मूल	26,20.00		
पूरक	5,80.00		
पुनर्वि	-5,20.67	26,79.33	+11.75
₹ 5,20.67 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2052-090-5053—राज्य स्थापना दिवस समारोह हेतु—			
मूल	2,00.00		
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि	-0.01	4,49.99	-65.51
₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055-101-4544—सी.आई.डी.—(इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	2,72.00		
पूरक	20.00		
पुनर्वि	-80.36	2,11.64	-1.34
₹ 80.36 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक उपायों को अपनाने (₹ 0.42 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 79.94 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-101-5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	3,35.30		
पूरक	1.00		
पुनर्वि	-90.84	2,45.46	+5.20
₹ 90.84 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 34.42 लाख) एवं आर्थिक उपायों के अपनाने (₹ 56.42 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2059-80-001-3541—मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय—			
मूल	96.25		
पूरक	1.00		
पुनर्वि	-30.71	66.54	-0.15
₹ 30.71 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं आर्थिक उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(7) 2070-003-5435-प्रशासन अकादमी—			
मूल	1,46.25		
पुनर्वि.	-71.77	74.48	1,10.46
			+35.98
₹ 71.77 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं कार्यालय के नये कैम्पस में स्थानांतरित न किये जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2070-003-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी			
कार्यक्रम के अन्तर्गत			
प्राप्त अनुदान—			
मूल	52.00		
पुनर्वि.	-39.03	12.97	12.97
			..
₹ 39.03 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2070-104-5405-लोक आयोग—			
मूल	1,82.35		
पुनर्वि.	-58.81	1,23.54	1,31.14
			+7.60
₹ 58.81 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ लोक आयोग में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2070-104-5460-विशेष अन्वेषण स्थापना			
(एस.आई.ई.)—			
मूल	1,41.98		
पुनर्वि.	-1,06.40	35.58	32.15
			-3.43
₹ 1,06.40 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ लोक आयोग में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 2251-090-4329-सचिवालय—			
मूल	8,47.70		
पुनर्वि.	-1,14.58	7,33.12	7,40.07
			+6.95
₹ 1,14.58 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,05.01 लाख) एवं आर्थिक उपायों के अपनाने (₹ 8.33 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.24 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(12) 3451-090-4327-सचिवालय—			
मूल	7,75.50		
पुनर्वि.	-1,19.05	6,56.45	6,56.66
			+0.21
₹ 1,19.05 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-			
2013-108-3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	40.00		
पूरक	23.00		
पुनर्वि.	-3.74	59.26	93.37
			+34.11

₹ 3.74 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5.44 लाख की कमी एवं ₹ 1.40 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी मांग के अनुरूप व्यय किये जाने के कारण तथा वृद्धि यात्रा व्यय में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित—

$\frac{1}{4}v\frac{1}{2}$ कुल व्यय मूल विनियोग से कम रहा, सितंबर 2011 (₹ 11.44 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 8.34 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21.40 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

$\frac{1}{4}vi\frac{1}{2}$ ₹ 3.56.29 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध में 31 मार्च 2012 केवल ₹ 3,51.47 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2012-03-090-4330—सचिवालय—			
मूल	2,46.85		
पूरक	3.43		
पुनर्वि.	-35.52	2,14.76	2,15.06
			+0.30

₹ 35.52 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2012-03-103-9059—घरेलू कर्मचारी—

मूल	2,58.61		
पुनर्वि.	-10.36	2,48.25	2,46.87
			-1.38

₹ 10.36 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2012-03-800-3609—अन्य व्यय—

मूल	14.93		
पूरक	1.62		
पुनर्वि.	-12.51	4.04	3.65
			-0.39

₹ 12.51 लाख की प्रत्याशित बचत लोक निर्माण विभाग से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग—			
मूल	6,43.55		
पूरक	6.03		
पुनर्वि.	-2,82.14	3,67.44	3,64.04
			-3.40

₹ 2,82.14 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,76.86 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,05.28 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के सदृश इस वर्ष भी ₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व:			
मूल	11,29,29		
पूरक	72,71	12,02,00	9,11,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—2,90,34 3,37,32

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितम्बर 2011 (₹ 22.71 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 72.71 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,90.34 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 3,37.32 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2052-092-6705—राज्य सूचना आयोग—			
मूल	2,00.49		
पूरक	7.71		
पुनर्वि.	-53.48	1,54.72	1,53.79
			-0.93

₹ 53.48 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी (₹ 40.42 लाख) एवं विभिन्न पदों में रिक्तियां होने (₹ 0.33 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 12.73 लाख, की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070-800-4678—स्वागत तथा सामपत्तिक

पदाधिकारी का कार्यालय—

मूल
 1,32.70 | | |

पुनर्वि.
 -69.19 | 63.50 | 63.50 |

..

₹ 69.19 लाख की प्रत्याशित बचत छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू नहीं किए जाने तथा कलेक्टरों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 2235-60-107-4674-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान			
मूल	1,11.00		
पुनर्वि.	-88.39	22.61	1.01
			-21.60

₹ 88.39 लाख की प्रत्याशित बचत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन राशि केन्द्र सरकार द्वारा राशि बैंक को सीधे प्रेषित किए जाने के साथ ही केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों का भुगतान बैंक द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-1,05.39	2,44.61	2,60.07
			+15.46

₹ 1,05.39 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ मीसा बंदियों के द्वारा पेंशन प्राप्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता-			
मूल	1,50.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	-3.78	1,96.22	2,54.27
			-58.05

₹ 3.78 लाख की प्रत्याशित बचत सड़क दुर्घटनाओं में दावा संख्या में कमी के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

कुल अनुदान
या
विनियोगवास्तविक
व्ययआधिक्य+
बचत—

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2055—पुलिस

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 14,13,68,02

पूरक 1,39,18,22

15,52,86,24

15,12,81,38

-40,04,86

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

प्रभारित

26,00

3,01

-22,99

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल 5,75.00

पूरक 1,00.00

6,75,00

75,00

-6,00,00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 40,04.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई भी राशि का अभ्यर्पण न किया जाना त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय—			
मूल	34,01.51		
पूरक	44.45		
पुनर्वि.	-2,33.30	32,12.66	27,10.16
			-5,02.50
₹ 2,33.30 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,72.80 लाख की कमी एवं ₹ 39.50 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं—			
मूल	19,42.60		
पूरक	1,16.00	20,58.60	18,49.98
			-2,08.62
(3) 2055-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-सामान्य- 195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं—			
मूल	3,00.00		
पूरक	27.84	3,27.84	2,94.48
			-33.36

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2055-104-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना— मूल 8,22.27 पूरक 21,55.39	29,77.66	26,85.64	-2,92.02
(5) 2055-108-5067—विधि चिकित्सा विज्ञान	3,19.77	1,59.88	-1,59.89
(6) 2055-108-5570—मेडिको लीगल संस्थान की स्थापना—	71.16	32.64	-38.52
(7) 2055-109-121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती— मूल 4,35.00 पूरक 18,42.29	22,77.29	19,91.80	-2,85.49
(8) 2055-109-6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा सम्बंधी व्यय— मूल 68,15.00 पुरक 28,00.00	96,15.00	79,09.58	-17,05.42
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), (5) एवं (8), 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (7) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2055-111-2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द— मूल 16,19.57 पूरक 1.50 पुनर्वि. 1.10	16,22.17	14,46.37	-1,75.80
₹ 1.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(10) 2055-113-5612—पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना— मूल 76.87 पुनर्वि. -5.50	71.37	..	-71.37
₹ 5.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2055-113-5612—पुलिस हॉस्पिटल की स्थापना— मूल 76.94 पुनर्वि. -5.50	71.44	20.50	-50.94
₹ 5.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2055-113-7244—बीमा विकल्प अनुदान	10,00.00	7,30.30	-2,69.70
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(13) 2055—114—4155—बेतार केन्द्र रायपुर—			
मूल	21,89.90		
पुनर्वि.	2.20	21,92.10	20,20.71
			—1,71.39
₹ 2.20 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2055—115—2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण—			
मूल	58,00.00		
पूरक	8,75.00	66,75.00	49,81.80
			—16,93.20
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2055—800—7012—पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण—			
मूल	67.78		
पुनर्वि.	—8.60	59.28	..
			—59.28
₹ 8.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	11,59.65		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	24.70	11,84.35	11,12.53
			—71.82
₹ 24.70 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः वाहनों की मरम्मत (₹ 10.00 लाख), ए.सी. का क्रय किये जाने (₹ 0.70 लाख), वाहन का क्रय किये जाने (₹ 5.00 लाख), यात्रा देयकों का भुगतान किये जाने (₹ 2.00 लाख) एवं विद्युत देयक का भुगतान किये जाने (₹ 7.50 लाख) के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय—			
मूल	41,62.50		
पुनर्वि.	—24.70	41,37.80	37,76.27
			—3,61.53
₹ 24.70 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2070—107—5544—होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण	1,90.00	..	—1,90.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004—05 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			

अनुदान संख्या 03—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)-			
मूल	4,29,64.50		
पूरक	1,78.00		
पुनर्वि.	0.80	4,31,43.30	4,36,38.37
			+4,95.07

₹ 0.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,26.80 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,26.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंति आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)-			
मूल	6,70,76.30		
पूरक	36,30.14		
पुनर्वि.	2,48.80	7,09,55.24	7,27,90.14
			+18,34.90

₹ 2,48.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) ₹ 22.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 2055-109-4491-सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)	20.00	3.01	-16.99
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	6.00	..	-6.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) ₹ 6,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस	5,00.00	..	-5,00.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 4055-211-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस	1,00.00	..	-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	26,56,99			
पूरक	1,96,16	28,53,15	11,00,23	-17,52,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,96.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 17,52.92 लाख की उपलब्ध बचत का समर्पण नहीं किया जाना विनियोग के विरुद्ध व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2070—106—0801—7465—सिविल रक्षा का रेवापिंग—			
मूल	1,05.00		
पूरक	94.00	1,99.00	64.03
			-1,34.97
(2) 2235—60—200—2653—पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान	5,00.00	4,86.88	-13.12
(3) 2235—60—200—6704—जन जागरण अभियान	15,00.00	1,30.00	-13,70.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006—07 से 2010—11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत तथा 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति—			
पूरक	1,00.00	1,00.00	..
			-1,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड—			
मूल	2,47.80		
पूरक	2.16	1,91.06	-58.90
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3454-01-800-7586-वर्ष 2011 का			
जनगणना कार्य	1,23.50	88.42	-35.07
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	60,60,14		
पूरक	6,21,26	66,81,40	57,66,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—9,14,73
प्रभारित	10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—10
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2011 (₹ 6,15.26 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 6.00लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,21.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ है।

(ii) ₹ 9,14.73 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	57,84.69		
पूरक	5,10.26	62,94.95	53,91.38
			—9,03.57

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006—07 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010—11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	20,77,51,95		
पूरक	29,08,45	21,06,60,40	19,17,07,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2012)			—1,89,52,91 4,00,00,00
<i>प्रभारित</i>		17,49	13,80
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2012)</i>			—3,69 ..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	12,11		
पूरक	14,10,00	14,22,11	18,13,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2012)			+3,91,76 ..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 28,53.80 लाख) तथा दिसम्बर 2011 (₹ 54.65 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,90,08.45 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ यह त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है ।

(ii) ₹ 1,89,52.91 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 4,00,00.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2054—095—2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	8,22.70		
पूरक	सांकेतिक	8,22.70	4,86.87
			—3,35.83

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2054—095—4307—संभागीय स्थापना— मूल 3,75.00 पूरक सांकेतिक 3,75.00	3,75.00	3,05.31	—69.69
(3) 2054—097—1026—कोषालय स्थापना— मूल 19,00.55 पूरक 54.65	19,55.20	15,73.37	—3,81.83
(4) 2054—098—4361—स्थानीय निधि लेखा	13,26.13	8,94.88	—4,31.25
(5) 2054—098—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 78.13 पूरक 69.74	1,47.87	1,12.81	—35.06

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत तथा 2010—11 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(6) 2070—800—224—अन्य व्यय मूल 4,00,00.00 पुनर्वि. —4,00,00.00
----------------------------------------------------------------------	----	----	----

₹ 4,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) । 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(7) 2071—01—117—6801—राज्य शासन का अंशदान— मूल 65,00.00 पूरक 27,00.00	92,00.00	87,49.36	—4,50.64
(8) 2435—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान	6,00.00	5,32.20	—67.80
(9) 2885—60—800—4843—अधोसंरचना विकास निगम	5,30.00	30.00	—5,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071—01—101—2413—सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय	10,01,08.59	11,00,02.64	+98,94.05
(2) 2071—01—102—3080—भारत में पेशनों के रूपांतरित मूल्य का भुगतान	2,24.00	11,95.69	+9,71.69

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2071-01-104-4590—सेवा एवं मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान	1,92,17.41	2,54,71.10	+62,53.69
(4) 2071-01-105-2514—परिवार पेंशन	2,62,95.08	2,96,80.63	+33,85.55
(5) 2071-01-111-4010—विधायकों को पेंशन	2,16.98	2,80.06	+63.08
(6) 2071-01-115-5438—अवकाश नगदीकरण	70,84.29	98,88.74	+28,04.45

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (2), (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत तथा 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 3.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित की नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 3,91,76,102 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
7810-122-5675—मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	1.10	4,03.33	+4,02.23

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 7610-201-9085—अन्य शासकीय सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम	5.50	0.54	-4.96

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 7610-204-5274—अन्य शासकीय सेवकों को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अग्रिम	5.50	..	-5.50
----------------------------------------------------------------------------	------	----	-------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,95,59,97		
पूरक	91,94	1,96,51,91	1,88,25,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—8,25,94 24,81,42
<i>प्रभारित</i>	<i>45,05,55</i>	<i>45,00,05</i>	<i>—5,50 5,50</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
दत्तमत	48,50	48,49	—1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1

राजस्व :
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2011 (₹ 29.92 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 62.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 91.94 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,25.94 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 24,81.42 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था, यह बजट प्रक्रिया में नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2030-02-101-2456—न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की लागत—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	—1,99.20	3,00.80	3,00.58
			0.22

₹ 1,99.20 लाख की प्रत्याशित बचत स्टाम्पों की आपूर्ति मांग के अनुसार न होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2039—001—122—अधीक्षण—			
मूल	14,07.14		
पुनर्वि.	-3,57.00	10,50.14	10,49.51
			-0.63

₹ 3,57.00 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2039—104—4173—स्पिरिट की खरीद—			
मूल	61,70.00		
पुनर्वि.	-79.86	60,90.14	60,18.71
			-71.43

₹ 79.86 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2040—001—7419—मिशन मोड परियोजना—			
मूल	11,36.00		
पुनर्वि.	-1,26.99	10,09.01	4,52.40
			-5,56.61

₹ 1,26.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की सम्पूर्ण राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2040—101—1509—जिला स्थापना—			
मूल	36,63.55		
पुनर्वि.	-10,71.68	25,91.87	26,14.08
			+22.21

₹ 10,71.68 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(1) 2030—01—102—4611—स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	18.00	1,21.03	+1,03.03
-----------------------------------------------------	-------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2030—02—102—2455—न्यायिकेतर स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	7,00.00	12,14.41	+5,14.41
----------------------------------------------------------------	---------	----------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2039—001—1470—जिला कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	28,32.43		
पूरक	19.28		
पुनर्वि.	-1,69.63	26,82.08	37,28.67
			+10,46.59

₹ 1,69.63 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,21.18 लाख की वृद्धि एवं ₹ 51.55 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई। निधि में वृद्धि जिलों से निधियों की मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। ₹ 10,46.59 लाख की वृहद आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,69.63 लाख की बचत अवास्तविक सिद्ध हुई, इनके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	6,77.90		
पूरक	54.60		
पुनर्वि.	-3,03.11	4,29.39	9,68.85
			+5,39.46

₹ 3,03.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,66.14 लाख की वृद्धि एवं ₹ 63.03 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन न होने (₹ 51.05 लाख) के कारण तथा वृद्धि जी.एस.टी. के अध्ययन हेतु विदेश यात्रा पर पर हुए व्यय (₹ 10.00 लाख) एवं मंहगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ते के भुगतान (₹ 52.05 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,15.09 लाख की कमी एवं ₹ 0.98 लाख की वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। ₹ 5,39.46 लाख की वृहद आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,03.11 लाख की बचत अवास्तविक सिद्ध हुई।

प्रभारित—

(iv) ₹ 4.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2011 को केवल ₹ 4.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
2216-आवास			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	3,93,30,12		
पूरक	12,99,77	4,06,29,89	2,57,63,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-1,48,66,40
			1,36,20,43

प्रभारित

	5,45	50	-4,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			4,95

पूंजीगत:

दत्तमत

	1,00,00	..	-1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 12,00.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 99.77 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 12,99.77 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,48,66.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,36,20.43 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं कुल विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखे जाने को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2029-001-456-आयुक्त, भू अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय-			
मूल	3,22.35		
पुनर्वि.	-30.54	2,91.81	2,64.91
			-26.90

₹ 30.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न दिए जाने एवं मशीनों की मरम्मत एवं रख रखाव में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2029—101—5017—पटेली मेहनताना— मूल 2,09.30 पुनर्वि. —5.00	2,04.30	1,55.70	—48.60
₹ 5.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2029—102—2193—नजूल स्थापना— मूल 4,83.82 पुनर्वि. —1,23.25	3,60.57	3,63.36	+2.79
₹ 1,23.25 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004—05 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029—102—2503—परिमाणन, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य— मूल 4,22.11 पुनर्वि. —46.50	3,75.61	3,66.87	—8.74
₹ 46.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(5) 2029—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4729—हवाई सर्वेक्षण की योजना	2,31.84	..	—2,31.84
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5917—भू अमिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार— मूल 3,56.70 पुनर्वि. —3,19.55	37.15	28.03	—9.12
₹ 3,19.55 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2029—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6337—भू अभिलेख का अद्यतिकरण— मूल 49,88.92 पुनर्वि. —47,28.50	2,60.42	1,52.36	—1,08.06
₹ 47,28.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2029—797—6753—पर्यावरण निधि का अन्तरण— मूल 36,00.00 पुनर्वि. —36,00.00

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(9) 2029-797-6754—अधोसंरचना विकास निधि में अन्तरण—

मूल	36,00.00
पुनर्वि.	-36,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी न किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड—

मूल	2,22.90			
पुनर्वि.	-68.38	1,54.52	1,55.11	+0.59

₹ 68.38 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2053-093-1510—जिला स्थापना—

मूल	1,29,05.48			
पूरक	12,96.32			
पुनर्वि.	-8,07.80	1,33,94.00	1,25,89.80	-8,04.20

₹ 8,07.80 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2053-101-452—संभागीय कार्यालय—

मूल	4,53.00			
पुनर्वि.	-14.60	4,38.40	3,80.12	-58.28

₹ 14.60 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, मितव्ययी उपायों को अपनाने तथा आयुक्तों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2216-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) —

7298—नक्सल प्रभावित परिवारों
के लिये आवास योजना—

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00	..	10.00	+10.00

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। ₹ 10.00 लाख का व्यय वास्तविक एवं बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 1,00.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

6401-800-862—कृषक ऋण विधान—

मूल	1,00.00
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	10,88,51	5,22,15	—5,66,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2012)			5,24,93
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>..</i>	<i>—10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2012)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	5,00	..	—5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2012)			5,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,66.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 5,24.93 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ लाख में)	
(1) 2058—101—618—उप नियंत्रक, लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	1,08.99		
पुनर्वि.	—9.26	99.73	87.15
			—12.58

₹ 9.26 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण
और वितरण—

मूल	6,28.73		
पुनर्वि.	—3,04.49	3,24.24	2,88.58
			—35.66

₹ 3,04.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, (₹ 41.35 लाख), कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने (₹ 0.94 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 22.14 लाख) एवं कागज क्य न किए जाने (₹ 2,38.56 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005—06 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस रायपुर—			
मूल	2,53.75		
पुनर्वि.	-1,64.86	88.89	97.13
			+8.24

₹ 1,64.86 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, (₹ 61.52 लाख), कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने (₹ 0.55 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 12.60 लाख), कागज (₹ 82.50 लाख) एवं मशीन क्रय न किए जाने (₹ 7.69 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005—06 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों में प्रद्रण कार्य—				
मूल	30.00			
पुनर्वि.	-18.66	11.34	7.11	-4.23

₹ 18.66 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4058—103—3427—मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद—			
मूल	5.00		
पुनर्वि.	-5.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता न होने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	6,02,95,04		
पूरक	28,03,89	6,30,98,93	5,91,92,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-39,06,50 27,05,20
प्रभारित-			
मूल	18,30,25		
पूरक	15,00	18,45,25	18,29,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-16,06 14,75
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	17,45,00		
पूरक	30,00	17,75,00	7,26,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-10,48,64 8,87,36
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011(₹ 2,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 26,03.89 लाख) में प्राप्त किया गया कुल अनुपूरक प्रावधान ₹ 28,03.89 लाख अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 39,06.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 27,05.20 लाख का अभ्यर्पण उपलब्ध विनियोग के व्यय पर निगरानी नहीं रखे जाने एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	11,25.10		
पुनर्वि	-51.11	10,73.99	10,02.71
			-71.28
₹ 51.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 91.11 लाख की कमी एवं ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई है। प्रावधान में कमी व्यय नहीं होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2406-01-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4462—वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन— मूल 1,90.35 पूरक 5.00	1,95.35	1,30.62	-64.73
(3) 2406-01-101-2786—प्रादेशिक संभाग— (क्षेत्रीय वृत्त)	8,53.80	7,08.64	-1,45.16

उपरोक्त क्रम संख्या (2) तथा (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मंडल राजकीय व्यापार, राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी खैर एवं बांस— मूल 61,99.01 पुनर्वि -3,35.85	58,63.16	53,11.84	-5,51.32
(5) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वन मण्डल— मूल 2,35,50.60 पूरक 6,66.25 पुनर्वि. -10,29.64	2,31,87.21	2,30,93.39	-93.82

उपरोक्त क्रम संख्या (4) तथा (5) के शीर्षान्तर्गत ₹ 3,35.85 लाख एवं ₹ 10,29.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	7,25.10	5,30.32	-1,94.78
(7) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन पर खर्च— मूल 3,03.65 पूरक 20.00	3,23.65	2,68.34	-55.31
(8) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी	8,43.70	7,91.44	-52.26

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) तथा (8) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2406-01-203-5641—वन प्रबंध समितियाँ— मूल 15,00.00 पुनर्वि. -5.62	14,94.38	13,33.58	-1,60.80
----------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

₹ 5.62 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(10) 2406-01-204-2901—बांस— मूल 13,85.00 पुनर्वि. -50.99	13,34.01	11,75.66	-1,58.35
----------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

₹ 50.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(11) 2406-01-800-252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	10,00.00	8,10.00	-1,90.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(12) 2406-02-070-4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क पुलों की दुरुस्ती	80.00	..	-80.00
(13) 2406-02-070-6218—भवनों की मरम्मत	1,00.00	..	-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) तथा (13) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(14) 2406-02-110-2899—राष्ट्रीय उद्यान— मूल	8,48.81			
पुनर्वि.	-2,15.00	6,33.81	6,00.52	-33.29

₹ 2,15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2406-02-110-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेंट— मूल	2,50.00			
पुनर्वि.	-1,60.00	90.00	97.99	+7.99

(16) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल	15,40.00			
पुनर्वि.	-6,34.67	9,05.33	7,73.17	-1,32.16

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,60.00 लाख एवं ₹ 6,34.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—	
(1) 2406-01-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1859—राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना— मूल	1,99.26			
पुनर्वि.	-83.61	1,15.65	2,69.29	+1,53.64

₹ 83.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2406-01-070-4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती— मूल	3,20.00			
पूरक	1,00.00	4,20.00	5,16.60	+96.60

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2406-01-070-6218-भवनों की मरम्मत	5,95.00	7,08.05	+1,13.05
उपरोक्त क्रम संख्या (2) तथा (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(4) 2406-01-203-535-ईमारती लकड़ी—			
मूल	50,75.00		
पूरक	15,75.00		
पुनर्वि.	-84.84	65,65.16	68,68.34
			+3,03.18
₹ 84.84 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(5) 2406-01-204-5641-वन प्रबंधन समितियों—			
मूल	1,25.50		
पुनर्वि.	-15.48	1,10.02	2,31.71
			+1,21.69
₹ 15.48 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2406-02-110-2900-अभ्यारण्य क्षेत्र	13,20.10	14,87.09	+1,66.99
(7) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)			
3943-वनजीवों का संरक्षण एवं विकास	6,00.00	7,01.33	+1,01.33
उपरोक्त क्रम संख्या (6) तथा (7) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 16.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 14.75 लाख का अभ्यर्ण उपलब्ध विनियोग के व्यय पर निगरानी नहीं रखे जाने एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2406-01-001-3555-मुख्यालय विकास निधि—			
मूल	30.00		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	-14.75	30.25	29.19
			-1.06

₹ 14.75 लाख की प्रत्याशित बचत अवार्ड राशि के भुगतान हेतु निधि की मांग/स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 10,48.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 8,87.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना-			
मूल	13,60.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	-7,92.36	5,97.64	+8.15
(2) 4406-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना			
मूल	2,45.00		
पुनर्वि.	-95.00	1,50.00	-1,47.80

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 7,92.36 लाख एवं ₹ 95.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम एवं रोजगार			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	71,16,61		
पूरक	24,25,95	95,42,56	74,10,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—21,32,42 21,20,02

प्रभारित

35

..

—35

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

35

(31 मार्च 2012)

पूंजीगत :

दत्तमत

मूल	32,67,00		
पूरक	2,00,00	34,67,00	22,63,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—12,03,17 12,02,27

प्रभारित

15,00

..

—15,00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

15,00

(31 मार्च 2012)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 21,32.42 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2011 (₹ 22,67.00 लाख) आधिक्यपूर्ण था जबकि मार्च 2012 (₹ 1,58.95 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,25.95 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 21,32.42 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 21,20.02 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग से व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2851—200—1464—जिला औद्योगिक केन्द्र—			
मूल	11,62.40		
पूरक	63.87		
पुनर्वि.	—1,97.44	10,28.83	10,55.33
			+26.50

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2852-80-001-3370—संचालनालय उद्योग			
मूल	3,41.85		
पूरक	81.00		
पुनर्वि.	-75.89	3,46.96	3,34.88
			-12.08

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,97.44 लाख एवं ₹ 75.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2852-80-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7394—नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	-5,01.02	9,98.98	9,98.98
			..

(5) 2852-80-800-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5382—अधोसंरचना हेतु अनुदान—			
मूल	3,00.00		
पूरक	10,00.00		
पुनर्वि.	-10,27.88	2,72.12	2,72.12
			..

(6) 2852-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9068—औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-1,78.94	21.06	21.06
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,01.02 लाख ₹ 10,27.88 लाख एवं ₹ 1,78.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.35 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 12,03.17 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, ₹ 12,02.27 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग पर हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

(vii) प्रवधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-67.09	9,32.91	9,32.91 ..

₹ 67.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

9219- भू-अर्जन तथा भूमि विकास
क्षतिपूर्ति का भुगतान-

मूल 10,00.00
पुनर्वि. -10,00.00

..

..

..

₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(viii) ₹ 15.00 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219- भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	15.00		
पुनर्वि.	-15.00

₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2801—बिजली			
2810—अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,00,23,19		
पूरक	34,15,70	2,34,38,89	2,31,98,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—2,40,23 83,65
प्रभारित	1,01,00,00	1,00,00,00	—1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत :

दत्तमत—				
पूरक	9,00,00,00	9,00,00,00	9,00,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
राजस्व :				
दत्तमत—				

(i) ₹ 2,40.23 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध केवल ₹ 83.65 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को इंगित करता है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार बिजली शुल्क—			
मूल	4,87.29		
पूरक	50.70		
पुनर्वि.	—78.55	4,59.44	4,62.86
			+3.42

₹ 78.55 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2801—06—101—0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)

6825—राजीव गांधी ग्रामीण पंपों का

विद्युतिकरण विकास प्राधिकरण—

मूल
 11,90.90 | | |

पुनर्वि.
 —11,90.90 | .. | .. |

₹ 11,90.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2801-80-800-5380—विद्युत नियामक आयोग को अनुदान	1,60.00	..	-1,60.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित
हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2801-80-101-0101—राज्य आयोजना—(सामान्य) 6501—एकल बत्ती कनेक्शन को अनुदान			
मूल	30,00.00		
पूरक	11,65.00		
पुनर्वि.	11,90.80	53,55.80	53,55.80

₹ 11,90.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 1,00.00 की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2045-200-5597—विद्युत नियामक आयोग के उपयोग एवं बिक्री पर 25% कर का हस्तान्तरण	1,00.00	..	-1,00.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से
2009-10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(vi) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष" 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष ₹ 52,18.93 लाख नामें था। वर्ष के दौरान ₹ 1,00,00.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2045-103-3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 1,36,05.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2012 को ₹ 16,13.93 लाख की शेष राशि निधि में नामें थी।

इस निधि के लेन-देन "8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2011-12 के 18—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,71,87,10		
पूरक	12,25,85	5,84,12,95	4,09,85,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-1,74,27,49
			-1,36,75,98
प्रभारित—			
मूल	1,85		
पूरक	5,96	7,81	7,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-11
			..
पूंजीगत :			
दत्तमत			
मूल	30,10,00		
पूरक	70,00,00	1,00,10,00	1,00,09,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-35
			..
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 1,74,27.49 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 12,16.85 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान आधिक्य पूर्ण था जबकि दिसम्बर 2011 (₹ 9.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,25.85 का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 1,74,27.49 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 1,36,75.98 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृत विनियोग पर प्रावधान से हुए व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2401-001-119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृंद— (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	1,61,67.29		
पुनर्वि.	-56,82.04	1,04,85.25	1,05,94.87
			+1,09.62
(2) 2401-001-124-अधीक्षण (जिला स्तर का अमला)—			
मूल	3,56.75		
पुनर्वि.	-42.57	3,14.18	3,11.23
			-2.95

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2401-001-4288—निर्देशन—(मुख्यालय स्तर का अमला)—			
मूल	5,34.55		
पुनर्वि.	-1,43.81	3,90.74	4,00.46
			+9.72
(4) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन तथा बीज फार्म—			
मूल	5,98.05		
पुनर्वि.	-1,88.06	4,09.99	4,06.00
			-3.99
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 56,82.04 लाख, ₹ 42.57 लाख, ₹ 1,43.81 लाख एवं ₹ 1,88.06 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401-103-0801— केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
6702—उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन—			
मूल	1,00.00		
पूरक	2,01.75		
पुनर्वि.	-36.84	2,64.91	2,45.14
			-19.77
₹ 36.84 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2401-105-7283—छ.ग. राज्य विपणन संघ को			
उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता—			
मूल	9,00.00		
पूरक	10,00.00	19,00.00	16,36.57
			-2,63.43
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2401-108-3911—वाणिज्यिक फसलों की योजना—			
मूल	78.81		
पुनर्वि.	-32.56	46.25	47.84
			+1.59
₹ 32.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(8) 2401-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	1,25,00.00		
पुनर्वि.	-21,07.18	1,03,92.82	96,71.51
			-7,21.31
₹ 21,07.18 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च 2012 में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई, अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
4838—मेक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान —			
मूल	18,88.00		
पुनर्वि.	-93.53	17,94.47	9,31.09
			-8,63.38
₹ 93.53 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2401-109-867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना— मूल 1,30.70 पुनर्वि. —47.14	83.56	75.73	-7.83
₹ 47.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5629—राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम	10,00.00	3,20.70	-6,79.30
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2401-109-0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)— 5278—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना— मूल 84.08 पुनर्वि. —19.13	64.95	56.33	-8.62
₹ 19.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2401-110-0101— राज्य आयोजना—(सामान्य)— 6946 खलिहान अग्नि दुर्घटना राहत योजना	50.00	0.45	-49.55
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2401-110-0101— राज्य आयोजना—(सामान्य)— 8702— राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— (कार्पस ऑफ फंड) प्रोत्साहन योजना— मूल 17,50.00 पुनर्वि. —4,49.44	13,00.56	1,37.60	-11,62.96
₹ 4,49.44 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(15) 2401-113-6929—सहायक यंत्री कार्यालय— मूल 3,32.41 पुनर्वि. —77.22	2,55.19	2,30.29	-24.90
(16) 2401-113-7017—कृषि यंत्री कार्यालय— मूल 4,78.80 पुनर्वि. —41.69	4,37.11	4,56.27	+19.16

उपरोक्त कम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 77.22 लाख एवं ₹ 41.69 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(17) 2401-113-0101- राज्य आयोजना—(सामान्य)— 7332-बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना— मूल 10,00.00 पुनर्वि. -2,45.21	7,54.79	7,54.91	+0.12
₹ 2,45.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2401-119-9188-उद्यान विकास योजना— मूल 24,21.47 पुनर्वि. -2,14.44	22,07.03	22,10.86	+3.83
₹ 2,14.44 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,89.44 लाख की कमी एवं ₹ 75.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2401-119-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 55,00.00 पुनर्वि. -28,84.38	26,15.62	25,82.60	-33.02
₹ 28,84.38 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति के आधार पर व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6831-राष्ट्रीय वागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश— मूल 16,50.00 पुनर्वि. -9,00.00	7,50.00	7,50.00	..
₹ 9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश से व्यय किए जाने पर प्रतिबंधित होने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजनाएं— मूल 25,66.60 पूरक -8,58.33	17,08.27	16,66.95	-41.32
(22) 2402-102-0101-राज्य आयोजना—(सामान्य)— 6833-भूजल संवर्धन मूल 1,25.00 पुनर्वि. -30.96	94.04	94.04	..
उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,58.33 लाख एवं ₹ 30.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (21) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2401-110-0101- राज्य आयोजना-(सामान्य)- 7293-मौसम आधारित फसल बीमा योजना (क्राप्स ऑफ फंड)- मूल 5,00.00 पुनर्वि. 4,19.61	9,19.61	9,19.61	..
₹ 4,19.61 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन निधियों की मांग के प्राप्त होने के साथ ही बीमा के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण सूचित किए गए हैं।			
(2) 2401-113-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना-(सामान्य)- 7333-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार- मूल 10.00 पुनर्वि. 25.58	35.58	35.58	..

₹ 25.58 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 29.07 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3.49 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि प्रावधान से अतिरिक्त केन्द्रांश की पूर्ति किए जाने एवं कमी किसानों से लघु चावल कारखाने के लिए निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) ₹ 0.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,22,25,02		
पूरक	32,23,85	2,54,48,87	1,87,54,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—66,94,14
प्रभारित		20	23,55,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि टीका एवं टिप्पणियां			—20
			..
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 10,69.17 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 2,07.68 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 19,47.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,33.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 66,94.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 23,55.32 लाख (लगभग 35.18%) यह कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग पर हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ लाख में)	
(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	13,30.95		
पूरक	1,27.19		
पुनर्वि.	—84.98	13,73.16	12,99.70
			—73.46
₹ 84.98 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का आहरण अन्य योजना को स्थानांतरित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(2) 2403—101—2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—

मूल	74,03.60		
पूरक	11,65.00		
पुनर्वि.	—6,39.42	79,29.18	79,92.34
			+63.16

₹ 6,39.42 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते अन्य योजना में अन्तरण हो जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2403—101—0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)

2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय

मूल	5,50.21		
पूरक	54.02		
पुनर्वि.	—1,65.82	4,38.41	4,31.80
			—6.61

₹ 1,65.82 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना—			
मूल	24,32.55		
पूरक	3,41.00		
पुनर्वि.	-3,89.70	23,83.85	23,95.29
			+11.44

₹ 3,89.70 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्त एवं मृत्यु होने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(5) 2403-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(सामान्य)—			
7242 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	55,50.00		
पुनर्वि.	-5.64	55,44.36	11,99.41
			-43,44.95

₹ 5.64 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(6) 2403-109-0101-7403— राज्य आयोजना—(सामान्य)			
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
			..

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(7) 2403-113-3784—रोग अनुसंधान—			
मूल	3,06.75		
पूरक	97.25		
पुनर्वि.	-88.58	3,15.42	3,25.83
			+10.41

₹ 88.58 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अन्य योजना में स्थानांतरित होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(8) 2403-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
5620—पशुरोग नियंत्रण—			
मूल	9,94.00		
पुनर्वि.	-4,01.77	5,92.23	5,90.79
			-1.44

₹ 4,01.77 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(9) 2403-800-8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना—			
मूल	5,59.85		
पूरक	-42.51	5,17.34	5,02.62
			-14.72

₹ 42.51 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2403—800—0801 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना—			
मूल	3,14.92		
पुनर्वि.	-3,14.92

₹ 3,14.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्ययआधिक्य+
बचत—

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जल आपूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2403—पशुपालन

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राजस्व:

मूल 98,83,45

पूरक 18,16,00

1,16,99,45

95,17,52

-21,81,93

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

25,62,46

(31 मार्च 2012)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था सितम्बर 2011 (₹ 10,16.80 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 74.10 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 60.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 18,16.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 21,81.93 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 25,62.46 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-01-789-101-0803-केन्द्र प्रवर्तित योजना, एस.सी.पी.- 327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्तियां-			
मूल	3,95.00		
पुनर्वि	-1,68.75	2,26.25	..
(2) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2952-बालिकाओं का गणवेश-			
मूल	3,30.00		
पुनर्वि	-1,96.49	1,33.51	..

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,68.75 लाख एवं ₹ 1,96.49 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मूल	15,00.00		
पूरक	10,16.00		
पुनर्वि.	-8,94.87	16,21.13	+2,56.31
(4) 2235-60-789-102-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-7336— इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	-87.16	1,62.84	+1.76
(5) 2215-789-196-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.पी.)— 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-9,70.10	20,29.90	..

उपरोक्त कम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,94.87 लाख एवं ₹ 87.16 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

₹ 9,70.10 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2215-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (एस.सी.पी.)— 7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना—			
मूल	24.00		
पूरक	60.00		
पुनर्वि.	-60.00	24.00	+81.75

₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	26,38,90		
पूरक	1,81	26,40,71	—1,68,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,67,95
प्रभारित	20	..	—20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			20
पूंजीगत :			
दत्तमत	25,10	25,00	—10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			10
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1.81 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,68.50 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,67.95 लाख का अभ्यर्पण व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2405—101—162—अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर का अमला—			
मूल	14,06.30		
पुनर्वि.	—79.37	13,26.93	—56.53

₹ 79.37 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2405—105—0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3287—मछुआ सहकारिता एवं मतस्य विक्रय— मूल 1,70.35 पुनर्वि. —57.77	1,12.58	1,12.58	..
₹ 57.77 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2405—101—1001— अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 5,75.00 पुनर्वि. —0.14	5,74.86	6,20.67	+45.81

₹ 0.14 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था ।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार			
2425—सहकारिता			
4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	75,53,61		
पूरक	23,33,65	98,67,26	81,31,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (16, 28 एवं 31 मार्च 2012)			—17,35,63
			18,70,87
<i>प्रभारित</i>		15	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			—15
			15
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	27,90,97		
पूरक	20,05,30	47,96,27	46,16,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—1,80,21
टीका एवं टिप्पणियां			1,80,00

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 81,31.63 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 3,07.04 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 5,95.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था वहीं मार्च 2012 में प्राप्त किया गया (₹ 14,13.61 लाख) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 17,35.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 16, 28 एवं 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 18,70.87 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2425—001—123—अधीक्षण—			
मूल	12,12.00		
पूरक	53.35		
पुनर्वि.	—2,18.36	10,46.99	11,27.70
			+80.71

₹ 2,18.36 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों की मांग (₹ 3.50 लाख) एवं रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 2,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 14.86 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2425-001-359-आडिट बोर्ड	59.10	..	-59.10
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2425-101-359-आडिट बोर्ड-			
मूल	13,65.05		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	-2,87.27	11,07.78	12,17.10
			+1,09.32

₹ 2,87.27 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों की मांग (₹ 7.50 लाख) एवं रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 2,73.67 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 6.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2425-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5628-कृषक ऋण ब्याज दर			
युक्तियुक्त हेतु			
ब्याज अनुदान-			
मूल	45,00.00		
पूरक	13,27.86		
पुनर्वि.	-13,27.86	45,00.00	45,00.00
			..

₹ 13,27.86 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कृषकों को वर्ष 2011-12 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने हेतु ₹ 18,00,00.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी पूर्ति शत प्रतिशत नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार द्वारा भी अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषकों को 3.5 प्रतिशत की दर से दिये जाने वाले ब्याज अनुदान में वृद्धि कर पाँच प्रतिशत किए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का व्यय भार कम होने के कारण राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 1,80.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 1,80.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
2759-जिला सहकारी कृषि और			
विकास बैंकों की अंशपूँजी में			
धनवेष्टन-			
मूल	1,10.00		
पुनर्वि.	-1.10.00
			..

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 6425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5657—कृषि साख स्थिरीकरण निधियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सहकारी बैंक को ऋण— मूल 50.00 पुनर्वि. -50.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,10.00 लाख ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत बैंक की दयनीय अवस्था के आधार पर प्रस्ताव निरस्त किये जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	37,10,85		
पूरक	72,40	37,83,25	27,66,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—10,16,56 10,27,70
<i>प्रभारित</i>		20	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			—20 20
पूंजीगत :			
दत्तमत	3,43,00	54,00	—2,89,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 72.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 10,16.56 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 10,27.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेक पूर्ण था। यह चलन अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-102-791—कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	6,06.05		
पूरक	56.00		
पुनर्वि.	—1,11.55	5,50.50	5,94.84
			+44.34

₹ 1,11.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3676-राज्य बीमा अस्पताल-			
मूल	7,09.65		
पुनर्वि.	-3,48.00	3,61.65	3,15.93
			-45.72
₹ 3,48.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,98.34 लाख), कर्मचारियों के स्थानांतरण न होने (₹ 0.64 लाख) एवं नवीन केन्द्रों का सृजन नहीं किए जाने (₹ 1,49.02 लाख) के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय-			
मूल	1,48.60		
पुनर्वि.	-1,03.40	45.20	47.51
			+2.31
₹ 1,03.40 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 74.28 लाख) एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण न होने (₹ 0.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 28.46 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2230-01-001-4268-श्रम आयुक्त-			
मूल	2,02.85		
पूरक	2.90		
पुनर्वि.	-26.09	1,79.66	1,75.05
			-4.61
₹ 26.09 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 12.59 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 13.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(5) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय-			
मूल	2,78.60		
पूरक	6.50		
पुनर्वि.	-93.69	1,91.41	1,88.24
			-3.17
(6) 2230-01-101-712-औद्योगिक न्यायालय-			
मूल	1,43.15		
पुनर्वि.	-30.47	1,12.68	1,11.83
			-0.85
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 93.69 लाख एवं ₹ 30.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2009-10 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा-			
मूल	2,28.85		
पुनर्वि.	-1,29.00	99.85	1,03.33
			+3.48
₹ 1,29.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,32.00 लाख की कमी एवं ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,11.26 लाख) के कारण हुई। शेष ₹ 20.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	-47.43	4,52.57	4,52.57
			..

₹ 47.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(9) 2230-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-79.60	20.40	22.20
			+1.80

₹ 79.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
4250-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8352-प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण	3,43.00	54.00	-2,89.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,80,42,30		
पूरक	6,72,20	5,87,14,50	5,13,54,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—73,59,92
			..
<i>प्रभारित</i>	<i>15,50</i>	<i>6,23</i>	<i>—9,27</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..

पूंजीगत :			
दत्तमत			
मूल	19,84,00		
पूरक	1,25,00	21,09,00	12,88,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—8,20,66
टीका एवं टिप्पणियां			..

राजस्व :
दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 3,75.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 3,75.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 2,07.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,72.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटि पूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 73,59.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ लाख में)	
(1) 2210-01-001-2283—निर्देशन और प्रशासन— राजीव गांधी मिशन (मूलभूत सेवाएं)—			
मूल	8,74.60		
पूरक	90.00		
पुनर्वि.	26.10	9,90.70	9,18.97
			—71.73

₹ 26.10 लाख के पुनर्वियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 34.90 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8.80 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण तथा कमी पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2210-01-001-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 7476—संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	1,00.00	4.34	-95.66
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2210-01-110-748—औषधालय— मूल पुनर्वि.	5,80.30 -18.50	5,61.80	3,46.71 -2,15.09
₹ 18.50 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय	2,26.60	4.52	-2,22.08
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2210-01-196-1473—जिला चिकित्सालय— मूल पुनर्वि.	49,35.00 -3,02.20	46,32.80	40,50.84 -5,81.96
₹ 3,02.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,07.20 लाख की कमी तथा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने तथा वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल पुनर्वि.	30,86.00 -73.60	30,12.40	26,27.15 -3,85.25
₹ 73.60 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 84.30 लाख की कमी तथा ₹ 10.70 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने तथा वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7463—कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों के रोकथाम	2,50.00	1,36.47	-1,13.53
(8) 2210-03-101-620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—(मूलभूत सेवाएं) मूल पूरक	8,73.10 -1,74.00	10,47.10	9,07.56 -1,39.54
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(9) 2210-03-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल पुनर्वि.	20,53.80 -3,34.60	17,19.20	16,41.36 -77.84
₹ 3,34.60 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,42.00 लाख की कमी तथा ₹ 7.40 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने तथा वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6730-स्वास्थ्य पंचायत योजना	81.10	40.00	-41.10
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 2210-03-197-748-औषधालय-			
मूल	2,51.30		
पुनर्वि.	1.50	2,52.80	2,09.69
			-43.11
₹ 1.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(12) 2210-03-197-0101-राज्य आयोजना सामान्य-			
5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	22,83.40		
पुनर्वि.	4,19.90	27,03.30	19,32.23
			-7,71.07
₹ 4,19.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,84.90 लाख की वृद्धि तथा ₹ 65.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण तथा कमी पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(13) 2210-03-198-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
(मूलभूत सेवाएं)-			
मूल	1,19,01.00		
पुनर्वि.	76.80	1,19,77.80	1,08,92.37
			-10,85.43
₹ 76.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 15,10.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 14,33.20 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण तथा कमी पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2012)।			
(14) 2210-03-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)-			
मूल	19,88.10		
पुनर्वि.	35.90	20,24.00	14,30.25
			-5,93.75
₹ 35.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 81.90 लाख की वृद्धि तथा ₹ 46.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण तथा कमी पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(15) 2210-05-105-2502-परिचारिकाओं			
का प्रशिक्षण	2,81.90	1,80.60	-1,01.30
(16) 2210-06-003-3463-महिला स्वास्थ्य			
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	54.30	24.23	-30.07
(17) 2210-06-003-5689-राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन			
संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	1,52.60	87.40	-65.20

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2009-10 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(18) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3463-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण-			
मूल	2,38.90		
पुनर्वि.	-30.70	2,08.20	62,68
			-1,45.52
₹ 30.70 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6811-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्था-			
मूल	1,06.90		
पुनर्वि.	5.50	1,12.40	70.65
			-41.75
₹ 5.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित किया गया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210-06-101-4245-शीत ज्वर-			
मूल	13,85.80		
पुनर्वि.	-49.55	13,36.25	9,66.87
			-3,69.38
₹ 49.55 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 54.65 लाख की कमी तथा ₹ 5.10 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने एवं वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210-06-101-858-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम-			
मूल	14,27.60		
पुनर्वि.	1,00.70	15,28.30	12,64.91
			-2,63.39
₹ 1,00.70 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित किया गया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता-			
मूल	5,00.00		
पूरक	3,75.00	8,75.00	8,12.50
			-62.50
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(23) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4245-शीत ज्वर-			
मूल	92.40		
पुनर्वि.	-22.40	70.00	34.40
			-35.60
₹ 22.40 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 23.00 लाख की कमी तथा ₹ 0.60 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने एवं वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(24) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5572-सिकल सेल विकृति की रोकथाम एवं नियंत्रण			
	4,51.00	..	-4,51.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(25) 2210-06-102-1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम- (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	3,11.60	49.51	-2,62.09
(26) 2210-06-104-750-औषध नियंत्रण	3,06.50	1,47.16	-1,59.34
(27) 2211-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7397-छत्तीसगढ़ इमरजेन्सी मेडिकल रिस्पॉस सर्विसेस योजना	6,11.20	5,86.40	-24.80
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (27) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1508-जिला स्तरीय अमला- मूल 5,42.40 पुनर्वि. 1,47.70	6,90.10	4,91.04	-1,99.06
₹ 1,47.70 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(29) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 3704-राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन	3,47.30	2,70.67	-76.63
(30) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2880-बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	1,81.70	1,09.63	-72.07
उपरोक्त क्रम संख्या (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (29) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 336-आकजीलियरी नर्स, मिड वाइफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण- मूल 3,19.60 पुनर्वि. 0.40	3,20.00	1,85.03	-1,34.97
₹ 0.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2211-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 1,08,74.70 पुनर्वि. -1,64.70	1,07,10.00	1,04,44.39	-2,65.61
₹ 1,64.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी तथा ₹ 35.30 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी पदों के रिक्त रहने एवं वृद्धि वेतन और भत्तों में वृद्धि होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(33) 2211-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,79.60 पुनर्वि. 1.50	2,81.10	2,30.62	-50.48
₹ 1.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2211-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4601—स्टरलाईजेशन	1,30.00	42.13	-87.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2498—परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	50.00	..	-50.00
(36) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6106—युनिवर्सल इम्युनाईजेशन	50.00	..	-50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (35) एवं (36) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071-01-800-5499—सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	1,75.00	3,04.43	+1,29.43
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(2) 2210-01-200-77—अंधरोग उपचार की रोकथाम की ईकाइयां स्थापित करना— मूल 8,81.40 पुनर्वि. 1,51.30	10,32.70	9,81.36	-51.34
₹ 1,51.30 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
1/43½ 2210-03-197-5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 14,90.30 पुनर्वि. 0.50	14,90.80	15,52.77	+61.97

₹ 0.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,49.10 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,48.60 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण जाने के कारण एवं कमी पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2210-06-101-8150—बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना—			
मूल	2,66.80		
पूरक	33.20	3,00.00	3,32.45
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 9.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटि पूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(vii) ₹ 8,20.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1473—जिला चिकित्सालय	1,40.00	..	-1,40.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
617—उप स्वास्थ्य केन्द्र			
भवन का निर्माण	8,00.00	3,19.34	-4,80.66

बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4210-02-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,00.00	..	-2,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,75,42,06		
पूरक	39,02,29	3,14,44,35	3,01,28,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—13,15,55
प्रभारित	10,00		..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—10,00
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	38,30,10		
पूरक	सांकेतिक	38,30,10	3,18,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—35,11,66
टीका एवं टिप्पणियां			..
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 13,15.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, एवं यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन			
मूल	9,44.50		
पूरक	20.00	9,64.50	7,35.96
			—2,28.54
₹ 2,28.54 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2011 को प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थान जल प्रदाय— योजनाओं का अनुरक्षण—			
मूल	5,45.35		
पूरक	2,45.65	7,91.00	7,30.31
			—60.69

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2215-01-102-1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय— योजनाओं का अनुरक्षण— मूल 3,50.00 पूरक 1,40.00	4,90.00	4,12.96	-77.04
(4) 2215-01-102-2219—नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 27,80.00 पूरक 9,49.50	37,29.50	33,44.99	-3,84.51
(5) 2215-01-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5040—मानव संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना (रा.मा.सं.वि. कार्यक्रम)	4,00.00	2,94.75	-1,05.25
(6) 2215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	50,00.00	46,64.10	-3,35.90
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2215-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6974—बिलासपुर द्वितीय जल प्रदाय योजना	20,00.00	..	-20,00.00
(8) 2215-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7431—रायपुर पेयजल आवर्धन योजना—	5,00.00	..	-5,00.00
(9) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7448—जामुल नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(10) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7310—सिमगा जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(11) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7371—बिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(12) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7373—आमदी जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(13) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7375—चिखलाकसा जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(14) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7376—सहजपुर लोहारा जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(15) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7387—पाण्डातराई जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(16) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7391—सरिया जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(17) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7449-अहिवारा आवर्धन जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(18) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7488-गरियाबंद जल प्रदाय योजना- पूरक 50.00	50.00	..	-50.00
(19) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7496-नवागढ़ जल प्रदाय योजना- पूरक 1,00.00	1,00.00	..	-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (19) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(20) 2215-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5700-शालाओं में पेय जल व्यवस्था	6,00.00	4,82.32	-1,17.68
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5504-सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	8,85.00	5,73.04	-3,11.96
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(22) 2215-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6841-जल निकासी योजना	1,00.00	..	-1,00.00
-----------------------------------------------------------------------	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2215-01-001-2715-प्रशासन- मूल 52,44.00 पूरक 1,00.00	53,44.00	69,72.82	+16,28.82
(2) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4378-समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेय जल प्रदाय	5,00.00	6,56.88	+1,56.88
(3) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5698-कोरबा जल प्रदाय योजना- पूरक 8,00.00	8,00.00	8,75.00	+75.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2215-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6975—दुर्ग द्वितीय चरण जल प्रदाय योजना	20,00.00	25,58.40	+5,58.40
(5) 2215-01-192&0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6760—धमतरी जल प्रदाय योजना	1,20.00	4,12.71	+2,92.71
(6) 2215-01-193&0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6845—डौण्डी लोहारा जल प्रदाय योजना	0.10	50.00	+49.90
(7) 2215-01-193&0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6847—बसना जल प्रदाय योजना	0.10	25.00	+24.90
(8) 2215-01-799&4058—विविध लोक निर्माण अग्रिम	15,00.00	26,44.54	+11,44.54

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 10.00 का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में “2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—“उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 26,44.54 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष “उचंत” में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। “उचंत” शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :—

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :—

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप परिप्रेक्ष्य में उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत— किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

2011-12 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के	वर्ष के	अंत शेष
	01 अप्रैल 2011 को नाम+ जमा-	दौरान नामे	दौरान जमा	31मार्च 2012 को नामे+ जमा-
(₹ लाख में)				
2215—जलपूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	-16,00.70	-16,00.70
(ii) भण्डार	+15,50.23	+15,50.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+92,20.90	26,44.54	26,64.02	+92,01.42
योग	+91,70.43	26,44.54	26,64.02	+91,50.95

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 35,11.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	6,00.00		
पूरक	सांकेतिक	6,00.00	1,61.68
			-4,38.32
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 693-औजार और संयंत्र	5,45.00	74.56	-4,70.44
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	25,00.00	..	-25,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष-			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2217-शहरी विकास			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	33,07,45	18,20,81	-14,86,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			15,36,09
पूंजीगत :			
मूल	3,48,05,00		
पूरक	सांकेतिक	3,48,05,00	3,93,30,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			92,24,03

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 14,86.64 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 15,36.09 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविशेषपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2215-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8049-पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7298-नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-82.00	18.00	8.00
			-10.00

₹ 82.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

शीर्ष	अनुदान संख्या 21—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
	कुल अनुदान			
(3) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण— मूल 14,25.00 पुनर्वि. -6,25.00	8,00.00		8,00.00	..
₹ 6,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(4) 2217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना— मूल 4,00.00 पुनर्वि. -3,77.93	22.07		22.07	..
₹ 3,77.93 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य योजना के लिए विश्व बैंक के विलंब के कारण सूचित की गई है।				

(5) 2217-05-001-2020—नगर और ग्राम निवेश— मूल 6,47.95 पुनर्वि. -2,59.43	3,88.52		3,86.05	-2.47
₹ 2,59.43 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 2217-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7411—विकास प्राधिकरणों को अनुदान— पूरक 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00	..		50.00	+50.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

पूँजीगत :

(iii) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 45,25.96,900 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(iv) ₹ 45,25.97 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 92,24.03 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन प्रावधान के विरुद्ध व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4217-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 3,32,00.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. -76,19.03	2,55,80.97	3,93,30.97	+1,37,50.00

₹ 76,19.03 लाख की प्रत्याशित बचत राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

¼vi½ उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334-जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना— मूल 11,00.00 पुनर्वि. -11,00.00
₹ 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य योजना के लिए विश्व बैंक के अनुमोदन में विलंब के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4217-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना-सामान्य— 7417-राज्य सूचना आयोग भवन— मूल 5,00.00 पुनर्वि. -5,00.00
₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,05,81		
पूरक	2,50	3,08,31	2,68,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—39,43 50,86
प्रभारित	10	..	—10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			5
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए भी दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 39.43 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 50.86 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2217-05-800-2122—नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का क्रियान्वयन—			
मूल	51.85		
पुनर्वि.	—19.59	32.26	32.26
₹ 19.59 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(2) 2217-05-800-7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—			
मूल	1,26.98		
पुनर्वि.	—31.26	95.72	56.73
₹ 31.26 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			—38.99

अनुदान संख्या 22—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2217-05-800-6148-नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय-			
मूल	1,26.98		
पूरक	2.50	1,29.48	50.41

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के वर्ष के दौरान अप्रयुक्त होते हुए भी मार्च 2012 को केवल ₹ 0.05 लाख का अभ्यर्पण किया गया। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,73,00,70		
पूरक	14,13,00	2,87,13,70	2,84,77,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—2,36,48 8,28,06
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,10	..	—1,10 ..
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,36,34,75		
पूरक	5,00,00	4,41,34,75	3,10,94,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (16 और 31 मार्च 2012)			—1,30,40,55 1,58,91,81
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	25,00	1,98	—23,02 ..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 2,36.48 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 8,28.06 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2700—01—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	10,50.00		
पूरक	6,00.00		

पुनर्वि.	-98.80	15,51.20	14,15.33	-1,35.87
----------	--------	----------	----------	----------

₹ 98.80 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कार्य भारत अमले को भुगतान हेतु राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(2) 2700-02-101-2894—बांध
तथा नहरें—

मूल	12,60.00			
पुनर्वि.	-1,42.82	11,17.18	10,73.20	+43.98

₹ 1,42.82 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कार्य भारत अमले को नियमित स्थापना शीर्ष से वेतन भुगतान किए जाने (₹ 1,26.82 लाख) आबंटित कार्य की धीमी प्रगति (₹ 13.39 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2700-06-101-2894—बांध
तथा नहरें—

मूल	2,85.00			
पूरक	40.00			
पुनर्वि.	-3.65	3,21.35	2,61.02	-60.33

₹ 3.65 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता समितियों द्वारा लेखे प्रस्तुत न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2701-80-001-275—आबियाना
स्थापना—

मूल	15,85.40			
पुनर्वि.	-2,08.62	13,76.78	12,94.60	-82.18

(5) 2701-80-001-3264—मंडल स्थापना—

मूल	3,70.00			
पुनर्वि.	-58.43	3,11.57	2,76.35	-35.22

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,08.62 लाख एवं ₹ 58.43 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
3556—मुख्यालय स्थापना—
यूनिट एक—

मूल	10,29.80			
पुनर्वि.	-1,37.99	8,91.81	8,21.76	-70.05

₹ 1,37.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
814—कार्यपालिक स्थापना—
(विद्युत एवं यांत्रिकी)—

मूल	6,62.60			
पुनर्वि.	-15.44	6,47.16	4,96.33	-1,50.83

₹ 15.44 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जारी

1/4iii½ उपरोक्त टिप्पणी 1/4ii½ में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2700-05-101-2894-बांध तथा नहरें-			
मूल	3,60.00		
पुनर्वि.	-0.16	3,59.84	4,82.36
			+1,22.52

₹ 0.16 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2700-07-101-2894-बांध तथा नहरें-			
मूल	55.00		
पुनर्वि.	-0.07	54.93	97.05
			+42.12

₹ 0.07 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2701-80-001-3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-1-			
मूल	7,40.70		
पूरक	सांकेतिक	7,40.70	8,25.53
			+84.82

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2701-80-001-815-कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	81,74.40		
पूरक	7,73.00	89,47.40	93,30.85
			+3,83.45

(5) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 815-कार्यपालिक स्थापना			
	91,86.20	95,71.86	+3,85.66

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) विनियोग से हुए ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उचंत शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 22.46 लाख सम्मिलित हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

अनुदान संख्या 23-जारी

वर्ष 2011-12 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देन का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2011 को नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2012 को नामे+ जमा-
(₹ लाख में)				
2701-मध्यम सिंचाई-				
(i) क्रय	- 8,38.35	- 8,38.35
(ii) भण्डार	-3,31.65	22.46	..	-3,09.19
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+28,00.74	..	45.32	+27,55.42
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 1,47.09	+ 1,47.09
योग	+17,77.83	22.46	45.32	+17,54.97

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 1,30,40.55 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 16 एवं 31 मार्च को किया गया ₹ 1,58,91.81 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना- (यूनिट एक)- मूल	5,07.55		
पुनर्वि.	-74.07	4,33.48	4,43.17
			+9.69

₹ 74.07 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5685-बांध सुरक्षा एवं

सुदृढीकरण—

मूल	1,90.00			
पुनर्वि.	-63.48	1,26.52	26.23	-1,00.29

₹ 63.48 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई हैं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264-मंडल स्थापना—			
मूल	1,60.20		
पुनर्वि.	-39.23	1,20.97	1,20.82
			-0.15
(4) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट 1—			
मूल	6,35.60		
पुनर्वि.	-1,42.87	4,92.73	4,85.00
			-7.73

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 39.23 लाख एवं ₹ 1,42.87 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण—				
मूल	7,00.00			
पुनर्वि.	3,50.00	10,50.00	6,40.20	-4,09.80

₹ 3,50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बांध सुरक्षा कार्य के निर्माण (₹ 2,50.00 लाख) एवं निर्माण कार्यों के भुगतान (₹ 1,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(6) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य—				
मूल	27,00.00			
पुनर्वि.	-15,52.57	11,47.43	11,47.43	..

₹ 15,52.57 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 2,52.57 लाख), भारत सरकार से अनुदान विलम्ब से प्राप्त होने एवं निविदा कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने (₹ 13,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण—				
मूल	4,27.00			
पुनर्वि.	-4,26.48	0.52	0.51	-0.01

₹ 4,26.48 लाख की प्रत्याशित बचत एजेन्सी को अंतिम रूप न दिए जाने (₹ 1,00.00 लाख), निविदा अनुमोदित न होने (₹ 2,50.00 लाख), प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आबंटित कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 76.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(8) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

निर्माण कार्य—

मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	-12,34.97	2,65.03	2,60.85	-4.18

₹ 12,34.97 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 10,90.49 लाख) तथा भूमि का मुआवजा नहीं दिए जाने (₹ 1,44.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(9) 4700-09-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	1,50,10.00		
पुनर्वि.	-64,45.62	85,64.38	77,84.48
			-7,79.90

₹ 64,45.62 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(10) 4700-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य—				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	-4,71.80	5,28.20	5,69.76	+41.56

₹ 4,71.80 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(11) 4700-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य—				
मूल	40,00.00			
पुनर्वि.	-28,00.00	12,00.00	14,43.84	+2,43.84

₹ 28,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति एवं निविदाएं आमंत्रित न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(12) 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य—				
मूल	50.00			
पुनर्वि.	-50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई ।

(13) 4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416-सर्वेक्षण—				
मूल	1,90.00			
पुनर्वि.	-17.65	1,72.35	92.04	-80.31

₹ 17.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(14) 4701-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
--------------------------------------------	--	--	--	--

2898—बांध तथा
संलग्न कार्य—

मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	-1.61	4,98.39	3,05.55	-1,92.84

₹ 1.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(15) 4701—37—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	10,01.00		
पुनर्वि.	-4,70.00	5,31.00	6,25.08
			+94.08

₹ 4,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत निविदत्त कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(16) 4711—01—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6757—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	-22,83.02	7,16.98	25,16.94
			+17,99.96

₹ 22,83.02 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने (₹ 13,00.00 लाख) एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आबंटित कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 9,83.02 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 4701—37—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6757—खाद्य नियंत्रण परियोजना—			
पूरक	5,00.00	5,00.00	..
			-5,00.00

सम्पूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिका स्थापना— (यूनिट 1 एवं 2)			
	23,16.20	26,72.97	+3,56.77
			आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-0.55	99.45	9,37.37
			+8,37.92

₹ 0.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
2428-कार्यपालिक स्थापना-
(यूनिट 1 एवं 2)

42,58.70

53,33.89

+10,75.19

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था ।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 4701-38-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	93.57	6,93.57	+1.41

₹ 93.57 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6.43 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान एवं कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 4701-80-002-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क
तथा संचालनालय स्थापना-

मूल 7,09.00

पुनर्वि. -75.10

6,33.90

9,29.67

+2,95.77

₹ 75.10 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 10.10 लाख) एवं कार्य भारित अमले के वेतन का भुगतान उपशीर्ष "026" (₹ 65.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(x) उचंत लेन देन :-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उचंत शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 13.36 लाख सम्मिलित हैं। उचंत के अन्तर्गत लेनदेनों की प्रकृति तथा लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस अनुभाग हेतु उचंत लेन देन का विश्लेषण उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2011 को नामे + जमा-	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा (₹ लाख में)	अंत शेष 31 मार्च 2011 को नामे + जमा-
-------	------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

(i) क्रय	-8,30.51	-8,30.51
(ii) भण्डार	+3,46.16	+3,46.16
(iii) विविध लोक निर्माण				

कार्य अग्रिम	+15,81.49	13.36	10.64	+15,84.21
(iv) कार्यशाला उचंत	- 76.61	-76.61
योग	+ 10,20.53	13.36	10.64	+10,23.25

अनुदान संख्या 23—समाप्त

प्रभारित—

(xi) विनियोग से हुए ₹ 23.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान	20.00	..	-20.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,61,29,83		
पूरक	25,00,00	3,86,29,83	2,55,91,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—1,30,38,79
			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,20,56,00		
पूरक	27,72,02	6,48,28,02	4,01,91,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—2,46,36,46
			..
प्रभारित—			
मूल	1,30		
पूरक	1,25,75	1,27,05	1,25,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—1,31
			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,30,38.79 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	36,00.00	33,79.74	—2,20.26
(2) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत	9,85.00	7,45.68	—2,39.32

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 24-जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
	कुल अनुदान			
(3) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत				
मूल	60,00.00			
पुनर्वि.	-10,00.00	50,00.00	58,69.45	+8,69.45

₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। ₹ 8,69.45 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।

(4) 3054-04-337-1826-डामरीकरण	24,00.00		18,18.29	-5,81.71
(5) 3054-04-337-2227-नवीनीकरण	34,70.00		33,16.29	-1,53.71
(6) 3054-04-337-4090-विशेष मरम्मत	30,00.00		19,83.36	-10,16.64
(7) 3054-04-337-4557-सुदृढीकरण	63,00.00		38,90.90	-24,09.10
(8) 3054-04-337-7510-ग्रामीण मार्गों का संधारण पूरक	25,00.00	25,00.00	18,43.54	-6,56.46
(9) 3054-05-337-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 165-अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	3,00.00		2,04.81	-95.19

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 3054-80-001-2301-निर्देशन एवं प्रशासन- मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग	70,93.56		..	-70,93.56
(11) 3054-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार- मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग	7,88.17		..	-7,88.17

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं 2006-07 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	------------	------------------------------	-----------------

(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-
साधारण मरम्मत-

मूल	21,00.00			
पुनर्वि.	10,00.00	31,00.00	24,32.28	-6,67.72

₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन राष्ट्रीय राज्य मार्ग की मरम्मत के कारण सूचित किए गए हैं जो भारी वर्षा के कारण क्षति ग्रस्त हो गई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 3054-01-337-4090-विशेष मरम्मत-			
मूल	90.00		
पूरक	सांकेतिक	90.00	1,05.97
			+15.97

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है, और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800-अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24-"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामें डालकर जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है, और बाद में जमालेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2012 को जमा लेखे में ₹ 91.02 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे के क्रमांक 18-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :
दत्तमत-

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 27,72.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 0.02लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27,72.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(vii) ₹ 2,46,36.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	4,01.00	1,94.45	-2,06.55
(2) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3775-रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	4,57.00	3,10.57	-1,46.45

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4151-वृहद पुलों का निर्माण-				
मूल	1,20,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-1,00.00	1,19,00.00	87,57.86	-31,42.14

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 5054-03-337-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि-			
मूल	80,00.00		
पूरक	10,00.00	90,00.00	54,20.83
			-35,79.17

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण- राज्य मार्ग-				
मूल	1,50,00.00			
पूरक	15,66.01			
पुनर्वि.	-12,28.00	1,53,38.01	63,72.22	-89,65.79

₹ 12,28.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(6) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
मूल	27,28.00			
पूरक	सांकेतिक	27,28.00	21,81.75	-5,46.25

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(7) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1513-जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण-				
मूल	2,20,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-4,00.00	2,16,00.00	1,39,55.16	-76,44.84

₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(8) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम				
	14,44.00		13,31.34	-1,12.66

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
6812-एन्यूटी के अंतर्गत राज्य में				
सड़क निर्माण हेतु निवेश-				
पूरक	1,00.00	1,00.00	..	-1,00.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 24-समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा-			
पूरक	1,06.00		
पुनर्वि.	16,28.00	17,34.00	16,52.38
			-81.62

₹ 16,28.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भू-अर्जन के मुआवजे का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित -

(x) ₹ 1.31 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,32,54,30		
पूरक	40,58	1,32,94,88	1,26,23,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—6,71,79
			..
<i>प्रभारित</i>	<i>50</i>	<i>..</i>	<i>—50</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	55,00,00	55,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 20.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 13.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 7.58 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 40.58 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 6,71.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान सम्पूर्ण बचत का समर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	9,48.45		
पूरक	33.00	9,81.45	6,12.89
			—3,68.56

(2) 2853-02-001-4643-क्षेत्रीय स्थापना-

मूल	10,80.70			
पूरक	7.58	10,88.28	7,16.36	-3,71.92

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2853-02-001-4640-जिला स्थापना	7,43.80	8,12.48	+68.68

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित -

(v) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
मूल	15,59,20		
पूरक	1,28,80	16,88,00	—2,61,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित (31 मार्च 2012)			2,60,39

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 32.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 85.23 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 11.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,28.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,61.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 2,60.39 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-05-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7013—छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग— मूल	53.83		
पूरक	3.50		
पुनर्वि.	—20.23	37.10	+0.86

₹ 20.23 लाख की प्रत्याशित बचत छठवें वेतन मान को लागू नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2205-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
3077—बहुआयामी

संस्कृति संस्थान—

मूल 1,00.00

पुनर्वि. -1,00.00

₹ 1,00.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 26—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
	कुल अनुदान			
(3) 2205-103-2318—निर्देशन एवं प्रशासन—				
मूल	1,76.21			
पूरक	5.80			
पुनर्वि.	-13.44	1,68.57	1,60.63	-7.95

₹ 13.44 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 22.64 लाख की कमी एवं ₹ 9.20 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 2.61 लाख), कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (₹ 9.63 लाख) एवं यात्रा देयक प्राप्त न होने (₹ 1.19 लाख) के कारण सूचित की गई। वृद्धि श्रमिकों के पारिश्रमिक दर में वृद्धि (₹ 1.50 लाख) होने के कारण सूचित की गई है। प्रावधान में शेष कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 2205-103-758—संरक्षण प्रकोष्ठ—

मूल 88.42

पुनर्वि. -11.70

76.72

76.34

-0.38

₹ 11.70 लाख की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त न होने (₹ 1.39 लाख) एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 1.25 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 9.06 लाख की प्रत्याशित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2205-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

598—खनन एवं पर्यवेक्षण—

मूल 1,00.00

पुनर्वि. -36.26

63.74

63.74

..

₹ 36.26 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 10.90 लाख) एवं खनन कार्य हेतु कम श्रमिकों का अनुबंध किए जाने (₹ 25.36 लाख) के कारण सूचित की गई है।

(6) 2205-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4513—लोक पुस्तकालय/ग्रंथालय—

मूल 28.00

पुनर्वि. -24.07

3.93

3.93

..

₹ 24.07 लाख की प्रत्याशित बचत पुस्तकों का कय किए जाने की स्वीकृति एवं प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(7) 2205-107-4283—संग्रहालय—

मूल 2,46.79

पूरक 5.77

पुनर्वि. -57.54

1,95.02

2,02.72

+7.70

₹ 57.54 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त न होने (35.00 लाख) एवं अन्य आकस्मिकता के लिए निधि की आवश्यकता न होने (₹ 1.70 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 20.84 लाख की प्रत्याशित कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(8) 3454-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
6041-जिला विचारणियका
का पुनरीक्षण-

मूल	24.46			
पूरक	32.00			
पुनर्वि.	-28.25	28.21	25.80	-2.41

₹ 28.25 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन जिला विचारणियका का पुनरीक्षण किये जाने हेतु बैठक न होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 26-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2205-102-1028-विभिन्न उत्सव-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	24.20	2,24.20	..

₹ 24.20 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 10.80 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वृद्धि एवं कमी जिलाधीशों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(2) 2205-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5753-समारोह हेतु अनुदान-

मूल	2,64.00			
पूरक	71.73			
पुनर्वि.	26.04	3,61.77	3,61.77	..

₹ 26.04 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 26.90 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.86 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि अधिक संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण सूचित की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	23,15,94,50		
पूरक	1,61,73,85	24,77,68,35	21,74,07,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—3,03,61,16 3,25,36,96
प्रभारित		3,20	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—3,20 ..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	41,92,10		
पूरक	20,61,00	62,53,10	57,51,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—5,02,08 3,65,45
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 36,25.10 लाख) तथा दिसम्बर 2011 (₹ 1,25,48.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,61,73.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 3,03,61.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 3,25,36.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था एवं यह बजट तंत्र पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ लाख में)	

(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-				
मूल	26,82.50			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	-8,89.64	19,92.86	22,23.18	+2,30.32

₹ 8,89.64 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आहरण संवितरण अधिकारों का आवंटन न होने एवं कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2202-01-001-3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	23,00.00		
पुनर्वि.	-1,10.42	21,89.58	22,32.38
			+42.80

₹ 1,10.42 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-				
मूल	4,06,98.60			
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	-1,40,74.78	2,66,73.82	2,77,12.71	+10,38.89

₹ 1,40,74.78 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना-				
मूल	3,30.00			
iqufoZ-	-2,13.18	1,16.82	1,75.27	+58.45

₹ 2,13.18 लाख की प्रत्याशित बचत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल.-				
मूल	1,65.00			
पुनर्वि.	-2.09	1,62.91	1,04.46	-58.45

₹ 2.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-				
मूल	3,35,34.80			
पूरक	35,25.00			

पुनर्वि.	-29,77.00	3,40,82.80	3,42,52.28	+1,69.48
(7) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
4396-सरकारी प्राथमिक शालाएँ-				
(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-				
मूल	2,01,05.00			
पूरक	19,04.00			
पुनर्वि.	-12,01.00	2,08,08.00	2,01,36.03	-6,71.97

अनुदान संख्या 27-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 29,77.00 लाख एवं ₹ 12,01.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2202-01-102-110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान-			
(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	47,00.00		
पुनर्वि.	-10,12.00	36,88.00	36,54.81
			-33.19

₹ 10,12.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-01-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं-			
(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,38.30	2,87.17	-51.13
(10) 2202-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5396-सर्व शिक्षा अभियान	3,00,00.00	2,71,91.00	-28,09.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (10) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-			
मूल	6,33.00		
पूरक	3,25.10		
पुनर्वि.	-2,76.94	6,81.16	6,83.08
			+1.92

(12) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में			
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-			
मूल	3,74.00		
पूरक	2,53.90		
पुनर्वि.	-2,51.65	3,76.25	3,76.41
			+0.16

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत ₹ 2,76.94 लाख एवं ₹ 2,51.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने एवं जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
--------------------------------------------------------	--	--	--

5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल	29,94.00			
पुनर्वि.	1,44.00	31,38.00	29,47.96	-1,90.04

₹ 1,44.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 7,75.80 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,31.80 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कम बजट आकलन एवं निधियों में कमी रसोईयों के पद रिक्त रहने तथा छात्रों की कम उपस्थिति के कारण सूचित किए गए हैं। प्रत्याशित बचत **Hkkjr ljdkj ls jkf'k izklr u gksus ,oa ftyksa esa inksa ds fjDr jgus** के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(14) 2202-02-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3694-राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एन.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन	83.00	0.22	-82.78
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(15) 2202-02-109-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,45,86.10		
iqufoZ-	19,67.99	1,26,18.11	1,32,08.14
			+5,90.03
₹ 19,67.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7331-बालिका प्रोत्साहन योजना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	8,50.00		
पुनर्वि.	-8,50.00
₹ 8,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6794-सूचना एवं संचार तकनीकी-			
मूल	15,28.00		
पुनर्वि.	-15,28.00
₹ 15,28.00 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-			
मूल	80,00.00		
पुनर्वि.	-13,16.85	66,83.15	66,83.15
			..

₹ 13,16.85 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए भवन निर्माण की धीमी प्रगति के कारण भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5052-सूचना शक्ति योजना-

मूल 2,62.00

पुनर्वि. -2,26.00

36.00

36.76

+0.76

₹ 2,26.00 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(20) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
578-उच्चतर माध्यमिक शालाये-			
मूल 2,29,66.50			
पूरक 16,50.00			
पुनर्वि. -23,98.11	2,22,18.39	2,22,37.40	+19.01

₹ 23,98.11 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 22,92.46 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,05.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2202-02-110-110-अशासकीय विद्यालयों को
अनुदान-(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-

मूल 50,00.00

पुनर्वि. -2,97.97

47,02.03

46,54.05

-47.98

₹ 2,97.97 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(22) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5646-सैनिक स्कूल की स्थापना-

मूल 11,00.00

पुनर्वि. -8,44.26

2,55.74

2,55.74

..

₹ 8,44.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय-

मूल 4,03.30

पूरक 1,00.00

पुनर्वि. -36.40

4,66.90

3,51.97

-1,14.93

₹ 36.40 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(24) 2202-80-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-

5526-मदरसा बोर्ड का गठन-

मूल 2,20.60

पूरक 10,18.20

पुनर्वि. -1,97.40

10,41.40

10,41.37

-0.03

₹ 1,97.40 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(25) 2202-80-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-

6725-यूरोपियन कमीशन राज्य
साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत
प्राप्त अनुदान-

मूल	23,90.00			
पुनर्वि.	-15,48.76	8,41.24	8,34.27	-6.97

₹ 15,48.76 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य योजना के अनुसार राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(26) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल-			
मूल	11,03.70		
पूरक	30.00	11,33.70	6,33.51
			-5,00.19

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2202-01-101-3491-माध्यमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	1,90,44.60		
पुनर्वि.	-3,90.40	1,86,54.20	2,01,84.28
			+15,30.08

₹ 3,90.40 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से दावा प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2202-02-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल	15,50.00			
पुनर्वि.	-8,57.00	6,93.00	35,03.73	+28,10.73

₹ 8,57.00 लाख की प्रत्याशित बचत रसोईयों के पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2202-01-800-9005-इमारतों का अनुरक्षण,

लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-

मूल	30,00.00			
पूरक	60,00.00			
पुनर्वि.	9,92.71	99,92.71	99,92.71	..

₹ 9,92.71 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7,29 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि प्रस्तावों के लम्बित नहीं रहने एवं कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(4) 2202-02-105-4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	3,87.80	5,27.76	+1,39.96
---------------------------------------------------	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	10,00.00		
पूरक	1,75.00		
पुनर्वि.	-2.20	11,72.80	13,64.90
			+1,92.10

अनुदान संख्या 27-समाप्त

₹ 2.20 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(6) 2204-800-1084-खेल तथा गतिविधियों पर व्यय-			
मूल	3,11.00		
पुनर्वि.	38.54	3,49.54	3,49.54
			..

₹ 38.54 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लम्बित देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित-

(v) ₹ 3.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 5,02.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 3,65.45 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रक्रिया के कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4202-01-201-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य- 3491-माध्यमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)			
पूरक	15,75.00	15,75.00	14,42.50
			-1,32.50

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

7367—माध्यमिक विद्यालय योजना—
(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—
मूल 3,02.00
पुनर्वि. -2,93.10

8.90

8.90

..

₹ 2,93.10 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(3) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

मूल 25,00.00

पुनर्वि. -68.00

24,32.00

24,31.97

-0.03

₹ 68.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत—

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2011— संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 24,99,50

पूरक 1,20,00

26,19,50

19,04,21

-7,15,29

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2012)

1,56

प्रभारित

60,80

3,91

56,89

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,15.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 1.56 लाख का अभ्यर्पण बचत का लगभग 0.22 प्रतिशत था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2011-02-101-4007—विधान सभा—			
मूल	14,84.00		
पूरक	1,20.00	16,04.00	11,55.19
			-4,48.81
(2) 2011-02-103-4009—विधान सचिवालय	9,02.50	7,15.46	-1,87.04
(3) 2011-02-103-6582—भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	85.00	7.72	-77.28

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत तथा 2006-07 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 56.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2011-02-101-125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता	60.80	3.91	56.89

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2009-10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

शीर्ष	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
-------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष—

2014—न्याय प्रशासन

2015—निर्वाचन

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,43,62,30			
पूरक	5,51,60	1,49,13,90	1,16,61,45	-32,52,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				33,85,96

प्रभारित—

मूल	28,95,30			
पूरक	20,00	29,15,30	19,52,22	-9,63,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				9,66,22

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2011 (₹ 4,86.60 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 65.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,51.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 32,52.44 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 33,85.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	------------	------------------------------	-----------------

(1) 2014-103-5416-परिवार न्यायालय की स्थापना—

मूल	7,98.00			
पूरक	5.00			
पुनर्वि.	-3,07.27	4,95.73	4,93.04	-2.69

₹ 3,07.27 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं पाँच परिवार न्यायालयों के न खोले जाने (₹ 2,95.27 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। शेष ₹ 12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना-

मूल	7,63.00			
पुनर्वि.	-2,02.88	5,60.12	5,93.83	+33.71

₹ 2,02.88 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,00.25 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.63 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-	
(3) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना-				
मूल	82,70.90			
पूरक	68.00			
पुनर्वि.	-18,50.97	64,87.93	65,90.62	+1,02.69

₹ 18,50.97 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 14,96.10 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,54.87 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2014-105-0701-केन्द्र प्रवर्धित योजना सामान्य-

7256-न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण-

मूल	1,00.00			
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	-1,02.63	47.37	46.78	-0.59

₹ 1,02.63 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन कार्य में कम्प्यूटरीकरण आरंभ न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2014-114-3428-महाधिवक्ता-

मूल	4,15.90			
पुनर्वि.	-60.32	3,55.58	3,51.20	-4.38

₹ 60.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 49.03 लाख) एवं दावा प्राप्त न होने (₹ 3.39 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2014-114-3572-मुफस्सिल स्थापना-

मूल	4,51.60			
पुनर्वि.	-1,89.29	2,62.31	2,63.05	+0.74

₹ 1,89.29 लाख की प्रत्याशित बचत प्रपत्त देयकों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2014-800-2918-बार एसोसिएशन पुस्तकालय के लिए आर्थिक सहायता-	
मूल	1,00.00
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अधिवक्ता संघ से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी-	
-------------------------------------	--

मूल	5,41.90			
पुनर्वि.	-1,56.34	3,85.56	3,86.24	+0.68

₹ 1,56.34 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,19.66 लाख) तथा देयकों के प्राप्त न होने (₹ 36.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(9) 2015-106-4006-राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार-			
मूल	1,26.30		
पूरक	42.10		
पुनर्वि.	-1,02.06	66.34	66.34
₹ 1,02.06 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 27.06 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो- परिचय पत्र जारी करना-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-50.23	2,49.77	2,44.48
₹ 50.23 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 14.23 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 36.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य-			
मूल	4,14.50		
पुनर्वि.	-88.99	3,25.51	3,24.78
₹ 88.99 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण के आयोजन न किए जाने (₹ 0.45 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 77.89 लाख), सम्मेलनों का आयोजन न किए जाने (₹ 1.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 9.15 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2235-60-200-3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान-			
मूल	3,97.00		
पूरक	1,37.50		
पुनर्वि.	-1,34.93	3,99.57	3,97.65
₹ 1,34.93 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 1,34.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,37.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

₹ 1,34.93 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,17.72 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 17.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2015-105-4311-संसद के चुनाव कराने के प्रभार-			
मूल	1,26.30		
पूरक	37.10		
पुनर्वि.	53.33	2,16.63	2,23.01
			+6.38

₹ 53.33 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 21.67 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि यात्रा दावों के भुगतान किए जाने एवं निधियों में कमी दावों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 29-समाप्त

प्रभारित-

(v) कुल व्यय मूल विनियोग से भी कम रहा, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 9,63.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 9,66.22 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2014-102-573-उच्च न्यायालय-			
मूल	27,98.70		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	-9,38.99	18,64.71	18,68.86
			+4.15

₹ 9,38.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 3,83.14 लाख), प्रशिक्षण का आयोजन न किए जाने (₹ 10.00 लाख), तथा सम्मेलनों का आयोजन न किए जाने (₹ 25.00 लाख) एवं देयकों के प्राप्त न होने (₹ 1.88 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5,28.97 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2052-091-9056-माध्यस्थम अधिकरण

मूल	96.60		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	-27.23	84.37	83.36
			-1.01

₹ 27.23 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन निर्धारण न होने (₹ 15.54 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 0.68 लाख) एवं देयकों के प्रस्तुत न किए जाने (₹ 4.74 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6.27 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
-----------------------------	------------------	-----------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम

2505—ग्राम रोजगार

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054—सड़कें तथा सेतु

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 3,85,82,29

पूरक 87,82,34

4,73,64,63

4,47,38,36

—26,26,27

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

35,82

(31 मार्च 2012)

प्रभारित—

1,00

..

—1,00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

पूंजीगत :

दत्तमत

54,38,50

44,88

—53,93,62

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,47,38.36 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 38,48.23 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2011 (₹ 25,77.90 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 23,58.21 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 26,26.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 35.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7291-आम आदमी बीमा योजना	5,00.00	1,50.00	-3,50.00
(2) 2501-02-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	7,53.90	4,93.77	-2,60.13
उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2501-02-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम	50.00	..	-50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 2501-05-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5077-एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम	2,32.65	69.54	-1,63.11
(5) 2501-06-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर- मूल 1,66.37 पूरक 1,52.65	3,19.02	2,57.70	-61.32
उपरोक्त कम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2505-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 1,10,15.00 पुनर्वि. -2,36.11	1,07,78.89	1,02,31.32	-5,47.57
₹ 2,36.11 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 12.00 लाख), राज्यांश के कम प्राप्त होने (₹ 2,24.11 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(7) 2505-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6768-बेरोजगारी भत्ता निधि हेतु अनुदान	25.00	..	-25.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(8) 2505-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजिविका योजना- पूरक 1,14.84	1,14.84	37.50	-77.34
(9) 2515-001-1033-विकास खंड कार्यालय	15,25.75	12,66.28	-2,59.47
उपरोक्त कम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(10) 2515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7410-बी.पी.एल.0 सर्वेक्षण	7,39.20	..	-7,39.20

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515-800-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 3,12.95 2,71.07 -41.88

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(12) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-

मूल 27,78.50

पूरक 13.50 27,92.00 25,43.06 -2,48.94

(13) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-

मूल 41,56.50

पूरक 10.00 41,66.91 39,96.26 -1,70.65

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 30-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2516-03-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6549-इंदिरा आवास योजना-			
मूल 17,30.30			
पूरक 29,25.50			
पुनर्वि. 83.17	47,38.97	47,08.15	-30.82

₹ 83.17 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन राज्यांश की अतिरिक्त मांग किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2501-06-196-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
8701-स्वर्ण जयंती ग्राम योजना-

मूल 12,08.93

पुनर्वि. 1,24.94 13,33.87 13,33.87 ..

₹ 1,24.94 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन राज्यांश की अतिरिक्त मांग किये जाने के कारण सूचित की गई है।

(3) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
1033-विकास खण्ड कार्यालय

18,13.85

21,83.59

+3,69.74

अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार-

मूल 59,41.87

पूरक 5,08.85

पुनर्वि. -15.42 64,35.30 65,23.60 +88.30

₹ 15.42 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 1.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 53,93.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण	3,00.00	..	-3,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	50,85.50	4.47	-50,81.03

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	14,90,45		
पूरक	1,49,65	16,40,10	13,48,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—2,91,83 50,37
<i>प्रभारित</i>	40	..	—40
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 1,24.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 4.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 21.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,49.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,91.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 50.37 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना मण्डल-			
मूल	1,84.15		
पूरक	28.65		
पुनर्वि.	-49.85	1,62.95	1,57.07
			-5.88
₹ 49.85 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन	1,39.35	78.25	-61.10
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 3454-02-201-512-नमूना सर्वेक्षण	1,17.40	73.18	-44.22
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 31-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय-			
मूल	10,19.95		
पूरक	8.00	10,27.95	9,75.98
			-51.97
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3454-02-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	5.00		
पूरक	1,03.00	1,08.00	42.92
			-65.08
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित-

(iv) यद्यपि ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, केवल ₹ 0.20 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन
- 2029—भू—राजस्व
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
- 2051—लोक सेवा आयोग
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2056—जेल
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

- 2401—फसल कृषि—कर्म
 2403—पशुपालन
 2405—मछली पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2425—सहकारिता
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2701—मध्यम सिंचाई
 2702—लघु सिंचाई
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
 3054—सड़क तथा सेतु
 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—समाप्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
	(₹ हजार में)		
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	46,10,20		
पूरक	12,00,00	58,10,20	57,17,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—92,99
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>..</i>	<i>—10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>..</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,00	96	—4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<i>..</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 92.99 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी के वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण बजट नियुत्रण को इंगित करता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
-------	-----	----------	---------

(1) 2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन

मूल 17,78.00

पूरक 5,20.00

22,98.00

22,64.75

-33.25

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2220-60-106-1479-जिला प्रचार और

चल इकाई की स्थापना—

मूल 5,05.50

पूरक 30.00

5,35.50

4,79.19

-56.31

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33-आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत—

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े
वर्गों का कल्याण

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 9,73,49,70

पूरक 13,07,40

9,86,57,10

8,59,35,35

-1,27,21,75

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

30,90,08

(31 मार्च 2012)

प्रभारित

1,00

..

-1,00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,00

(31 मार्च 2012)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 5,50.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 5,55.00 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 2,02.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,07.40 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,27,21.75 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध केवल ₹ 30,90.08 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2225-02-001-1483-जिला प्रशासन-			
मूल	22,77.50		
पूरक	55.00		
पुनर्वि.	-93.50	22,39.00	20,75.32
			-1,63.68

₹ 93.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 97.60 लाख की कमी एवं ₹ 4.10 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों की मांग एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225-02-277-1395-छात्रावास-			
मूल	57,17.00		
पूरक	4,06.60		
पुनर्वि.	-1,58.93	59,64.67	52,31.55
			-7,33.12

₹ 1,58.93 लाख की प्रत्याशित बचत के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 2225-02-277-2772-प्राथमिक शालाएं-			
मूल	3,75,35.00		
पुनर्वि.	-11,13.07	3,64,21.93	2,70,29.53
			-93,92.40

₹ 11,13.07 लाख की प्रत्याशित बचत के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2225-02-277-363-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	3,85.70		
पुनर्वि.	-37.70	3,48.00	2,87.92
			-60.08

₹ 37.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 45.97 लाख की कमी एवं ₹ 8.27 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों की मांग एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2225-02-277-495-आश्रम और शालाएं-			
मूल	52,45.50		
पूरक	2,65.80		
पुनर्वि.	-8,44.41	48,66.89	39,95.84
			-8,71.05

(6) 2225-02-277-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं-			
मूल	1,15,61.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	-3,39.85	1,12,51.15	1,08,90.32
			-3,60.83

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,44.41 लाख एवं ₹ 3,39.85 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2225-02-277-979-क्रीड़ा परिसर-

मूल	4,93.50			
पुनर्वि.	-23.72	4,69.78	4,23.75	-46.03

₹ 23.72 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 19.45 लाख) एवं निधियों की मांग प्राप्त न होने (₹ 4.27 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(8) 2225-02-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-

5325-व्यवसायिक

प्रशिक्षण शिक्षा-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-1,92.13	1,07.87	1,07.87	..

₹ 1,92.13 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(9) 2225-02-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
334-आदिवासी अन्वेषण संस्था-			
मूल	1,27.60		
पुनर्वि.	-71.78	55.82	51.08
			-4.74

₹ 71.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 59.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 11.85 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रवधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2225-02-277-3492-माध्यमिक शालाएं-			
मूल	2,53,93.00		
पुनर्वि.	-2,25.67	2,51,67.33	2,71,44.08
			+19,76.75

₹ 2,25.67 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। वर्ष 2005-06 से वर्तमान तक इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था। अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 2,25.67 लाख की प्रत्याशित बचत अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण थी।

प्रभारित-

(v) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	36,16,83		
पूरक	2,76,53	38,93,36	31,78,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—7,14,98 7,93,46
<i>प्रभारित</i>	40	..	—40 40
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2012)			
पूंजीगत:			
दत्तमत	10,00	5,00	—5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			5,00
टीका एवं टिप्पणी:			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 2,48.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 28.53 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,76.53 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,14.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 7,93.46 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन-			
मूल	11,30.10		
पूरक	18.53		
पुनर्वि.	-1,79.64	9,68.99	+16.78

₹ 1,79.64 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 6.33 लाख) एवं नए जिलों में रिक्त पदों की की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,72.51 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.80 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2235-02-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
7491-निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास-			
पूरक	1,48.00		
पुनर्वि.	-1,31.00	17.00	..

₹ 1,31.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5650-जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र-			
मूल	64.45		
पुनर्वि.	-44.09	20.36	+6.78

₹ 44.09 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की की पूर्ति न किए जाने (₹ 38.07 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6.02 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7462-राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-20.15	29.85	..

₹ 20.15 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की की पूर्ति न किए जाने (₹ 20.00 लाख) एवं यात्रा देयकों के प्राप्त न होने (₹ 0.15 लाख) के कारण सूचित की गई है।

(5) 2235-02-106-3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-			
मूल	2,45.75		
पुनर्वि.	-38.38	2,07.37	+8.35

₹ 38.38 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 1.75 लाख) के कारण सूचित सूचित की गई है। शेष ₹ 36.63 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय

अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-

मूल 55.71

पुनर्वि.

-26.16

29.55

29.76

+0.21

₹ 26.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की की पूर्ति न किए जाने (₹ 21.25 लाख) एवं देयकों के प्राप्त न होने (₹ 2.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 2.23 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5490-राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्त जन-

मूल 2,65.25

पुनर्वि.

-1,35.10

1,30.15

1,57.44

+27.29

₹ 1,35.10 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने (₹ 5.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,30.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 34-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5257-समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थओं को सहायक अनुदान-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	-51.00	19.00	19.00

₹ 51.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भिक्षुओं एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए निशुल्क आवास केन्द्रों का निर्माण न किए जाने (₹ 21.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(9) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7014-वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना-

मूल 2,31.00

पुनर्वि.

-1,16.29

1,14.71

1,17.30

+2.59

₹ 1,16.29 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3921-विकलांग एवं अपंगों की सहायता के लिए योजना-			
मूल	1,60.00		
पूरक	1,00.00		

		142		
पुनर्वि.	24.87	2,84.87	2,83.51	-1.36

₹ 24.87 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 45.75 लाख की वृद्धि तथा ₹ 20.88 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निःशक्त जनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना में हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई। कमी निःशक्त विद्यार्थियों की संख्या में कमी के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया ।

पूँजीगत :

दत्तमत—

¼vi½ प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं—			
मूल	5.00		
पुनर्वि.	-5.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 35-पुर्नवास

(सभी दत्तमत)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष—

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व	2,08,97	1,12,21	-96,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			96,15

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 96.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 96.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2235-01-001-2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नए)—			
मूल	25.30		
पुनर्वि.	-7.21	18.09	18.11
			+0.02

₹ 7.21 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययता उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235-01-200-3135-भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से टाये नव अप्रवासियों के पुनर्स्थापन-

मूल	30.00			
पुनर्वि.	-30.00

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विस्थापितों के लिए अनुदान स्वीकृत न होने के कारण सूचित की गई है।

(3) 2235-01-200-4625-स्थायी दायित्व गृह माना, जिला रायपुर का संचालन-

मूल	1,53.67			
पुनर्वि.	-58.94	94.73	94.10	-0.63

₹ 58.94 लाख की प्रत्याशित बचत सैन्य अधिकारी की पदस्थापना न होने एवं मितव्ययिता उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2003-04 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36-परिवहन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
-----------------------------	------------------	-----------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष-

2013-मंत्री परिषद

2041-वाहन कर

2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	28,97,41			
पूरक	3,21,82	32,19,23	22,22,72	-9,96,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित-

मूल	20,10			
पूरक	2,86	22,96	..	-22,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूंजीगत :

दत्तमत	10,00,00		10,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से रहा, सितम्बर (₹ 2,32.22 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 10.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 79.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,21.82 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9,96.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2013-108-3283-मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	83.16		
पूरक	163.22	2,46.38	1,07.45
			-1,38.93
(2) 2041-001-3565-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,71.00		
पूरक	64.60	2,35.60	1,80.70
			-54.90

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार—			
मूल	13,63.20		
पूरक	15.00	13,78.20	7,68.75
			-6,09.45
(4) 2041-102-679-इनफोर्समेंट	6,60.20	5,23.06	-1,37.14
(5) 2052-090-4327-सचिवालय—			
मूल	45.00		
पूरक	45.00	90.00	48.51
			-41.49

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 22.96 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

	(सभी दत्तमत) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
3452—पर्यटन			
5452—पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	32,35,00	32,35,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत	25,60,50	11,10,79	-14,49,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत:

(i) ₹ 14,49.71 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट प्रक्रिया पर पर्याप्त नियंत्रण का न होना दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
7009-प्रत्येक जिलों में पर्यटन
केन्द्रों का विकास

17,60.50

3,10.79

-14,49.71

बचत के कारण स्वीकृत नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2408-खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408-खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	8,74,96,90		
पूरक	35,25	8,75,32,15	8,65,42,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-9,89,54 9,08,71
<i>प्रभारित</i>	50	..	-50
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			50
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	3,83,00,00		
पूरक	31,87,50	4,14,87,50	4,06,76,65
			-8,10,85

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012)

8,10,83

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम है, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 9,89.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 9,08.71 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2235-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6839-मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना- मूल 4,74,10.00 पुनर्वि. -75.85	4,73,34.15	4,73,54.59	+20.44

₹ 75.85 लाख की प्रत्याशित बचत राशन कार्ड के नवीनीकरण में मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निधि की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय- मूल 11,10.80 पूरक 30.00 पुनर्वि. -1,98.69	9,42.11	8,35.82	-1,06.29

₹ 1,98.69 लाख की प्रत्याशित बचत नए जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति- मूल 2,00.00 पुनर्वि. -2,00.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नागरिक आपूर्ति विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2408-01-102-6964-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता- मूल 1,85.10 पुनर्वि. -1,60.32	24.78	24.78	..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----

₹ 1,60.32 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी न किए जाने (₹ 1,29.00 लाख), नागरिक आपूर्ति विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 27.00 लाख) एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने तथा निधि के लिए कम मांग प्राप्त होने (₹ 4.32 लाख) के कारण सूचित की गई है।

(5) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
----------------------------------------------	--	--	--

7432-विशिष्ट पहचान परियोजना

"आधार" का क्रियान्वयन-

मूल 1,00.00

पुनर्वि. 1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निदेशक राष्ट्रीय जनगणना को विशिष्ट पहचान परियोजना "आधार" के स्थानांतरण से कोई भी व्यय न होने के कारण सूचित की गई है।

(6) 3475-106-6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय-

मूल 3,77.75

पूरक 1.20

पुनर्वि. -1,08.30

2,70.65

2,71.09

+0.44

₹ 1,08.30 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 8,10.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 8,10.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 39-समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 6408-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6914-पहुंच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भण्डारण हेतु सहायता-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-1,44.95	1,55.05	1,55.03
			-0.02

₹ 1,44.95 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से बजट अनुमान की तुलना में निधियों की मांग कम प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है तथा यह मांग के पुर्वानुमान पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6408-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6777-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणनसंघ

को बारदाना क्य हेतु ऋण-

मूल 2,25,00.00

पूरक 31,87.50

पुनर्वि. -6,65.88

2,50,21.62

2,50,21.62

..

₹ 6,65.88 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विपणन संघ से कम मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,53,41		
पूरक	9,87	4,63,28	4,55,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 मार्च 2012)			—8,19
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>..</i>	<i>—20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 मार्च 2012)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	38,88,00	38,71,36	—16,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 मार्च 2012)			1,33
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 8.19 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 23 मार्च 2012 को किया गया ₹ 12.39 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3436-महानदी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	1,04.01		
पूरक	1.45		
पुनर्वि.	-9.77	95.69	92.07
(2) 2705-210-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5593-हसदेव विकास प्राधिकरण-			
मूल	58.60		
पुनर्वि.	-2.62	55.98	52.93
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 9.77 लाख तथा ₹ 2.62 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2705-210-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6304-सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1,17.00	67.26	-49.74
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 40- समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6305-सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1,59.80	2,23.37	+63.57

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहते हुए भी 23 मार्च 2012 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 16.64 लाख की उपलब्ध के विरुद्ध 23 मार्च 2012 केवल ₹ 1.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) उचंत लेन देन :-

उचंत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2011 को नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2012 को नामे+ जमा-
(₹ लाख में)				
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	-4.74	-4.74
(2) भण्डार	-0.03	-0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	+15.07
योग	+10.30	+10.30

अनुदान संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष-

- 2202-सामान्य शिक्षा
- 2203-तकनीकी शिक्षा
- 2205-कला एवं संस्कृति
- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई
- 2216-आवास
- 2217-शहरी विकास
- 2220-सूचना तथा प्रचार
- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230-श्रम तथा रोजगार
- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236-पोषण
- 2401-फसल कृषि-कर्म
- 2402-मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403-पशु-पालन
- 2405-मछली-पालन
- 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
- 2425-सहकारिता
- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505-ग्राम रोजगार

- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत
 2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	30,18,89,84		
पूरक	1,40,81,05	31,59,70,89	—6,41,76,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			5,63,02,85
<i>प्रभारित</i>	10	..	—10
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	11,80,56,21		
पूरक	2,89,24,82	14,69,81,03	—5,92,69,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			5,61,71,72
<i>प्रभारित</i>			

मूल	15,00			
पूरक	2,19,65	2,34,65	2,24,34	-10,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 69,95.40 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 35,99.92 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 34,85.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,40,81.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,41,76.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 5,63,02.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-01-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए कार्यक्रम— मूल 3,80.00 पुनर्वि. -2,90.32	89.68	89.68	..

₹ 2,90.32 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल.— मूल 2,00.00 पुनर्वि. -1,20.59	79.41	79.41	..

₹ 1,20.59 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2773-प्राथमिक शालाएं— मूल 67,17.00 पुनर्वि. -1,00.59	66,16.41	58,93.32	-7,23.09
(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 494-आश्रम— मूल 61,03.30 पूरक 13,15.00 पुनर्वि. -2,55.25	71,63.05	64,53.24	-7,09.81

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,00.59 लाख तथा ₹ 2,55.25 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण

सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत तथा 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना-				
मूल	14,00.00			
पुनर्वि.	-5,94.92	8,05.08	8,05.31	+0.23

₹ 5,94.92 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय-				
मूल	16,00.00			
पुनर्वि.	-37.11	15,62.89	15,26.89	-36.00

₹ 37.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
7437-मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना-				
मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-2,11.50	88.50	88.45	-0.05

₹ 2,11.50 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने (₹ 1,12.20 लाख) एवं शेष ₹ 99.30 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2202-01-796-111-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-			
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
5396-सर्व शिक्षा अभियान-			
मूल	3,10,00.00		
पुनर्वि.	-2,11,75.66	98,24.34	98,24.34

₹ 2,11,75.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-				
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-				
मूल	45,76.00			
पुनर्वि.	-10,51.90	35,24.10	34,45.45	-78.65

₹ 10,51.90 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 25.73 लाख) एवं निधियों के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने (₹ 10,26.17 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-				
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				

6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों
में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम—
मूल 27,50.00
पुनर्वि. -4,48.50

23,01.50

24,11.99

+1,10.49

₹ 4,48.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 3,99.00 लाख) छात्रों की उपस्थिति पंजीयन संख्या से कम रहने (₹ 49.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-02-796-109-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
2675—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां—
मूल 6,00.00
पूरक 26,11.00
पुनर्वि. -93.90

31,17.10

30,81.10

-36.00

₹ 93.90 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(12) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
6794—सूचना एवं
संचार तकनीकी—
मूल 14,00.00
पुनर्वि. -14,00.00

..

..

..

₹ 14,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निविदा को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(13) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 50,00.00 पुनर्वि. -21,71.85	28,28.15	28,28.15	..
₹ 21,71.85 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(14) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1398—छात्रावास—
मूल 38,57.80
पूरक 6,15.00
पुनर्वि. -3,84.18

40,88.62

40,88.62

-3,12.52

₹ 3,84.18 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5052—सूचना शक्ति योजना—
मूल 3,50.00
पुनर्वि. -3,22.64

27.36

27.35

-0.01

₹ 3,22.64 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के बंद होने एवं दावों के लंबित न रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 581-उच्चतर माध्यमिक शाला-				
मूल	71,61.50			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	-4,32.32	68,29.18	68,50.23	+21.05

₹ 4,32.32 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 585-व्यवसायिक शिक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति-				
मूल	60.00			
पुनर्वि.	-46.67	13.33	13.33	..

₹ 46.67 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 6503-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ-				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना-			
मूल	2,75.00		
पुनर्वि.	-2,67.76	7.24	17.37
			+10.13

₹ 2,67.76 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने (₹ 79.26 लाख) एवं योजना के कार्यान्वयन न होने (₹ 1,88.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 762-कन्या शिक्षा परिसर-				
मूल	2,27.80			
पुनर्वि.	-53.29	1,74.51	1,35.39	-39.12

₹ 53.29 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 9817-शिक्षा का व्यवसायीकरण-				
मूल	2,37.50			
पुनर्वि.	-76.20	1,61.30	1,42.12	-19.18

₹ 76.20 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22)	2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय	11,20.00	10,50.00	-70.00
(23)	2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर- विश्वविद्यालय	11,20.00	5,65.64	-5,54.36
(24)	2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय	7,00.00	5,00.00	-2,00.00
(25)	2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	20,10.60	17,33.62	-2,76.98

उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत तथा 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(26) 2202-80-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	18,34.00		
पुनर्वि.	-12,41.73	5,92.27	5,91.82
			-0.45
(27) 2203-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	6,99.00		
पुनर्वि.	-4,66.28	2,32.72	2,38.59
			+5.87
(28) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2667-पॉलीटेक्निक-			
मूल	1,25.00		

₹ 12,41.73 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के विमुक्त नही किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूरक	30.00			
पुनर्वि.	-86.16	68.84	1,12.74	+43.90

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 4,66.28 लाख एवं ₹ 86.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (27) एवं 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2210-01-796-001-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7476-संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय		1,00.00	8.92	-91.08
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	------	--------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(30) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय- मूल	13,31.40			
पूरक	20.00	13,51.40	10,58.00	-2,93.40

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(31) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल	21,43.00			
पुनर्वि.	51.90	21,94.90	14,43.15	-7,51.75

₹ 51.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(32) 2210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	2,21.70	94.80	-1,26.90

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2210-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- (मूल भूत सुविधाएं)- मूल	46,12.50			
पुनर्वि.	-2,60.30	43,52.20	35,16.27	-8,35.93

₹ 2,60.30 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,74.30 लाख की कमी तथा ₹ 14.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं निधियों में वृद्धि छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लागू किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2210-04-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- अनुसूचित जन जाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

चिकित्सालयों में भारतीय
चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ
की स्थापना

1,60.00 82.73 -77.27

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय
चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ
की स्थापना

12,19.30 10,50.19 -1,69.11

(36) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय-
चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना

2,42.40 58.75 -1,83.65

उपरोक्त क्रम संख्या (35) एवं (36) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (35) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (36) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5689-चिकित्सा महाविद्यालय
जगदलपुर की स्थापना

12,53.20 10,62.53 -1,90.67

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-2008 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(38) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम
से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण

36.10 1,52.17 -2,83.93

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(39) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
1104-गलगण्ड रोग नियंत्रण

46.40 0.51 -45.89

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(40) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
4244-शीत ज्वर-
मूल 6,38.00
पुनर्वि. 2.10

6,40.10 5,14.79 -1,25.31

₹ 2.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(41) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
7353-राष्ट्रीय ग्रामीण
पेयजल योजना

42,00.00 40,13.19 -1,86.81

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42)	2215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7458-चलित प्रयोगशाला की स्थापना	1,35.00	45.00	-90.00
	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(43)	2215-01-796-191-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6743-जगदलपुर जल प्रदाय योजना-	1,75.00	..	-1,75.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(44)	2215-01-796-191-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6780- अम्बिकापुर (बाह्य) जल प्रदाय योजना	2,00.00	1,13.81	-86.19
	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(45)	2215-01-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7314-कांकेर जलप्रदाय योजना	2,00.00	..	-2,00.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(46)	2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7454-बस्तर जल प्रदाय आवर्धन योजना	75.00	..	-75.00
(47)	2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7455-फरस गांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
(48)	2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7456-केशकाल जल प्रदाय योजना	50.00	..	-50.00
	उपरोक्त क्रम संख्या (46) से (48) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(49) 2216-03-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6549-इंदिरा आवास योजना- मूल 13,15.03 पूरक 21,45.14 पुनर्वि. -1,57.00	33,03.17	32,28.60	-74.57
	₹ 1,57.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2012)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।		
(50) 2217-80-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6807-एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना- मूल 1,04.00 पुनर्वि. -1,04.00
	₹ 1,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।		

- (51) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-
5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में
स्थानीय विकास कार्यक्रम-
मूल 77,40.00
पूरक 10,44.40 87,84.40 72,35.98 -15,48.42
- (52) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-
5212-माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम-
मूल 6,21.00
पूरक 1,83.70 8,04.70 6,54.86 -1,49.84
- उपरोक्त क्रम संख्या (51) एवं (52) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।
- (53) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6937-वायुयान पायलट प्रशिक्षण योजना-
मूल 45.00
पूरक -44.50 0.50 0.50 ..
- ₹ 44.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।
- (54) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
3728-आदिवासी संस्कृति
का संवर्धन अनुसंधान
प्रशिक्षण एवं विकास-
मूल 2,57.90
पुनर्वि. -73.24 1,84.66 1,86.58 +1.92
- ₹ 73.24 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

- | शीर्ष | कुल
अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य+
बचत- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| (55) 2225-02-796-800-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना
के लिये भारत सरकार से
अलावा राशियों से पोषित-
9819-विशेष पिछड़ी
जनजाति समूह
अभिकरण-
मूल 6,00.00
पूरक 1,77.40 7,77.40 6,44.51 -1,32.89 | | | |
| बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। | | | |
| (56) 2225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
7320-राज्य आदिवासी
अनुसंधान सस्थान-
मूल 79.00
पुनर्वि. -79.00 | | | |
| ₹ 79.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था। | | | |

(57) 2225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
9853-आदिवासी संस्कृति का
परीक्षण एवं विकास-

मूल	4,34.00			
पुनर्वि.	-59.92	3,74.08	3,92.90	+18.82

₹ 59.92 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(58) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
8272-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन
करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को
रोजगारी भत्ता-

मूल	1,55.00			
पुनर्वि.	-87.58	67.42	66.96	-0.46

₹ 87.58 लाख की प्रत्याशित बचत योग्य आवेदकों की संख्या कम होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(59) 2230-03-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-

अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

5176-मिनी आई.टी.आई.

की स्थापना-

मूल	1,90.50			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-1,11.84	78.66	25.99	-52.67

₹ 1,11.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(60) 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5176-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-			
मूल	19,31.15		
पुनर्वि.	-11,58.41	7,72.74	7,87.08
			+14.34

₹ 11,58.41 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

6901-जनजागरण अभियान के

शिविरार्थियों को प्रोत्साहन-

मूल	75.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-50.64	24.36	24.36	..

₹ 50.64 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(62) 2235-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

5650-जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र-				
मूल	57.00			
पुनर्वि.	-57.00			

₹ 57.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(63) 2235-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-				
7361-सबला योजना	3,42.76		1,46.09	-1,96.67

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(64) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-				
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-				
मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00	4,00.00		-4,00.00

₹ 4,00.00 की प्रत्याशित बचत के साथ ही सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(65) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय-				
मूल	15,96.00			
पुनर्वि.	-3,09.34	12,86.66	13,13.88	-27.22

₹ 3,09.34 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(66) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
7365-अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-			
मूल	1,25.00		
पुनर्वि.	-93.48	31.52	36.52
			+5.00

₹ 93.48 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(67) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-				
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-				
414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना-				
मूल	1,41,36.00			
पुनर्वि.	-34,60.98	1,06,75.02	1,05,66.89	-1,08.13

₹ 34,60.98 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन प्रकरणों आदि के कारण कुछ नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन न होने एवं बाल विकास योजनान्तर्गत संचालित महिला स्व सहायता समूहों को कम भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(68) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित				
---------------------------------------------	--	--	--	--

योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—

7361—सबला योजना—

मूल 10,11.82

पुनर्वि. -10,08.04 3.78 26.14 +22.36

₹ 10,08.04 लाख की प्रत्याशित बचत के सबला योजना के विलम्ब से कार्यान्वयित होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(69) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—

विशेष पोषण आहार योजना 10,46.36 8,29.54 -2,16.82

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-2008 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(70) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना—

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—

5411-आईसोपाम

विकास योजना—

मूल 7,52.40

पुनर्वि. -1,96.99 5,55.41 2,44.89 -3,10.52

₹ 1,96.99 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अंत में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(71) 2401-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6820-कृषक समग्र विकास योजना—

मूल 7,60.00

पुनर्वि. -78.84 6,81.16 6,80.70 -0.46

₹ 78.84 लाख की प्रत्याशित बचत गन्ना बीज के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(72) 2401-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 95,00.00 पुनर्वि. -21,50.12	73,49.88	73,82.11	+32.23

₹ 21,50.12 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकतम निधियों के वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(73) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना—

(कारपस ऑफ फण्ड)

11,40.00

6.40

-11,33.60

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(74) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7332-बलराम कृषि यांत्रिकीकरण

प्रोत्साहन योजना—

मूल	7,60.00			
पुनर्वि.	-4,90.18	2,69.82	2,69.82	..

₹ 4,90.18 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2012)।

(75) 2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	मूल	41,80.00			
	पुनर्वि.	-29,93.66	11,86.34	11,96.78	+10.44

₹ 29,93.66 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(76) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-	मूल	2,08.94			
	पुनर्वि.	-1,11.24	97.70	97.70	..

(77) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6831-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना-	मूल	6,92.00			
	पुनर्वि.	-1,22.00	5,70.00	5,70.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (76) एवं (77) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,11.24 लाख एवं ₹ 1,22.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (76) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(78) 2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-	मूल	2,99.55	
	पूरक	31.50	
	पुनर्वि.	-2,54.84	76.21
			75.19
			-1.02
(79) 2403-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	मूल	42,18.00	
	पुनर्वि.	-32,15.74	10,02.26
			10,02.40
			+0.14
(80) 2403-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8317-बस्तर जिले में पशुधन विकास-	मूल	2,54.84	
	पुनर्वि.	-66.70	1,88.14
			1,74.62
			-13.52

उपरोक्त क्रम संख्या (78) से (80) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,54.84 लाख, ₹ 32,15.74 लाख एवं ₹ 66.70 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (78) एवं (79) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (80) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(81) 2406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6886-वन सड़क पर पुल एवं
पुलिया का निर्माण

	21,45.00	19,75.05	-1,69.95
--	----------	----------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(82) 2406-01-796-101-0602-अनुसूचित जनजाति
उपयोजना के लिए भारत सरकार
से अलावा राशियों से पोषित-
3874-वन ग्रामों का विकास

	1,00.00	..	-1,00.00
--	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(83) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5091-लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना-
मूल 2,41.00
पुनर्वि. -1,17.45

	1,23.55	1,23.09	-0.46
--	---------	---------	-------

₹ 1,17.45 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(84) 2406-01-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5231-लघु वनोपज कार्य हेतु
लघु वनोपज संघ
को अनुदान-
मूल 2,00.00
पुनर्वि. -65.00

	1,35.00	1,35.00	..
--	---------	---------	----

₹ 65.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(85) 2406-01-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7322-प्रसंस्करण ईकाई- मूल 2,50.00 पुनर्वि. -1,60.00	90.00	59.95	-30.05

₹ 1,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(86) 2406-02-796-110-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6771-अचानकमार अमरकंटक
बायोस्फेयर रिजर्व का विकास
मूल 2,00.00
पुनर्वि. -1,00.00

	1,00.00	99.89	-0.11
--	---------	-------	-------

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(87) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-

अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
3730-प्रोजेक्ट टाईगर-

मूल	12,50.00			
पूरक	90.00			
पुनर्वि.	-3,82.62	9,57.38	10,81.73	+1,24.35

₹ 3,82.62 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(88) 2406-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

6992-वन अधिकारियों की मान्यता-

मूल	1,50.00			
पुनर्वि.	-6.75	1,43.25	85.13	-58.12

₹ 6.75 लाख की प्रत्याशित बचत दुर्ग, कांकेर एवं सरगुजा वृत्त द्वारा राशि आहरित न किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2012)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(89) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्ति

युक्त करण हेतु

ब्याज अनुदान-

मूल	34,20.00			
पूरक	8,49.84			
पुनर्वि.	-8,49.84	34,20.00	34,20.00	..

₹ 8,49.84 लाख की अनुपूरक अनुदान की प्रत्याशित बचत कृषकों को वर्ष 2011-12 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने हेतु ₹ 18,00,00.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी पूर्ति शत प्रतिशत नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार द्वारा भी अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषकों को 3.5 प्रतिशत की दर से दिये जाने वाले ब्याज अनुदान में वृद्धि कर 5 प्रतिशत किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का व्यय भार कम होने के कारण राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(90) 2501-05-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5077-एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम-			
मूल	1,76.81		
पुनर्वि.	-1,34.65	42.16	42.16
			..

₹ 1,34.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2012)।

(91) 2501-06-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-

योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

8775-जिला स्तर प्रशासनिक

योजनाएं-

मूल	1,26.45			
पूरक	1,15.84			
पुनर्वि.	-45.37	1,96.92	1,95.03	-1.89

- (92) 2505-60-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-
अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना-

मूल 1,14,00.00

पुनर्वि. -56,69.51

57,30.49

57,30.49

..

उपरोक्त क्रम संख्या (91) एवं (92) के शीर्षान्तर्गत ₹ 45.37 लाख तथा ₹ 56,69.51 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के द्वारा जारी केन्द्रांश के सदृश राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई हैं (जुलाई 2012)। के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (91) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (93) 2702-02-796-016-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5478-वृष्टि छाया क्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना-

मूल 2,00.00

पुनर्वि. -1,09.60

90.40

1,20.57

+30.17

₹ 1,09.60 लाख की प्रत्याशित बचत नलकूप के खनन पर प्रतिबन्ध लगाने (₹ 69.50 लाख) एवं शेष ₹ 40.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (94) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6825-राजीव गांधी ग्रामीण
विद्युतीकरण कार्यक्रम-

मूल 9,05.08

पुनर्वि. -9,05.08

..

..

..

₹ 9,05.08 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (95) 2851-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना
6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-

मूल 12,50.00

पुनर्वि. -5,01.24

7,48.76

7,47.08

-1.68

₹ 5,01.24 लाख बचत की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-	
(96) 2851-796-104-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7485-बांस शिल्प केन्द्र की स्थापना-	पूरक 5,00.00	5,00.00	1,40.00	-3,60.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (97) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5690-अरंण्डी रेशम/सिल्क विकास एवं विस्तार-

मूल 1,35.00

पुनर्वि. -1,21.50

13.50

13.98

+0.48

₹ 1,21.50 लाख की प्रत्याशित बचत अत्यधिक वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अरंण्डी पौधों का रोपण न किए जाने (₹ 28.00 लाख) एवं हितग्राहियों की इस योजना में रुचि न होने (₹ 93.46 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(98) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना-	मूल	5,00.00			
	पुनर्वि.	-5,00.00
(99) 2852-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5451-अंशुपंजी सहायता योजना-	मूल	1,00.00			
	पुनर्वि.	-1,00.00
(100) 2852-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7395-क्रेडिट गारंटी फण्ड-	मूल	4,00.00			
	पुनर्वि.	-4,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (98) से (100) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख तथा ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (99) एवं (100) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(101) 2853-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	25,15.00	23,30.61	-1,84.39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2202-01-796-001-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2721-प्रशासन का सदृढीकरण-विकास खण्ड स्तर			
मूल	19,66.00		
पुनर्वि.	-21.32	19,44.68	20,31.98
			+87.30

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 21.32 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3496-पूर्व माध्यमिक शालाएं-			
मूल	1,11,10.00		
पुनर्वि.	-18.87	1,10,91.13	1,36,65.90
			+25,74.77

₹ 18.87 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-हाई स्कूल-	मूल	27,77.00
----------------------------------------------------------------------	-----	----------

पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	-12.97	28,64.03	39,83.07	+11,19.04

₹ 12.97 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

- (4) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5551-हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क
सायकल प्रदाय-

मूल	13,20.00			
पूरक	1,50.00			
पुनर्वि.	1,73.18	16,43.18	16,22.49	-20.69

₹ 1,73.18 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में बचत प्रावधान में ₹ 2,48.20 लाख की कमी तथा ₹ 75.02 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (5) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
6140-छात्रा भोजन सहाय योजना-

मूल	1,77.00			
पुनर्वि.	78.71	2,55.71	2,61.23	+5.52

₹ 78.71 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 86.45 लाख की वृद्धि तथा ₹ 7.74 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (6) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
620-उप स्वास्थ्य केन्द्र-

मूल	18,50.80			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	1,92.30	20,43.10	24,35.34	+3,92.24

₹ 1,92.30 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन छठवें वेतनमान में वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(7) 2215-01-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1224-ग्रामीण सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	45.00	90.62	+45.62

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (8) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
5601-बस्तर विकास
अभिकरण-

मूल	35,00.00			
पुनर्वि.	13,88.93	48,88.93	48,67.68	-21.25

₹ 13,88.93 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,11.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (9) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-

2536—पर्यावरण वानिकी	4,00.00	4,53.09	+53.09
----------------------	---------	---------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(10) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 2962—बिगड़े वनों का सुधार—			
मूल	43,00.00		
पुनर्वि.	2,00.00	45,00.00	44,07.32
			-92.68

₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(11) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 6723—संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण	2,00.00	2,73.50	+73.50
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(12) 2515—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 5495—मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन—			
मूल	11,59.10		
पुनर्वि.	-13.73	11,45.37	11,94.82
			+49.45

₹ 13.73 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(13) 2515—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			
मूल	13,39.82		
पूरक	12.50		
पुनर्वि.	-13.53	13,38.79	16,69.97
			+3,31.18

₹ 13.53 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(14) 2702—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 5479—नलकूप स्थापना पर अनुदान—			
मूल	5,70.00		
पुनर्वि.	58.33	6,28.33	6,31.11
			+2.78

₹ 58.33 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 69.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 11.17 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि नलकूपों की मांग होने के कारण सूचित की गई है। निधियों में कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(15) 2801—06—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 6501—एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान—			
मूल	22,83.60		

पुनर्वि. 9,05.00 31,88.60 31,88.60 ..

₹ 9,05.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने पर भी वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा,, सितम्बर 2011 (₹ 2,57,28.31 लाख) एवं दिसम्बर 2011 ₹ 31,96.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,89,24.82 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 5,92,69.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 5,61,71.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन— मूल 60,00.00 पुनर्वि. -60,00.00

₹ 60,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन— मूल 50,00.00 पुनर्वि. -50,00.00

₹ 50,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नए कार्यों के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7367-मॉडल स्कूल योजना—			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

मूल	20,38.50			
पुनर्वि.	-20,38.50

₹ 20,38.50 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5086-महाविद्यालय भवनों का निर्माण	50.00	-50.00
----------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----	--------

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5176-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-				
मूल	7,00.00			
पुनर्वि.	-4,20.05	2,79.95	2,79.95	..

₹ 4,20.05 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न कारणों से निविदाओं के निरस्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7438-स्टेट रिकल डव्हलपमेंट मिशन-				
पूरक	46,00.00			
पुनर्वि.	-46,00.00

₹ 46,00.00 लाख के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।

(7) 4202-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5176-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-				
मूल	11,50.00			
पुनर्वि.	-10,23.01	1,26.99	1,26.99	..

₹ 10,23.01 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन क्य नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(₹ लाख में)	
(8) 4202-02-796-104-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	13,50.00		
पुनर्वि.	-5,03.07	8,46.93	6,53.49
			-1,93.44
₹ 5,03.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2667-पॉलीटेक्निक-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-63.42	1,36.58	1,36.58
			..

₹ 63.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4945-तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण-	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि.	-1,91.94	1,08.06	1,08.06

₹ 1,91.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी

(11) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय		1,00.00	..	-1,00.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय		1,10.00	..	-1,10.00
----------------------------------------------------------------------------	--	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण		15,00.00	8,66.78	-6,33.22
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना		6,25.00	64.15	-5,60.85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(15) 4210-04-796-112-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	1,00.00	..	-1,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5403-ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजना		5,00.00	34.12	-4,65.88
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	-------	----------

(17) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 693-औजार एवं संयंत्र-	मूल	1,10.00		
	पूरक	सांकेतिक	1,10.00	9.60
				-1,00.40

(18) 4216-01-796-700-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7460-आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को आवासीय गृह	5,00.00	4,35.86	-64.14
(19) 4225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}- मूल	72,00.00		
पूरक	5,77.30	77,77.30	73,76.79
			-4,00.51

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4515-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7493-विधान सभा क्षेत्र विकास योजना	14,50.00	3,09.00	-11,41.00
------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(21) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य- मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	3,05.74	4,05.74	51.77
			-3,53.97

₹ 3,05.74 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 44.26 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि निर्माण कार्य के लिए एवं निधियों में कमी आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं सम्बद्धकार्य- मूल	10,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-7,75.00	2,25.00	5,78.72
			+3,53.72

₹ 7,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(23) 4702-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7405-मरम्मत/नवीनीकरण/ पुनरोद्धार- मूल	70,00.00		
पुनर्वि.	-56,00.00	14,00.00	3,49.81
			-10,50.19

₹ 56,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने (₹ 37,00.00 लाख) एवं ऐजेन्सी का निर्धारण न होने (₹ 9,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(24) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना- मूल	89,00.00		
पूरक	70,00.00		

पुनर्वि.	-51,90.17	1,07,09.83	1,15,81.03	+8,71.20
(25) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
5059-एनीकट/स्टापडेम का निर्माण-				
मूल	80,00.00			
पूरक	60,00.00			
पुनर्वि.	-68,16.33	71,83.67	70,40.17	-1,43.50

उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 51,90.17 लाख एवं ₹ 68,16.33 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
7405-मरम्मत/पुनर्नवीकरण/पुनरोद्धार-				
पूरक	60,00.00			
पुनर्वि.	-60,00.00

₹ 60,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
7422-औद्योगिक जल आधारभूत विकास-				
मूल	1,00,00.00			
पूरक	0.01			
पुनर्वि.	-79,87.59	20,12.42	19,23.27	-89.15

₹ 79,87.59 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(28) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
4871-सड़क पर पुलों का निर्माण-				
"प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना"-				
मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	-20,00.00

₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत डी. पी. आर से संबंधित कार्य के प्रक्रियाधीन होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(29) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	-5,00.00

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संवेदन शील क्षेत्र में कांकीट शेड का निर्माण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-				
7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-				
मूल	49,14.50			
पुनर्वि.	-49,09.12	5.38	5.34	-0.04

₹ 49,09.12 लाख की प्रत्याशित बचत मृदा कार्य, आबंटित कार्य एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन "मनरेगा" के अन्तर्गत किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(31) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	5,00.00	3,99.33	-1,00.67
------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 6408-02-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 6777-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को वारादाने क्य हेतु ऋण-			
मूल	1,71,00.00		
पूरक	24,22.50		
पुनर्वि.	-5,06.07	1,90,16.43	1,90,16.43

₹ 5,06.07 लाख की प्रत्याशित बचत विपणन संघ द्वारा कम राशि की मांग किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(1) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन-			
मूल	20,40.00		
पुनर्वि.	19,18.00	39,58.00	39,94.35
			+36.35

₹ 19,18.00 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 82.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि अपूर्ण भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। निधियों में कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4215-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 5699-स्कूलों में प्रयोगशाला की व्यवस्था	50.00	1,49.00	+99.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना 4342-सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य-			
मूल	9,00.00		
पूरक	25.00	9,25.00	10,63.70
			+1,38.70

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 4515-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 5381-जन सहयोग योजना	3,42.00	6,65.16	+3,23.16
-----------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 4515-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 8284-संसदीय क्षेत्र विकास योजना	14,50.00	22,50.16	+8,00.16
-----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(6) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
2898-बांध तथा संलग्न कार्य-

मूल	11,25.00			
पुनर्वि.	8,96.25	20,21.25	19,22.99	-98.26

₹ 8,96.25 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 9,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3.75 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि निर्माण कार्यों के लम्बित देयताओं के भुगतान के कारण सूचित की गई है। निधियों में कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(7) 4701-33-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-

मूल	91.60			
पुनर्वि.	9,56.82	10,48.42	10,65.89	+17.47

₹ 9,56.82 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 43.18 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण तथा निधियों में कमी आबंटित कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(8) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
4416-सर्वेक्षण-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-17.43	2,82.57	3,38.80	+56.23

₹ 17.43 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(x) ₹ 10.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
-----------------------------	------------------	-----------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष-

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत :

दत्तमत-

मूल	3,97,82,50			
पूरक	सांकेतिक	3,97,82,50	1,65,11,98	-2,32,70,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित

10,00

..

-10.00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,32,70.52 लाख की बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना त्रुटिपूर्ण बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 5053-02-796-102-0101-राज्य आयोजना सामान्य— 4727-वृहद् पुलों का निर्माण	12,50.00	6,71.35	-5,78.65
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4149-वृहद् पुलों का निर्माण	1,20,00.00	59,78.59	-60,21.41
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2003-04 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3710-राज्यों के राजमार्ग— मूल 50,00.00 पुनर्वि. -8,66.00	41,34.00	7,88.67	-33,45.33
₹ 8,66.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4871-“प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” के मार्गों पर पुलों का निर्माण	25.00	-53.53	-78.53
₹ 53.53 लाख का ऋणात्मक व्यय ठेकेदार से की गई वसूली को 2005-06 में अन्य निर्माण कार्य अग्रिम में इंद्राज किए जाने के कारण हुआ। शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2457-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम— मूल 94,52.00 पूरक सांकेतिक 94,52.00	94,52.00	43,12.13	-51,39.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जाति उपयोजना— 3539-मुख्य जिला सड़कें— मूल 1,20,00.00 पूरक -4,00.00	1,16,00.00	40,26.22	-75,73.78

₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5418-चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरीडोर का निर्माण-			
मूल	1.00		
पुनर्वि.	7,66.00	7,67.00	6,31.20
			-1,35.80

₹ 7,66.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्यों की प्रगति के लिए भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	51.50		
पुनर्वि.	5,00.00	5,51.50	1,57.35
			-3,94.15

₹ 5,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बकाया दायित्वों का भुगतान (₹ 4,00.00 लाख) एवं सर्वेक्षण कार्यों के भुगतान (₹ 1,00.00 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 10.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 43-खेल और युवा कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
-----------------------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष-

2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	31,27,10		
पूरक	72,23	31,99,33	15,65,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-16,33,84
			16,37,15

प्रभारित

10

..

-10

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा सितम्बर 2011 (₹ 50.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 22.23 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 72.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 16,33.84 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 16,37.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेक पूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2204-103-2323-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	2,67.10		
पुनर्वि.—	-38.64	2,28.46	2,29.24
			+0.78

₹ 38.64 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण (₹ 17.75 लाख) मकान किराया भत्ता के लिए कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त न होने (₹ 1.34 लाख), चिकित्सा दावा प्रस्तुत न किये जाने (₹ 1.92 लाख), नया वेतनमान लागू न किये जाने (₹ 0.88 लाख), देयक प्रस्तुत न किये जाने (₹ 0.65 लाख) तथा शेष ₹ 16.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2204-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7304-पंचायत युवा क्रीड़ा

और खेल अभियान—

मूल 17,18.00

पुनर्वि. -15,08.75

2,09.25

2,09.25

..

₹ 15,08.75 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3738-राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-49.23	0.77	0.77
			..

₹ 49.23 लाख की प्रत्याशित बचत खेल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित न किये जाने के कारण सूचित की गई है।

(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7296-खेल अकादमी—

मूल 50.00

पुनर्वि. -50.00

..

..

..

₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत खेल अकादमी की स्थापना न किये जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2204-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5429-युवा कल्याण कार्यक्रम-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	24.03	1,74.03	-0.61

₹ 24.03 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 25.46 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1.43 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि नये जिलों में अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने के कारण सूचित की गई। कमी जिलों से समर्पण प्राप्त होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2204-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास- स्टेडियम आदि			
मूल	75.00		
पूरक	31.23		
पुनर्वि.	56.36	1,62.59	1,62.59

₹ 56.36 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 56.42 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.06 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के प्रस्तावित किये जाने के कारण सूचित की गई। कमी जिलों से समर्पण प्राप्त होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा

मुख्य शीर्ष -	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
2202-सामान्य शिक्षा			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	3,87,49,10		
पूरक	8,96,00	3,96,45,10	2,57,19,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,39,25,27
प्रभारित	70	..	70

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 2,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 6,96.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,96.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,39,25.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-03-001-3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय	3,25.00	2,50.09	-74.91
(2) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-3753-राष्ट्रीय सेवा योजना	4,67.40	3,08.60	-1,58.80
(3) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5205-रविशंकर विश्वविश्वविद्यालय रायपुर	9,00.00	8,57.50	-42.50

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7484-बिलासपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना	1,00.00	..	-1,00.00
----------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 2202-03-103-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	2,29,04.50	1,41,79.93	-87,24.57
----------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(6) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	78,95.00	32,86.34	-46,08.66

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—			
मूल	1,30.00		
पूरक	36.00	1,66.00	1,06.00
			-60.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5715-प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कांचिंग संस्था	50.00	..	-50.00
(9) 2202-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5550-निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना	25.00	..	-25.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत ₹ 50.00 लाख ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष-			
2702-लघु सिंचाई			
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	41,14,25		
पूरक	2,85,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)	43,99,25	45,47,71	+1,48,46 2,17,08

पूंजीगत:

मूल	4,68,30,00			
पूरक	20,00,02	4,88,30,02	3,13,78,81	-1,74,51,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,10,17,25

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,48,45,568 लाख के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 1,48.46 लाख के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2011 (₹ 1,00.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1,85.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,85.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ एवं 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 2,17.08 लाख का अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2702-03-101-207- अन्य लघु सिंचाई- निर्माण कार्य-			
मूल	14,44,50		
पुनर्वि.	-31.59	14,12.91	18,84.61
			+4,71.70

₹ 31.59 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता एजेन्सियों के द्वारा लेखे प्रस्तुत न किए जाने (₹ 21.57 लाख) एवं कार्य की धीमी प्रगति (₹ 10.02 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2702-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-

5707-शाकम्बरी योजना-

मूल 12,50.00

पूरक 1,00.00

पुनर्वि. 98.77

14,48.77

14,40.17

-8.60

₹ 98.77 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.23 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि किसानों द्वारा अधिक मांग किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 45-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः

प्रति संतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2702-03-102-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य-			
मूल	65.50		
पूरक	7.00		
पुनर्वि.	-25.76	46.74	17.54
			-29.20

₹ 25.76 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 15.90 लाख) एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने एवं आबंटित कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 9.86 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2702-03-103-207-अन्य लघु

सिंचाई निर्माण कार्य-

मूल	99.25			
पूरक	1,78.00			
पुनर्वि.	-16.00	2,61.25	1,12.60	-1,48.65

₹ 16.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 15.69 लाख) एवं जल उपभोक्ता ऐजेन्सियों द्वारा लेखा प्रस्तुत न किए जाने (₹ 0.31 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2702-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-
5478-वृष्टि छाया क्षेत्र की इंदिरा
खेत गंगा योजना-

मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	-2,36.82	2,63.18	3,39.10	+75.92

₹ 2,36.82 लाख की प्रत्याशित बचत वृष्टि छाया क्षेत्रों में नल कूप खनन प्रतिबंधित होने (₹ 1,36.82 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5479-नलकूप स्थापना
के लिए अनुदान-

मूल	7,50.00			
पुनर्वि.	-5.68	7,44.32	7,48.69	+4.37

₹ 5.68 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

पूंजीगत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, ₹ 1,74,51.21 लाख के वृहद् बचत के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 20,00.01 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,00.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 1,74,51.21 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 2,10,17.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 45-जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4702-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7405-मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/पुनरोद्धार-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-9,97.19	2.81	1.53
			-1.28

₹ 9,97.19 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने (₹ 7,20.00 लाख) एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने, ऐजेन्सी निर्धारित न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 2,77.19 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण-

मूल	1,50,00.00
-----	------------

पूरक	0.01			
पुनर्वि.	-15,98.77	1,34,01.24	1,36,45.57	+2,44.33

₹ 15,98.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने, एजेन्सी निर्धारित न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-

मूल 2,20,00.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. -1,70,20.04

49,79.96

79,32.59

+29,52.63

₹ 1,70,20.04 लाख की प्रत्याशित बचत निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब एवं कार्य की धीमी प्रगति (₹ 1,68,00.00 लाख), प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने, एजेन्सी निर्धारित न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति होने (₹ 2,20.04 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

3828-लघु सिंचाई निर्माण काय-

पूरक 20,00.00

20,00.00

..

-20,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं-			
मूल	70,50.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-14,65.19	55,84.81	77,32.02
			+21,47.21

₹ 14,65.19 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने, कार्य की धीमी प्रगति होने एवं मुआवजा का भुगतान न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
4416-सर्वेक्षण-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	97.29	1,97.29	2,40.01
			+42.72

₹ 97.29 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2.71 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि लघु सिंचाई योजनाओं एवं ऐनीकट के सर्वेक्षण के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

9284-स्थापना-

मूल 8,75.00

पुनर्वि. -33.27 8,41.73 10,75.82 +2,34.09

₹ 33.27 लाख की प्रत्याशित बचत नलकूप खनन में प्रतिबंध एवं भण्डार सामग्री का क्रय न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(ix) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2011 को नामें+ जमा-	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2012 को नामें+ जमा-
(₹ लाख में)				
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	-47.83	-47.83
(ii) भण्डार	+1,86.40	+1,86.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+23.72	..	35.99	+59.71
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	+0.04
योग	+1,62.33	..	35.99	+1,98.32

अनुदान संख्या 46-विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष-			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व :			
मूल	10,90,00		
पूरक	20,00	11,10,00	4,54,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			-6,55,50 6,55,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया ₹ 20.00 लाख के अनुपूरक प्रावधान द्वारा निधियों में आवर्धन त्रुटिपूर्ण बजट को परिलक्षित करता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 3425-60-200-5433-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान-			
मूल	1,20.00		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	-20.00	1,20.00	..
(2) 3425-60-200-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना-सामान्य- 5632-स्थापना-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	-95.50	54.50	..
(3) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5433-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान-			
मूल	4,80.00		
पुनर्वि.	-3,20.00	1,60.00	..
(4) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	3,40.00		
पुनर्वि.	-2,20.00	1,20.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 20.00 लाख, ₹ 95.50 लाख, ₹ 3,20.00 लाख तथा ₹ 2,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
-----------------------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष-

2203-तकनीकी शिक्षा

2230-श्रम तथा रोजगार

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	1,38,94,20			
पूरक	0,01	1,38,94,21	92,57,55	-46,36,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				46,10,44

प्रभारित		20	..	-20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				20

पूँजीगत :

दत्तमत—		27,99,00	9,20,14	-18,78,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				18,92,12

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा,, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाती है।

(ii) ₹ 46,36.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 46,10.44 लाख का अभ्यर्ण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2203-001-1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय			
मूल	2,72.70		
पुनर्वि.	-81.75	1,90.95	2,00.03
			-9.08

₹ 81.75 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2012)।

(2) 2203-105-2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं—

मूल	26,86.00			
पुनर्वि	-3,37.57	23,48.43	23,63.22	+14.79

₹ 3,37.57 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	3,93.00		
पुनर्वि	-2,24.90	1,68.10	1,63.33
			-4.77
(4) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	6,79.00		
पुनर्वि	-3,80.56	2,98.44	2,61.68
			-36.76

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,24.90 लाख एवं ₹ 3,80.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2203-112-502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-

मूल	12,12.20			
पुनर्वि	-3,48.00	8,64.20	8,80.65	+16.45

₹ 3,48.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं संस्थानों से निधि की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2203-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

7477-तकनीकी संस्थाओं में गुणवता सुधार कार्यक्रम-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि	-4,00.00

₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(7) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-				
मूल	5,43.00			
पुनर्वि	-1,46.99	3,96.01	3,94.07	-1.94

₹ 1,46.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7341-आई.आई.आई.टी.की स्थापना-				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संस्थाओं के प्रारम्भ न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2230-02-101-9147-रोजगार कार्यालय-

मूल	5,77.60			
पुनर्वि	-1,16.12	4,61.48	4,64.82	+3.34

₹ 1,16.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(10) 2230-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8272-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता-	मूल 6,34.00		

पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-1,74.61	4,59.39	4,54.95	-4.44

₹ 1,74.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,74.61 लाख की कमी तथा ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2230-03-003-717-औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान-

मूल 28,03.40

पुनर्वि. -4,04.96 23,98.44 23,65.86 -32.58

₹ 4,04.96 लाख की प्रत्याशित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-

मूल 5,00.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. -2,07.18 2,92.82 2,74.05 -18.77

₹ 2,07.18 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,65.18 लाख की कमी तथा ₹ 58.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹ 1,67.18 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 40.00 लाख की कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-

मूल 6,39.50

पुनर्वि. -4,31.93 2,07.57 2,06.19 -1.38

₹ 4,31.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7438-स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन-

मूल 5,00.00

पुनर्वि. -4,88.05 11.95 11.95 ..

(15) 2230-03-101-8355-मिनी आई. टी. आई.

की स्थापना-

मूल 5,99.70

पुनर्वि. -2,05.81 3,93.89 3,85.11 -8.78

अनुदान संख्या 47-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(16) 2230-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6903-विश्वकर्मा योजना-			
मूल 1,00.00			
पुनर्वि. -85.38	14.62	16.33	+1.71
(17) 2230-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8355-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-			
मूल 4,56.50			

पुनर्वि.	-3,09.47	1,47.03	1,91.79	+44.76
----------	----------	---------	---------	--------

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,88.05 लाख, ₹ 2,05.81 लाख, ₹ 85.38 लाख, तथा ₹ 3,09.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :
दत्तमत-

(v) ₹ 18,78.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को ₹ 18,92.12 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	-1,01.08	5,98.92	6,10.58
			+11.66
(2) 4202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8355-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-2,88.94	11.06	11.06
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,01.08 तथा ₹ 2,88.94 लाख की प्रत्याशित बचत निविदाएं अनुमोदित न होने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-				
मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-2,03.27	96.73	96.73	..

₹ 2,03.27 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार भवन उपलब्ध न होने से सामग्री क्रय की कार्यवाही नहीं किए जाने एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 47-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8355-मिनी आई.टी.आई. की स्थापना-			
मूल	1,48.00		
पुनर्वि.	-1,01.15	46.85	46.85
			..

₹ 1,01.15 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार भवन उपलब्ध न होने से सामग्री क्रय की कार्यवाही नहीं किए जाने एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण सूचित की गई है।

(5) 4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
-------------------------------------------------------	--	--	--	--

2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	-10,00.00			

₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202-02-104-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	-1,40.43	59.57	59.57	..
(7) 4202-02-105-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)—				
502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय—				
मूल	1,50.00			
पुनर्वि.	-56.25	93.75	95.35	+1.60

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,40.43 लाख एवं ₹ 56.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2053—जिला प्रशासन			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			

- 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2205—कला एवं संस्कृति
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 3054—सड़क तथा सेतु
 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—समाजिम सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

मूल	3,18,21,00			
पूरक	34,48,37	3,52,69,37	2,64,99,31	87,70,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				61,87,60

पूंजीगत :

मूल	3,28,21,00			
पूरक	25,00	3,28,46,00	1,29,86,76	-1,98,59,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				10,06,53

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 29,48.36 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 50.01 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 4,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 34,48.37 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपयाप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 87,70.07 लाख की उपलब्ध ₹ 61,87.60 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

अनुदान संख्या 48—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2014-102-7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल	5,83.20		

पूरक	5,83.20			
पुनर्वि.	-5,83.20	5,83.20	..	-5,83.20

₹ 5,83.20 लाख, की प्रत्याशित बचत माननीय उच्च न्यायालय में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर न्याय वितरण में सुधार हेतु कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2014-103-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	10,91.20			
पूरक	10,91.20			
पुनर्वि.	-10,91.20	10,91.20	..	-10,91.20

(3) 2014-105-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	1,96.40			
पूरक	1,96.40			
पुनर्वि.	-1,96.40	1,96.40	..	-1,96.40

(4) 2014-116-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	5,65.80			
पूरक	5,65.80			
पुनर्वि.	-5,65.80	5,65.80	..	-5,65.80

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10,91.20 लाख, ₹ 1,96.40 लाख, तथा ₹ 5,65.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। मूल प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं हुआ, प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(5) 2053-800-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	54.00			
पूरक	54.00			
पुनर्वि.	-54.00	54.00	54.00	..

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(6) 2053-800-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	1,71.00		
पूरक	1,71.00		
पुनर्वि.	-1,71.00	1,71.00	1,71.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 54.00 लाख, एवं ₹ 1,71.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2053-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	2,25.00			
पूरक	2,25.00			
पुनर्वि.	-2,25.00	2,25.00	1,95.00	-30.00

₹ 2,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत नवाचार योजना के अंतर्गत आबंटन विलम्ब से प्राप्त होने एवं जिलों से निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(8) 2054-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	50.00			
पूरक	सांकेतिक	50.00	..	-50.00

(9) 2055-101-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	65.40			
पूरक	61.76	1,27.16	37.75	-89.41

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। वर्ष के दौरान व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(10) 2205-103-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जाति उपयोजना) 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
पूरक	48.00			
पुनर्वि.	-48.00

(11) 2205-103-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
पूरक	1,52.00			
पुनर्वि.	-1,52.00

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(12) 2205-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	-2,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 48.00 लाख, ₹ 1,52.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(13) 2406-01-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	14,96.82			
पूरक	1,71.00			
पुनर्वि.	-1,71.00	15,50.82	8,58.63	-6,92.19

₹ 1,71.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(14) 3454-02-800-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	3,60.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	-3,60.00

₹ 3,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 3454-02-800-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	2,18.40			
पुनर्वि.	-2,18.40

(16) 3454-02-800-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	6,91.60			
पुनर्वि.	-6,91.60

(17) 3454-02-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	9,10.00			
पुनर्वि.	-9,10.00

अनुदान संख्या 48-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,18.40 लाख, ₹ 6,91.60 लाख एवं ₹ 9,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत "आधार" कार्य संचालनालय राष्ट्रीय जनगणना को स्थानांतरित होने के कारण सूचित की गई है।

¼iv½ उपरोक्त टिप्पणी ¼iii½ में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति- संतुलित हुआ %&

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(1) 2054-800-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- पूरक	50.00	50.00	77.16	+27.16
-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2406-01-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल	19,69.49			
पूरक	2,25.00			
पुनर्वि.	-5,64.00	16,30.49	22,96.35	+6,65.86

₹ 5,64.00 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। ₹ 6,65.86 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 5,64.00 लाख का अभ्यर्पण अविवेपूर्ण था।

पूँजीगत :

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपयाप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) ₹ 1,98,59.24 लाख की उपलब्ध के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 10,06.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4059-01-051-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनूसचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	4,50.00	..	-4,50.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4059-01-051-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनूसचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	19,50.00	3,50.00	-16,00.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 4059-01-051-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल	31,00.00		
पुनर्वि.	-2,81.53	28,18.47	10,48.47

₹ 2,81.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 4202-04-106-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल	87.00			
	पुनर्वि.	-87.00
(5) 4202-04-106-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल	2,75.50			
	पुनर्वि.	-2,75.50
(6) 4202-04-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल	3,62.50			
	पुनर्वि.	-3,62.50
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 87.00 लाख, ₹ 2,75.50 लाख एवं ₹ 3,62.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।					
(7) 4210-02-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल	4,37.00			
	पुनर्वि.	-सांकेतिक	4,37.00	2,50.92	-1,86.80
(8) 4210-02-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान			5,75.00	1,67.28	-4,07.72
(9) 4210-02-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान			98.00	45.23	-52.77
अनुदान संख्या 48-समाप्त					
शीर्ष		कुल अनुदान		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(10) 4210-02-110-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान			1,20.00	44.12	-75.88
(11) 4210-02-110-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा					

	201		
के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,50.00	1,10.30	-39.70
(12) 4216-01-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	31,25.00	28,62.00	-2,63.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

(13) 4217-01-051-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,37,50.00	..	-1,37,50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

(14) 4406-01-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	4,56.00		
पूरक	10.00	4,66.00	1,73.48
			-2,92.52
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। वर्ष के दौरान व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
4210-02-101-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,38.00	2,09.10	+71.10
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 49-अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
---------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष-

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राजस्व :

मूल	39,27,30			
पूरक	2,50,00	41,77,30	38,77,20	-3,00,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				49,93

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 1,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 1,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रवृत्ति अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,00.10 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 49.93 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
□(1) 2225-01-277-1396-छात्रावास-			
मूल	13,66.50		
पूरक	1,82.00	15,48.50	13,49.75
			-1,98.75

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

□(2) 2225-01-277-8050-छात्रवृत्ति-			
मूल	14,00.00		
पुनर्वि.	-10.00	13,90.00	13,48.65
			-41.35

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	1,69,30	1,77,61	+8,31

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 8,31,216 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2053-800-2987-बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	1,69.30	1,77.61	+8.31

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष-			
2075-विविध सामान्य सेवायें			
2250-अन्य सामाजिक सेवायें			
राजस्व	5,97,30	5,47,44	-49,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां-

राजस्व :

(i) ₹ 49.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2250-103-4388-समाधियों, मंदिरों का रख रखाव और अन्य विविध भत्ते	20.00	12.00	-8.00
(2) 2250-800-2003-धर्मार्थ	30.00	10.75	-19.25
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 2250-800-3379-मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान	30.00	15.00	-15.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-50.00

सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विनियोग में निधियों का समावेश आवश्यकता की बिना जांच किए जाने के कारण परिलक्षित हुई। 2010-11 के दौरान भी निधियों की आवश्यकता का यही प्रचलन था।

(5) 2250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5805-मंदिर और धार्मिक स्थलों के पास धर्मशाला आदि का निर्माण	50.00	45.00	-5.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2250-800-259-अन्य संस्थाओं को अनुदान-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	50.00	1,00.00	99.51
			-0.49

₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
2217-शहरी विकास			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			

6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व:

मूल	11,09,00			
पूरक	1,26,00	12,35,00	7,69,41	-4,65,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				4,81,20

पूंजीगत		5,00,00	..	-5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				5,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ, यह प्रक्रिया बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 4,65.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 4,81.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 60.00 पुनर्वि. -60.00
(2) 2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 1,40.00 पुनर्वि. -1,40.00

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2235-60-789-1191-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 70.00 पुनर्वि. -70.00

₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जांजगीर एवं कर्वधा जिलों के नगर निगम का संचालन नहीं होने के कारण सूचित किए गए हैं। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- 5401-राष्ट्रीय वद्धावस्था पेंशन-				
मूल	84.00			
पूरक	63.00			
पुनर्वि.	-45.75	1,01.25	96.80	-4.45
(5) 2235-60-789-193-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- 5401-राष्ट्रीय वद्धावस्था पेंशन-				
मूल	1,26.00			
पूरक	63.00			
पुनर्वि.	-91.73	97.27	1,01.46	+4.19

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 45.75 लाख एवं ₹ 91.73 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

पूजीगत :

(iv) ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 6217-60-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	-1,50.00
(2) 6217-60-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-3,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
--	---------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष-

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

राजस्व:

मूल	51,00,00			
पूरक	9,50,00	60,50,00	56,50,00	-4,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 4,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	16,00.00	12,00.00	-4,00.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55-महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष-	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236-पोषण			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,60,81,63			
पूरक	1,20,42,72	6,81,24,36	5,39,64,17	-1,41,60,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				98,69,24

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012)

10

..

-10

10

पूँजीगत:

दत्तमत	9,45,00		11,28,00	+1,83,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान कम था, सितम्बर 2011 (₹ 49.15 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 1,19,66.87 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 26.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,20,42.72 लाख अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,41,60.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 98,69.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नान्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	2,77.75		
पूरक	17.24		
पुनर्वि.	-61.77	2,33.22	2,36.88
			+3.65
₹ 61.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 63.37 लाख की एवं ₹ 1.60 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 49.93 लाख) तथा वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई। शेष कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5354-एकीकृत सेवा योजना— (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)	32,60.50	1.43	-32,59.07

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7361-सबला योजना	4,51.00	83.19	-3,67.81
उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (2) एवं 2010-11 के दौरान (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7543-संचार रणनीति	6,40.00	..	-6,40.00

₹ 6,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-				
मूल	2,42,08.46			
पूरक	1,17,50.00			
पुनर्वि.	43,90.30	3,15,68.16	3,16,01.74	+33.58

₹ 43,90.30 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 35,88.11 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 2,66.74 लाख) एवं सामग्री कय न किये जाने (₹ 4,02.39 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 1,33.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण-				
मूल	5,18.50			
पुनर्वि.	-1,62.48	3,56.02	3,51.47	-4.55

₹ 1,62.48 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,36.12 लाख), देयकों के प्राप्त न होने (₹ 7.82 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 12.56 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 5.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2003-04 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-				
मूल	8,06.72			
पूरक	सांकेतिक	8,06.72	3,09.72	-4,97.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	-10,00.00

₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय अंशदान प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 55-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(9) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय-			
मूल	21,00.00		
पुनर्वि.	-2,38.91	18,61.09	17,61.74
			-99.35

₹ 2,38.91 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2235-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
--------------------------------------------------------	--	--	--

7301—किशोरी शक्ति योजना	1,65.00	97.23	-67.77
-------------------------	---------	-------	--------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6868—आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 1,50.00 पुनर्वि. -1,50.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----

₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना के लागू किए जाने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8681—राज्य महिला आयोग— मूल 1,14.82 पूरक 34.33 पुनर्वि. -46.10	1,03.05	1,06.25	+3.20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2011)। 2008—09 एवं 2009—10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7361—सबला योजना— मूल 13,31.34 पुनर्वि. -12,37.91	93.43	84.60	-8.83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

₹ 12,37.91 लाख की प्रत्याशित बचत बालिकाओं के लिए पौष्टिकता कार्यक्रम का प्रारंभ न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(14) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,86,00.00 पुनर्वि. -24,17.00	1,61,82.99	1,62,41.00	-58.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

₹ 24,17.00 लाख की प्रत्याशित बचत नये आंगनवाड़ी का कियान्वयन न किए जाने एवं हितग्राहियों के लिए कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6904—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	50.00	..	-50.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(16) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	6,86.00	4,01.03	-2,84.97

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2235-02-102-9042-बालवाड़ियों, शासकीय अनाथालयों तथा कुष्ठ रोगियों के लिए गृह- मूल 41.92 पूरक 3.90 पुनर्वि. 6.65	52.47	76.09	+23.62

₹ 6.65 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित गृह भाड़े के भुगतान किए जाने (₹ 1.65 लाख) एवं लंबित देयकों के भुगतान किए जाने (₹ 5.00 लाख) के कारण सूचित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	5,77.26	15,05.35	+9,28.09
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित-

(v) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

(vi) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,83,00,000 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5664-ग्रामीण क्षेत्र (सामान्य) के अन्तर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण	7,50.00	9,33.00	+1,83.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 56-ग्रामोद्योग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
-----------------------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष-

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों
पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	48,77,66			
पूरक	17,07,44	65,85,10	58,01,35	-7,83,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				4,16,74

प्रभारित—

मूल	10			
पूरक	3,47	3,57	3,57	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत :

दत्तमत		1,85,00	37,44	-1,47,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,41,97

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 7,83.75 लाख की उपलब्ध बचत के होते हुए केवल ₹ 4,16.74 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2851-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6934-एकीकृत हथकरघा विकास योजना—			
मूल	1,65.00		
पूरक	1,06.00		
पुनर्वि.	-9.87	2,61.13	2,39.18
			-21.95

₹ 9.87 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश में अधिक प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
6769-भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी
संस्थान की स्थापना—

मूल	64.30			
पुनर्वि.	-33.84	30.46	29.78	-0.68

₹ 33.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012) 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2851-104-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7485-बांस शिल्प केन्द्र की स्थापना— सुविधा केन्द्र की स्थापना—			
पूरक	5,00.00	5,00.00	1,40.00
			-3,60.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)			

(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
7469-डोंगरगढ़ में शिल्प ग्राम

की स्थापना-

मूल	50.00			
पुनर्वि.	-50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पूर्ण रूप से मण्डल को भूमि हस्तांतरित न करने के कारण सूचित की गई है।

(5) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की

योजनाओं का क्रियान्वयन-

मूल	21,84.45			
पूरक	2,78.80			
पुनर्वि.	-1,66.74	22,96.51	23,14.84	+18.33

₹ 1,66.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2851-107-5146-टसर रेशम विकास

एवं विस्तार कार्यक्रम-

मूल	8,64.00			
पूरक	57.00			
पुनर्वि.	-91.07	8,29.93	8,28.41	-1.52

₹ 91.07 लाख की प्रत्याशित बचत वृक्षा रोपण एवं रख रखाव न किए जाने (₹ 84.35 लाख) के कारण एवं जिलाधीशों से मांग प्राप्त न होने (₹ 1.52 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(7) 2851-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

5521-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-

मूल	33.20			
पुनर्वि.	-33.20

₹ 33.20 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय टसर बोर्ड से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iii) ₹ 1,47.56 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 1,41.97 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 56-समाप्त

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4851-103-0101-राज्य आयोजना सामान्य- 6769-भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

(2) 4851-107-0101-राज्य आयोजना सामान्य-

6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई

सुविधाएं एवं अन्य

निर्माण कार्य-

मूल 70.00

पुनर्वि. -41.97

28.03

28.03

..

₹ 41.97 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत कार्य के लिए जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 57-जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत-
मुख्य शीर्ष-			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	72,66,00	24,72,69	-47,93,31

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(16 एवं 31 मार्च 2012)

47,45.37

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) ₹ 47,93.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 47,45.37 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4701-80-002-1201-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7443-राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजी परियोजना-फेस-II			
मूल	5,57.10		
पुनर्वि.	-2,11.68	3,45.42	3,54.31
			+8.89

₹ 2,11.68 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 4701-80-800-1201-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना-			
मूल	39,54.00		
पुनर्वि.	-27,46.27	12,07.73	11,54.71
			-53.02

₹ 27,46.27 लाख की प्रत्याशित बचत सी. आई. डी. पी. द्वारा देयकों के प्रस्तुत न किए जाने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-101-1203-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (विशेष घटक योजना)- 5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना-			
मूल	2,12.00		
पुनर्वि.	-2,12.00
			..

₹ 2,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत देयकों के प्रस्तुत न किए जाने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(4) 4702-101-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना-			
मूल	13,12.90		
पुनर्वि.	-8,79.17	4,33.73	42.05
			-3,91.68

(5) 4702-101-1201-विदेशी सहायता
प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-
5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई
विकास परियोजना-
मूल 12,30.00
पुनर्वि. -6,96.25

5,33.75

9,21.63

+3,87.88

उपरोक्त कम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,79.17 लाख एवं ₹ 6,96.25 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्रस्तुत न किए जाने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आबंटित कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iii) उचंत लेन देन -

वर्ष के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) के नीचे की गई है।

2011-12 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2011 को नामे+ जमा-	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2012 को नामे+ जमा-
(₹ लाख में)				

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

(1) क्रय	-70.71	-70.71
(2) भण्डार	+4,26.46	+4,26.46
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,90.99	+2,90.99
(4) कार्य शाला उचन्त	+18.02	+18.02
योग	+6,64.76	+6,64.76

अनुदान संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत-

मुख्य शीर्ष-

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

राजस्व:

मूल	3,82,47,82			
पूरक	79,66,00	4,62,13,82	2,82,88,94	-1,79,24,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,74,67,75

पूँजीगत:		20,00	..	-20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				20,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 4,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 75,66.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 79,66.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,79,24.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,74,67.75 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	-2,72.38	5,27.62	6,39.45
			+1,11.83

₹ 2,72.38 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,92.38 लाख की कमी एवं ₹ 1,20.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने (₹ 17.38 लाख) एवं वृद्धि निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,75.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245-01-101-96-अग्नि पीड़ितों को राहत-				
मूल	6,00.00			
पुनर्वि.	17.08	6,17.08	4,21.22	-1,95.86

₹ 17.08 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 49.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 31.92 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण एवं कमी जिलाधीशों द्वारा आबंटित राशि का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 2245-01-102-2661-पेय जल प्रदाय-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	-12,00.00

₹ 12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने (₹ 50.00 लाख) एवं जिलों से मांग प्राप्त न होने (₹ 11,50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2245-01-103-7345-पोषण आहार-			
मूल	2,00.00		

पुनर्वि.	-2,00.00
(5) 2245-01-104-7346-चारा आपूर्ति-				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00
(6) 2245-01-105-5492-पशु धन का				
टीकाकरण टीका द्रव्य उपलब्ध				
कराने हेतु-				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	-2,00.00
(7) 2245-01-282-7347-लोक स्वास्थ्य-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख तथा ₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें-				
मूल	8,74.80			
पुनर्वि.	8,74.80

₹ 8,74.80 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2245-01-800-2389-निर्माण कार्य-				
मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	-1,97.00	6,03.00	6,03.00	..

₹ 1,97.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग के कारण सूचित की गई है।

(10) 2245-01-800-3819-लघु सिंचाई (कृषि)-				
मूल	13,00.00			
पुनर्वि.	-12,99.72	0.28	31.90	+31.62

₹ 12,99.72 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(11) 2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को सहायता-				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	-4,05.29	94.71	1,23.88	+29.17

₹ 4,05.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(12) 2245-02-102-2661-पेयजल प्रदाय -			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	-8,71.00	29.00	29.00

₹ 8,71.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने (₹ 21.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(13) 2245-02-104-7346-चारा आपूर्ति-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने (₹ 25.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2245-02-105-5492-पशुधन का टीकाकरण-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-2,96.00	4.00	3.98	-0.02

₹ 2,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2245-02-107-7349-मरम्मत-

मूल	3,99.20			
पुनर्वि.	-3,99.20

(16) 2245-02-108-7349-मरम्मत-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,99.20 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2245-02-110-2018-नगद दान-

मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-1,50.00	2,50.00	32.84	-2,17.16

₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2245-02-111-7352-शोकार्त परिवारों

को सहायक अनुदान-

मूल	14,00.00			
पुनर्वि.	-1,68.61	12,31.39	11,62.83	-68.56

₹ 1,68.61 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने (₹ 0.61 लाख) एवं जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने (₹ 1,68.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(19) 2245-02-112-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	-5,68.48	1,31.52	53.89
			-77.63

₹ 5,68.48 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने (₹ 1,67.48 लाख) एवं जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने (₹ 4,01.00 लाख) के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और असकी पुनः स्थापना—

मूल	26,00.00			
पुनर्वि.	-21,00.00	5,00.00	5,00.00	..

₹ 21,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2245-02-282-7347-लोक स्वास्थ्य—

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-96.18	3.82	3.82	..

₹ 96.18 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—

मूल	30,00.00			
पुनर्वि.	-30,00.00

₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2245-05-101-7408-राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निर्माण—

मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00

₹ 30,00.00 लाख एवं ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (22) के अंतर्गत 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2245-05-101-7427-राज्य आपदा मोचन निधि—

मूल	1,58,89.00			
पूरक	75,66.00			
पुनर्वि.	-79,46.50	1,55,08.50	1,55,10.50	+2.00

₹ 79,46.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	------------	------------------------------	-----------------

(25) 2245-05-101-7427-राज्य आपदा मोचन निधि—

मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00

₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2245-02-101-2018-नगद दान-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	27.00	6,27.00	13,84.71
			+7,57.71
₹ 27.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जिलाधीशों द्वारा निधियों की अधिक मांग किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 2245-02-106-1467-जिला एवं अन्य सड़कें-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	40,29.77	60,29.77	48,94.70
			-11,35.07
₹ 40,29.77 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 65,59.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 25,29.23 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कलेक्टरों द्वारा सड़क मरम्मत हेतु निधियों की मांग किए जाने के कारण तथा कमी कलेक्टरों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2245-02-112-5607-बाढ़ बचाव-			
मूल	13,00.00		
पुनर्वि.	-2.04	12,97.96	14,19.11
			+1,21.15
₹ 2.04 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,99.04 लाख की कमी तथा ₹ 1,97.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी कलेक्टरों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने तथा वृद्धि चाम्पा एवं रायगढ़ जिलों के जिलाधीशों द्वारा अधिक राशि की मांग किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(4) 2245-02-113-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	5,71.00		
पुनर्वि.	-3,36.00	9,07.00	9,76.21
			+69.21
₹ 3,36.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(5) 2245-02-117-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	11.46	1,11.46	1,50.22
			+38.76
₹ 11.16 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 18.54 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जांजगीर चाम्पा एवं रायगढ़ जिलों के कलेक्टरों द्वारा अधिक राशि की मांग किए जाने (₹ 18.00 लाख) एवं कमी कलेक्टरों द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 12.00 लाख की वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 58-जारी

(v) आकाल राहत निधि-

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2011 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 1,1875,869 जमा था। वर्ष के दौरान अकाल राहत निधि शीर्ष को नामे (₹ 25,38,630 ब्याज तथा ₹ 14,59,325 निवेश की वापिसी) कर ₹ 39,97,955 जमा की गई। भारत

सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गए। निधि लेखा के जमा शेष एवं 31 मार्च 2012 को निवेश निम्नानुसार है :-

विवरण	01 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष ₹	वर्ष के दौरान नामे ₹	वर्ष के दौरान जमा ₹	31 मार्च 2012 को अंतशेष ₹
1. निधि लेखा	2,51,01,907.03 जमा	..	25,38,630.00	2,76,40,537.03 जमा
2. निवेश लेखा	1,32,26,038.03 नामें	..	14,59,325.00	1,17,66,713.03 नामें
योग	1,18,75,869.00 जमा	..	39,97,955.00	1,58,73,824.00 जमा

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे 2011-12 के 18 आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि का गठन करने की स्वीकृति देती है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी प्रतिवेदन के अध्याय 11 में आपदा प्रबंधन मोचन, निधि की स्थापना की अनुशंसा की है, एवं उसक अंतर्गत होने वाले अंशदान एवं भुगतान के तरीके का निर्धारण किया है। यह अनुशंसा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32-3/2010-एन.डी.एम-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का गठन किया गया, प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आधार पर योजना की राशि का 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

केन्द्र एवं राज्य के निधियों के प्रवाह की वर्षवार तालिका निम्नानुसार है:-

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
केन्द्रांश	1,13.49	1,19.17	1,25.12	1,31.38	1,37.95	6,27.11
राज्यांश	37.83	39.72	41.71	43.79	45.98	2,09.03
कुल	1,51.32	1,58.89	1,66.83	1,75.17	1,83.93	8,36.14

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601- भारत सरकार से सहायक अनुदान-01आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121-"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245- दैवी विपत्तियों के संबंध

अनुदान संख्या 58-समाप्त

में राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि -101-आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्प्राप्तियों में समायोजित किया जाता है।

राज्य सरकार को आवश्यक है कि वह निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूति अथवा नीलामी पर खजाना देयक ब्याज मुक्त जमा एवं अनुसूचित बैंकों में जमा प्रमाण पत्रों आदि के अंतर्गत

करें। अन्यथा राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि को अर्द्ध वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ओव्हर ड्राफ्ट नियामक निर्देशावली द्वारा लागू की गई ब्याज दर को मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज-105-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि पर ब्याज में जमा करना होगा।

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1,58,23.86 लाख की राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां -112-राज्य आपदा मोचन निधि में जमा की गई एवं दैवीय विपत्तियों के कारण इस वर्ष ₹ 1,05,79.31 लाख का व्यय नामें किया गया।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2011-12 के 18 आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संब्यवहारों का विस्तृत विवरण में दर्शाया गया है।

पूँजीगत :
दत्तमत-

(vi) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	-20.00		

₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
---------------	---------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष—

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राजस्व	1,00,00	66,42	—33,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 33.58 लाख की उपलब्ध बचत के होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2515—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,00.00	66.42	—33.58

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	86,00	41,59	—44,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत:

मूल	30,50,00		
पूरक	26,00,00	56,50,00	55,31,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—1,18,18
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वर्ष के दौरान ₹ 44.41 लाख का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं किया जाना दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजना का सुदृढीकरण	86.00	41.59	—44.41

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 1,18.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
4515—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना— पूरक	26,00.00	24,98.31	—1,01.69

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

2014—न्याय प्रशासन

2055—पुलिस

2202—सामान्य शिक्षा

2203—तकनीकी शिक्षा

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

- 2215—जलपूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम और रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषाहार
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए उधार

अनुदान संख्या 64—जारी

कुल अनुदान
 या
 विनियोग

वास्तविक
 व्यय

आधिक्य+
 बचत—

(₹ हजार में)

राजस्व :

दत्तमत—

मूल

10,38,02,81

पूरक	1,24,23,51	11,62,26,32	7,64,59,76	-3,97,66,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (16,26,28 एवं 31 मार्च 2012)				3,60,47,39
प्रभारित		10	..	-10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	7,40,01,00			
पूरक	64,62,17	8,04,63,17	5,59,73,05	-2,44,90,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (16, 26, 28 एवं 31 मार्च 2012)				2,28,18,59

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 27,72.37 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 8,78.06 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 87,73.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,24,23.51 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,97,66.56 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 3,60,47.39 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना योजना विशेष घटक योजना— 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना— मूल 2,58.00 पुनर्वि. -1,12.95	1,45.05	1,47.52	+2.47

₹ 1,12.95 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 74.20 लाख), देयक प्रस्तुत न करने एवं दौरे न किए जाने (₹ 15.34 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 23.41 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2055-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना

योजना विशेष घटक योजना—

5172-नए थानों की स्थापना

मूल 3,03.00

पूरक सांकेतिक

3,03.00

2,10.42

-92.58

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— विशेष घटक योजना— 5634-कस्तूरबा गांधी			

आवासीय विद्यालय
के लिए कार्यक्रम—

मूल	3,40.00			
पुनर्वि.	-2,28.61	1,11.39	1,11.39	..

₹ 2,28.61 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना विशेष घटक योजना—

5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल.—

मूल	1,60.00			
पुनर्वि.	-89.28	70.72	70.72	..

₹ 89.28 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3493-माध्यमिक विद्यालय—

मूल	3,07.10			
पुनर्वि.	-29.60	2,77.50	2,67.35	-10.15

₹ 29.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

495-आश्रम और शालाएं—

मूल	4,72.50			
पूरक	15.00			
पुनर्वि.	-42.40	4,45.10	4,33.04	-12.06

₹ 42.40 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

5037-जूनियर प्राथमिक विद्यालय—

मूल	2,11.25			
पुनर्वि.	-1,07.27	1,03.98	80.90	-23.08

₹ 1,07.27 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-01-789-111-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना—

5396-सर्व शिक्षा अभियान—

मूल	3,00,00.00			
पुनर्वि.	-2,46,14.92	53,85.08	53,85.08	..

₹ 2,46,14.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	------------------	-----------------

(9) 2202-01-789-112-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—
विशेष घटक योजना—

5169-विद्यालयों में
मध्याह्न भोजन
कार्यक्रम-

मूल	29,08.00			
पुनर्वि.	-3,42.30	25,65.70	25,65.99	+0.29

₹ 3,42.30 लाख की प्रत्याशित बचत रसोइयों के पद रिक्त रहने (₹ 2,16.00 लाख) एवं पंजीयन के अनुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहने (₹ 1,26.30 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-01-789-112-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-

योजना विशेष घटक योजना-
6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों
में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल	11,31.00			
पुनर्वि.	-3,23.00	8,08.00	8,06.22	-1.78

₹ 3,23.00 लाख की प्रत्याशित बचत रसोइयों के रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 3,07.00 लाख) एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहने (₹ 16.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(11) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय

योजना विशेष घटक योजना-
2676-पोस्ट मैट्रिक
छात्रवृत्तियां-

मूल	8,00.00			
पूरक	50,08.90			
पुनर्वि.	-3,56.11	54,52.79	54,52.79	..

₹ 3,56.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(12) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना विशेष घटक योजना-
6794-सूचना एवं
संचार तकनीकी-

मूल	7,67.50			
पुनर्वि.	-7,67.50

₹ 7,67.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्यों के पूर्ण न होने के कारण सूचित की गई है।

(13) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना विशेष घटक योजना-
7247-राष्ट्रीय माध्यमिक
शिक्षा अभियान-

मूल	45,00.00			
पुनर्वि.	-21,71.85	23,28.15	23,28.15	..

₹ 21,71.85 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने एवं भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(14) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना-

4717-अनुसूचित जाति

छात्रावास-

मूल 17,06.90

पूरक 2,54.00

पुनर्वि. -2,07.84

17,53.06

16,31.13

-1,21.93

₹ 2,07.84 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना-

5052-सूचना शक्ति योजना-

मूल 63.00

पुनर्वि. -54.36

8.64

9.39

+0.75

₹ 54.36 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना-

6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना-

मूल 80.00

पुनर्वि. -79.52

0.48

0.48

..

₹ 79.52 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(17) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना-

798-कला, विज्ञान एवं

वाणिज्य महाविद्यालय-

मूल 11,53.80

पूरक 1,75.00

13,28.80

11,80.32

-1,48.48

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(18) 2202-80-789-800-1203-विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (विशेष घटक योजना)-

6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-

मूल 5,76.00

पुनर्वि. -4,16.83

1,59.17

1,59.18

+0.01

₹ 4,16.83 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2203-789-106-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय-

मूल 1,00.00

पुनर्वि. -42.98

57.02

55.06

-1.96

₹ 42.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत-

(20) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	1,24.00	55.84	-68.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	--------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2210-03-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय- मूल 3,87.00 पुनर्वि. 16.00	4,03.00	3,20.701	-82.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	--------

₹ 16.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(22) 2210-03-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 7,25.40 पुनर्वि. -62.75	6,62.65	3,92.77	-2,69.88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

₹ 62.75 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(23) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) - मूल 21,36.20 पुनर्वि. 4.00	21,40.20	18,04.74	-3,35.46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

₹ 4.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(24) 2215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- योजना-विशेष घटक योजना- 6998-ग्रामीण क्षेत्रों में स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय	2,00.00	1,55.62	-44.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------

₹ 51.70 लाख की प्रत्याशित बचत कय प्रक्रिया पूर्ण न किए जाने (₹ 45.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष 6.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(25) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6862-लवन जल प्रदाय- योजना- मूल 0.10 पूरक 50.00	50.10	..	-50.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(26) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों			

के लिए विशेष घटक योजना—

7316—गिरोदपुरी धाम

जल प्रदाय योजना

1,00.00

..

-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(27) 2225-01-789-800-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5631—अनुसूचित जाति

विकास प्राधिकरण—

मूल 30,00.00

पूरक 5,00.00

35,00.00

34,63.26

-36.74

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(28) 2230-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8272—गरीबी रेखा के नीचे

जीवन यापन करने वाले

शिक्षित बेरोजगारों को

बेरोजगारी भत्ता—

मूल 1,75.00

पुनर्वि. -83.44

91.56

91.86

+0.30

₹ 83.44 लाख की प्रत्याशित बचत पात्रता निर्धारण उपरांत पात्र आवेदकों की संख्या कम होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(29) 2230-03-789-003-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थाएं—

मूल 1,47.00

पुनर्वि. -76.01

70.99

54.19

-16.80

₹ 76.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2235-02-789-102-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

विशेष घटक योजना—

7361—सबला योजना

57.20

17.80

-39.40

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

विशेष घटक योजना—

9949—एकीकृत बाल

संरक्षण योजना—

मूल 2,00.00

पुनर्वि. -1,00.00

1,00.00

..

-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य+

अनुदान

व्यय

बचत—

(₹ लाख में)

- (32) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना-
6908-कार्यकर्ताओं एवं
सहायिकाओं को
मानदेय-

मूल	5,04.00			
पुनर्वि.	-69.70	4,34.30	4,16.22	-18.08

₹ 69.70 लाख की प्रत्याशित बचत नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई इस प्रकार पद रिक्त रहने के कारण मानदेय के कम भुगतान के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (33) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-
विशेष घटक योजना-
2179-अनुसूचित
जाति के लिए
विशेष पोषाहार
कार्यक्रम-

मूल	43,64.00			
पुनर्वि.	-11,60.43	32,03.57	31,95.59	-7.98

₹ 11,60.43 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायिक प्रकरण के कारण नए आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ न होने के कारण हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय किये जाने, महिला सेवा सहायता समूह को आंशिक भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (34) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-
विशेष घटक योजना-
7361-सबला योजना

3,19.52	..	-3,19.52
---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (35) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना-
9050-न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम विशेष पोषण
आहार योजना

1,34.64	81.26	-53.38
---------	-------	--------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (36) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित
योजना विशेष घटक योजना-
5411-आइसोपाम
विकास योजना-

मूल	2,37.60			
पुनर्वि.	-1.21	2,36.39	2,01.61	-34.78

₹ 1.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

- (37) 2401-789-103-0103-अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना-
6820-कृषक समग्र
विकास योजना-
मूल 2,40.00
पुनर्वि. -32.43

2,07.57 2,07.76 +0.19

₹ 32.43 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त मात्रा में गन्ने के बीज उपलब्ध न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (38) 2401-789-108-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-
अनुसूचित जातियों के लिए
विशेष घटक योजना-
7242-राष्ट्रीय कृषि
विकास योजना-
मूल 30,00.00
पुनर्वि. -6,34.88

23,65.12 23,87.83 +22.71

₹ 6,34.88 लाख की प्रत्याशित बचत आधारभूत कार्य के लिए अधिकतम राशि मार्च माह में जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (39) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित
योजना विशेष घटक योजना-
4838-मैक्रो मेनेजमेन्ट
वर्किंग प्लान-
मूल 3,44.40
पुनर्वि. -3.10

3,41.30 2,39.71 -1,01.59

₹ 3.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (40) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना-
8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना (कार्पस आफ
फण्ड)

4,20.00 2.02 -4,17.98

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

- (41) 2401-789-113-0103-अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना-
7332-बलराम कृषि
यांत्रिकीकरण
प्रोत्साहन
योजना-
मूल 2,40.00
पुनर्वि. -36.21

2,03.79 1,65.04 -38.75

₹ 36.21 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

(42) 2401-789-119-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	मूल	13,20.00			
	पुनर्वि.	-8,84.29	4,35.71	4,32.06	-3.65

₹ 8,84.29 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 2403-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना 5620-पशु रोग नियंत्रण-	पूरक	1,87.50	1,87.50	1,30.34	-57.16
---------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	---------	---------	--------

(44) 2403-789-108-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- अनुसूचित जातियों के लिए लिए विशेष घटक योजना- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			13,32.00	2,98.80	-10,33.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------	---------	-----------

(45) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-- 6723-संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास			1,00.00	65.26	-34.74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------	-------	--------

उपरोक्त क्रम संख्या (43) से (45) के शीर्षान्तर्गत बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (44) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(46) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान-	मूल	10,80.00			
	पूरक	4,78.03			
	पुनर्वि.	-4,78.03	10,80.00	10,80.00	..

₹ 4,78.03 लाख की प्रत्याशित बचत कृषकों को वितरित किए जाने वाले कृषि ऋण के निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(47) 2501-02-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-	मूल	1,80.00			
	पुनर्वि.	-51.78	1,28.22	1,28.22	..

(48) 2501-05-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 5077-एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम-	मूल	60.00			
	पुनर्वि.	-43.60	16.40	16.40	..

उपरोक्त क्रम संख्या (47) एवं (48) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 51.78 लाख एवं ₹ 43.60 लाख की प्रत्याशित केन्द्रांश के अनुसार निधि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2012)।

	अनुदान संख्या 64-जारी			
शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+	
	अनुदान	व्यय	बचत-	

(₹ लाख में)

(49) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-	मूल	36,00.00			
	पुनर्वि.	-11,84.09	24,15.91	24,07.43	-8.48

₹ 11,84.09 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने (₹ 11,29.79 लाख) एवं राज्यांश के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 54.30 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(50) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5479-नलकूप की स्थापना के लिए अनुदान-	मूल	1,80.00			
	पुनर्वि.	-71.89	1,08.11	1,07.97	-0.14

₹ 71.89 लाख की प्रत्याशित बचत नलकूप खनन में प्रतिबंध होने (₹ 21.89 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2009-10 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। शेष ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(51) 2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम-	मूल	2,85.82			
	पुनर्वि.	-2,85.80	0.02	..	-0.02

₹ 2,85.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(52) 2851-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-	मूल	3,60.00			
	पुनर्वि.	-1,09.64	2,50.36	2,50.36	..

₹ 1,09.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(53) 2851-789-104-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7485-बांस शिल्प केन्द्र की स्थापना			5,00.00	1,40.00	-3,60.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

शीर्ष	अनुदान संख्या 64-जारी	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
-------	-----------------------	---------------	------------------	-----------------

(₹ लाख में)

(54) 2851-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-				
मूल	1,53.18			
पूरक	64.02			
पुनर्वि.	-31.23	1,85.97	1,85.87	-0.10

₹ 31.23 लाख की प्रत्याशित बचत रख रखाव कार्य के लिए सामग्री क्य न किए जाने (₹ 28.06 लाख) एवं कार्यालयों से मांग प्राप्त न होने (₹ 0.75 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(55) 2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5451-अंशपूंजी सहायता योजना-				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-82.82	17.18	17.18	..

₹ 82.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(56) 2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7395-क्रेडिट गारंटी फण्ड-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00

₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के प्राप्त न होने (₹ 2,50.00 लाख) एवं भारत सरकार से नये कार्यों की स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 1,50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है।

(57) 2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत अनुदान-				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	1,82.40		
पुनर्वि.	42.75	2,25.15	4,05.83 +1,80.68

₹ 42.75 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन छठवें वेतन आयोग के लागू किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
-------	-----	----------	---------

(2) 2216-03-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—				
विशेष घटक योजना—				
6549-इंदिरा आवास योजना—				
मूल	4,15.27			
पूरक	6,77.42			
पुनर्वि.	-52.14	10,40.55	11,45.93	+1,05.38

₹ 52.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 2501-06-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—				
विशेष घटक योजना—				
8701-स्वर्ण जयंती				
ग्राम स्वरोजगार योजना—				
मूल	3,19.00			
पूरक	66.50			
पुनर्वि.	54.30	4,39.80	4,48.24	+8.44

₹ 54.30 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन राज्यांश कम अनुपात में प्राप्त होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(4) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों				
के लिए विशेष घटक योजना—				
5707-शाकंभरी परियोजना—				
मूल	3,00.00			
पूरक	25.00			
पुनर्वि.	47.45	3,72.45	3,72.45	..

₹ 47.45 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2.55 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कृषकों के मांग के अनुसार राशि कम होने एवं कमी कोषालय में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(5) 2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों				
के लिए विशेष घटक योजना—				
6501-एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान—				
मूल	7,20.00			
पूरक	38,35.00			
पुनर्वि.	2,85.80	48,40.80	48,40.80	..

पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, सितम्बर 2011 (₹ 56,97.16 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 7,65.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 64,62.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 2,44,90.12 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 2,28,18.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4202-01-789-202-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन- मूल 4,00.00 पुनर्वि. -4,00.00
₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने (₹ 2,50.00 लाख) एवं भारत सरकार द्वारा नवीन कार्यों की स्वीकृति न देने (₹ 1,50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-01-789-203-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5086-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	2,05.00	1,36.41	-68.59
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4202-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 1,53.00 पुनर्वि. -1,53.00
₹ 1,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(4) 4210-02-789-101-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना) 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-	8,21.16	..	-8,21.16
(5) 4210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-	11,62.00	4,21.77	-7,40.23
(6) 4210-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	2,42.00	1.41	-2,40.23
(7) 4210-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	80.00	0.44	-79.56

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	240 कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	2,00.00	..	-2,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(9) 4225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5507-ग्राम गिरोदपुरी में जैत खम्ब का निर्माण-	मूल 1,00.00 पूरक 19,25.00	20,25.00	14,86.64
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 71-अंध, मूक एवं बधिरों के लिए शालाएं-	मूल 50.00 पुनर्वि. -50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 4235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5564-परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	85.00	33.04	-51.96
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(12) 4425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2754-प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा/ बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूजी में धनवेष्टन-	मूल 1,00.00 पुनर्वि. -71.50	28.50	28.50
₹ 71.50 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।			
(13) 4515-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7493-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	5,00.00	65.92	-4,34.08
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(14) 4700-08-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	-7,87.60	4,12.40	4,05.68
			-6.72
₹ 7,87.60 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति होने (₹ 5,87.60 लाख) एवं भू अर्जन का भुगतान न किए जाने (₹ 2,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4700-10-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-5,29.90	4,70.10	4,70.09
			-0.01
₹ 5,29.90 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5059-एनिकट/स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल	40,00.00		
पूरक	19,00.00		
पुनर्वि.	-8,84.98	50,15.02	49,89.33
			-25.69
₹ 8,84.98 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	2,70,00.00		
पुनर्वि.	-1,85,06.08	84,93.92	1,14,82.74
			+29,88.82
₹ 1,85,06.08 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(18) 4702-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	16,01.00		
पुनर्वि.	-13,90.00	2,11.00	10,92.68
			+8,81.68
₹ 13,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(19) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4149-वृहद पुलों का निर्माण- मूल 22,00.00 पूरक सांकेतिक 22,00.00	22,00.00	19,57.52	-2,42.48

(20) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण- मूल 52,77.00 पूरक सांकेतिक 52,77.00	52,77.00	28,08.93	-24,68.07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

उपरोक्त कम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (19) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान कम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 6215-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं मूल 1,00.00 पूरक सांकेतिक 1,00.00	1,00.00	..	-1,00.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 6408-02-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6777-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्य हेतु ऋण - मूल 1,04,00.00 पूरक 7,65.00 पुनर्वि. -1,59.81	1,10,05.19	1,10,05.19	..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----

₹ 1,59.81 लाख की प्रत्याशित बचत विपणन संघ से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन- मूल 3,25.00 पूरक 5,51.00 पुनर्वि. 1,50.00	10,26.00	10,25.56	-0.44

अनुदान संख्या 64—समाप्त

₹ 1,50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अपूर्ण भवनों के पूर्ण होने एवं दरों की अनुसूची की पुनरीक्षण किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 4515-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8284-संसदीय क्षेत्र विकास योजना	5,00.00	9,22.18	+4,22.18

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(3) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 50.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. -12.06	37.94	1,30.42	+92.48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	--------

₹ 12.06 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
-----------------------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	12,20,25			
पूरक	41,50,00	53,70,25	52,30,62	-1,39,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,38,67

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	10	..		-10
				10

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,39.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 1,38.67 लाख का अभ्यर्ण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

2052-091-4043—विमानन संचालनालय—

मूल	12,20.25			
पूरक	41,50.00			
पुनर्वि.	-1,38.67	52,31.58	52,30.62	-0.96

₹ 1,38.67 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के न भरे जाने (₹ 58.47 लाख), ग्राउंडिंग हेलीकॉप्टर को अतिशीघ्र सुधार लने के कारण किराये के हेलीकॉप्टर की सेवा बंद किये जाने (₹ 31.00 लाख), राज्य में एअर बस की सेवा प्रारंभ न होने (₹ 7.60 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 0.10 लाख) तथा कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत न करने, (₹ 0.09 लाख) के कारण सूचित की गई हैं। शेष ₹ 41.41 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2004-05 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	73,24,30		
पूरक	11,38,30	84,62,60	78,63,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—5,98,95 6,49,03
पूंजीगत	1,59,80	1,57,32	—2,48 2,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 5,98.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 6,49.03 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अंतिमकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-02-107-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7285—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति—			
मूल	1,05.00		
पुनर्वि.	—65.60	39.40	40.84
(2) 2202-02-107-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7286—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति—			
मूल	59.00		
पूरक	1,87.00		
पुनर्वि.	—90.15	1,55.85	1,56.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 65.60 लाख तथा ₹ 90.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2202-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6938—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति—			
मूल	2,20.00		
पूरक	2,83.30		
पुनर्वि.	-1,14.64	3,88.66	3,88.61
			-0.05

₹ 1,14.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय—			
मूल	3,30.00		
पूरक	35.00		
पुनर्वि.	-1,73.58	1,91.42	1,86.57
			-4.85

₹ 1,73.58 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,87.32 लाख की कमी तथा ₹ 13.74 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों की मांग होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2225-03-277-3673—राज्य छात्रवृत्तियां—			
मूल	9,50.00		
पुनर्वि.	-62.00	8,88.00	8,88.00
			..

(6) 2225-03-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां—			
मूल	15,00.00		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	-92.59	19,07.41	19,62.00
			+54.59

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 62.00 लाख तथा ₹ 92.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2225-03-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6937—वायुयान पायलट प्रशिक्षण योजना—			
मूल	45.00		
पुनर्वि.	-40.81	4.19	4.19
			..

₹ 40.81 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय—			
मूल	1,25.00		
पुनर्वि.	27.07	1,52.07	1,52.07
			..

₹ 27.07 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन निधियों की मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

- 2059—लोक निर्माण कार्य
2202—सामान्य शिक्षा
2203—तकनीकी शिक्षा
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2205—कला एवं संस्कृति
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211—परिवार कल्याण
2216—आवास
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230—श्रम तथा रोजगार
2401—फसल कृषि—कर्म
2403—पशुपालन
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	3,03,87,03			
पूरक	13,87,93	3,17,74,96	2,60,02,91	-57,72,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,01
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		30,00	19,58	-10,42
				..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	3,06,77,10			
पूरक	57,77,44	3,64,54,54	1,00,80,22	-2,63,74,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				11,88
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान रहा, सितम्बर 2011 (₹ 8,67.93 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 5,20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,87.93 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) ₹ 57,72.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 2.01 लाख (बचत का 0.04%) उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन— (न्यायालय भवनों की मरम्मत)			
मूल	1,50.00		
पूरक	3,77.93	5,27.93	2,47.35
			—2,80.58
(2) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत—भवन—			
मूल	7,00.00		
पूरक	5,00.00	12,00.00	9,03.84
			—2,96.16
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2059-01-053-3387—मरम्मत—विश्राम गृह—			
मूल	3,50.00		
पूरक	सांकेतिक	3,50.00	2,96.39
			—53.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(4) 2059-01-053-3692—राज्य विधान मंडल	60.00	..	—60.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2059-01-053-4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण— मूलभूत सेवाओं के लिए	7,20.00	6,41.48	—78.52
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग	3,00.00	1,74.94	—1,25.06
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2059-01-053-7479—छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली	1,00.00	7.11	—92.89
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(8) 2059-60-053-3645—शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय भवनों का रख रखाव	4,50.00	3,85.32	—64.68
(9) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव	10,00.00	8,50.36	—1,49.64
(10) 2059-60-053-4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	2,50.00	1,86.97	—63.03

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (10) एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(11) 2059-60-053-7425-नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव	2,00.00	28.07	-1,71.93
(12) 2059-80-001-2418-निष्पादन	99,16.70	93,69.57	-5,47.13
(13) 2059-80-001-3300-मण्डल स्थापना	7,94.25	6,47.37	-1,46.88
(14) 2059-80-001-3566-मुख्यालय स्थापना	11,74.35	8,80.80	-2,93.55
(15) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300-मण्डल स्थापना	3,03.45	2,33.06	-70.39
(16) 2059-80-052-9269-मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	5,10.00	4,38.58	-71.42
(17) 2059-80-799-1051-भण्डारण	1,50.00	63.96	-86.04
(18) 2216-05-053-184-अन्य लघु कार्य	90.00	42.92	-47.08

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (13), 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (12) एवं (16) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (14) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2216-80-001-2300-निर्देशन और प्रशासन (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	23,47.10	..	-23,47.10
(20) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	2,88.57	..	-2,88.57

उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2216-80-800-4095-विशेष मरम्मतें	17,26.00	11,57.18	-5,68.82
--------------------------------------	----------	----------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	44,03.11	47,65.45	+3,62.34
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण पेशगियां	80.00	3,00.45	+2,20.45

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 67-जारी

(v) उचंत लेन देन -

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 3,64.41 लाख "2059-लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दी गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2011 को नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे (₹ लाख में)	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2012 को नामे+ जमा-
2059-लोक निर्माण कार्य-				
(i) क्रय	- 22,82.95	- 22,82.95
(ii) भण्डार	+13,58.14	63.96	..	+ 14,22.10
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 71,64.53	3,00.45	90.59	+ 74,17.84
योग	+ 62,39.72	3,64.41	90.59	+ 65,13.54

प्रभारित-

(vi) ₹ 10.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2059-80-800-1835-डिक्री धन का भुगतान	20.00	0.29	-19.71

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2216-80-800-1836-डिक्री धन का भुगतान	10.00	19.29	+9.29

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 67—जारी

पूँजीगत :
दत्तमत—

(ix) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 56,77.43 लाख) तथा दिसम्बर 2011 (₹ 1,00.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 57,77.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(x) ₹ 2,63,74.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल ₹ 11.88 लाख (बचत का लगभग 0.05 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया।

(xi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4059-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 4,07.50 पूरक 12,29.00	16,36.50	3,54.60	-12,81.90
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन	4,00.00	84.07	-3,15.93
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629—पुलिस— मूल 17,00.00 पुनर्वि. -70.00	16,30.00	3,73.45	-12,56.55
₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2716—प्रशासनिक अकादमी	87.00	..	-87.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(5) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3342—छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली— मूल 4,00.00 पुनर्वि. -2,00.00	2,00.00	..	-2,00.00
₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ ही सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 4606—मुद्रांक एवं पंजीयन	51.00	..	-51.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(7) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5049—राज्य विधान मण्डल— मूल 2,25.00 पूरक 2,75.00	5,00.00	1,95.88	-3,04.12
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण	3,00.00	1,45.95	-1,54.05
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5651-होम गार्डस परिसर में आवास निर्माण	1,00.00	9.12	-90.88
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5652- मुद्रणालय भवन का निर्माण— मूल 1,00.00 पुनर्वि. -30.00	70.00	..	-70.00
₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ ही सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7274-लोक अभियोजन	1,00.00	4.51	-95.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7466-प्रशिक्षण केन्द्र	50.00	..	-50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8040-जेल भवनों का निर्माण	4,00.00	2,70.56	-1,29.44
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 60,05.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. -50.00	59,55.01	2,33.53	-57,21.48
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(15) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 6,80.00 पूरक 1,55.77	8,35.77	6,69.37	-1,66.40
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(16) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 515-इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का निर्माण	10,21.00	-1,49.95	-11,70.95
ऋणात्मक व्यय ठेकेदार से अधिक भुगतान की वसूली के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(17) 4202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226-मूलभूत सुविधाओं के लिए स्टेडियम का विकास	10,00.00	..	-10,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(18) 4202-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226-मूलभूत सुविधाओं के लिए स्टेडियम का विकास— मूल 10,00.00 पूरक सांकेतिक 10,00.00	10,00.00	99.98	-9,00.02
(19) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144-मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत चिकित्सालय चिकित्सालय एवं औषधालय का निर्माण	10,00.00	3,72.83	-6,27.17
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4210-02-101-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	16,19.51	..	-16,19.51
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(21) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	14,34.00	1,80.72	-12,53.28
(22) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4143-मूल भूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	19,28.00	4,12.17	-15,15.83
(23) 4210-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	4,80.00	40.60	-4,39.40
(24) 4210-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136-आयुर्वेद भवन का निर्माण	10,00.00	56.87	-9,43.13
(25) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	52,80.00	15,93.97	-36,86.03
(26) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6222-न्याय प्रशासन-(स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)— मूल 2,59.00 पूरक 5,54.05	8,13.05	28.58	-7,84.47
(27) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2631-पुलिस प्रशासन—	4,00.00	1,42.28	-2,57.72
(28) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	10,00.00	8,72.40	-1,27.60

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(29) 4216-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
मूल	7,32.00		
पूरक	5.00	2,90.39	-4,46.61
	7,37.00		

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (29) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21), 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (22), (23) एवं (27) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (24), (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5560-राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र	50.00	..	-50.00
(31) 4235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7446-समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प)	5,50.00	..	-5,50.00
(32) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय	1,98.00	..	-1,98.00

उपरोक्त क्रम संख्या (30) से (32) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(33) 4250-203-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण	7,00.00	3,60.19	-3,39.81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(xii) उपरोक्त टिप्पणी (xi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य-भवन			
मूल	4,00.00		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	2,30.00	5,73.14	-76.86
	6,50.00		
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू राजस्व-कार्यालय भवन-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	70.00	1,01.01	-28.99
	1,30.00		
(3) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8071-पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	50.00	5,37.91	-12.09
	5,50.00		

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,30.00 लाख, ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्वों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत :			
मूल	1,04,92,00		
पूरक	21,56,63	1,26,48,63	69,38,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—57,09,87

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया (₹ 21,21.33 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 35.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,56.63 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा निधियों में आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ, यह त्रुटिपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(ii) ₹ 57,09.87 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित न किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4059-01-796-051-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना	8,16.00	1,36.48	—6,79.52
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-01-796-051-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—3855—लोक निर्माण—भवन			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	—1,94.00	2,06.00	7.76
			—1,98.24

₹ 1,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 4202-01-796-202-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7284—छात्रावास, आश्रम भवनों का निर्माण— मूल 3,06.00 पुनर्वि. 2,00.00	5,06.00	1,93.95	-3,12.05
₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन देयताओं के भुगतान हेतु सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(4) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	2,30.00	84.25	-1,45.75
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण— मूल 10,10.00 पुनर्वि. -2,00.00	8,10.00	6,28.87	-1,81.13
₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 4210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 395—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	69.00	..	-69.00
(7) 4210-02-796-101-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	21,21.33	..	-21,21.33
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 4,00.00 पुनर्वि. -1,00.00	3,00.00	47.13	-2,52.27
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4210-02-796-103-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1,00.00	10.65	-89.35
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 9,80.00 पुनर्वि. -5,00.00	4,80.00	4,06.62	-73.38

₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण— मूल 6,34.00 पुनर्वि. -27.00	6,07.00	4,01.78	-2,05.22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

₹ 27.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4216-01-796-106-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	6,00.00	4,39.46	-1,60.54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2631-पुलिस प्रशासन	1,00.00	..	-1,00.00
-----------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 20,00.00 पुनर्वि. -12,00.00	8,00.00	7,38.79	-61.21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------

₹ 12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4210-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय— मूल 1.00 पुनर्वि. 1,00.00	1,01.00	23.43	-77.57

शीर्ष	अनुदान संख्या 68—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
	कुल अनुदान			
(2) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय—				
मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	4,00.00	24,00.00	23,90.45	-9.55
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,00.00 लाख ₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति में भुगतान के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(3) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3070-भाड़ा गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण—				
मूल	1,06.00			
पुनर्वि.	1,00.00	2,06.00	1,86.45	-19.55
₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन देयताओं के भुगतान हेतु सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(4) 4225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण—				
मूल	5,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	12,00.00	17,00.00	10,07.15	-6,92.86
₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति में भुगतान के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।				

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
--	---------------	----------------------------------	-----------------

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व:

मूल	3,73,11,30		
पूरक	10,50,50	3,83,61,80	1,38,63,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			2,44,98,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 (₹ 5,75.99 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 27.95 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 4,46.56 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,50.50 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	----------------	---------------------------------	-----------------

(1) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सहायता)—

6741—नेशनल अरबन

रिन्यूवल मिशन—

मूल 2,45,00.00

पुनर्वि. -2,45,00.00

₹ 2,45,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(2) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6807—एकीकृत आवास

एवं मलिन बस्ती

विकास योजना—

मूल 63,00.00

पुनर्वि. -17,35.91

45,64.09

45,64.09

₹ 17,35.91 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7404—आपदा प्रबंधन

कार्यक्रम—

मूल 2,00.00

पुनर्वि. -2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र शासन से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	अनुदान संख्या 69—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
	कुल अनुदान			
(4) 2217-80-192-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6807—एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना— मूल 9,81.00 पुनर्वि. -94.65	8,86.65	8,86.65	8,86.65	..

₹ 94.65 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7404—आपदा प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 1,50.00 पुनर्वि. -1,50.00
(6) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7404—आपदा प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 50.00 पुनर्वि. -50.00

उपरोक्त कम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के प्रत्याशित बचत की प्रत्याशित बचत केन्द्र शासन से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2217-80-191-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6808—लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना— मूल 45,00.00 पुनर्वि. 22,36.46	67,36.46	67,46.46	..

₹ 22,36.46 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त किए जाने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें—			
राजस्व:			
मूल	36,52,90		
पूरक	1,52,59	38,05,49	26,11,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11, 16 एवं 24 मार्च 2012)			—11,94,00
टीका एवं टिप्पणियां			11,94,00

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,52.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6818—स्वान परियोजना—			
मूल	11,86.00		
पुनर्वि.	-4,67.00	7,19.00	7,19.00
₹ 4,67.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र शासन द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(2) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6819—चॉईस परियोजना—			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00	5,00.00	5,00.00
₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान में परियोजना में पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण सूचित की गई। 2009—10 एवं 2010—11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(3) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6894—डिजीटल शासन की स्थापना—			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-4,00.00
₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अभिकरण को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। 2007—08 से 2010—11 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			..

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	1,49,01,00		
पूरक	सांकेतिक	1,49,01,00	1,04,64,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—44,36,06
टीका एवं टिप्पणियां			39,12,75
पूंजीगत :			

(i) ₹ 44,36.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 39,12.75 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4700-05-800-0311- नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	-24,30.11	15,69.89	18,70.33
			+3,00.44
₹ 24,30.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आबंटित कार्य की धीमी प्रगति (₹ 4,30.11 लाख) एवं तंदुला परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 20,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4701-32-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल	3,41.00		
पुनर्वि.	-2,90.00	51.00	2,56.33
			+2,05.33
₹ 2,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(3) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत- मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	-14,07.07	25,92.93	33,48.54
			+7,55.61

₹ 14,07.07 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित कार्य की धीमी प्रगति तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 4702-800-0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना— निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,00.00 पुनर्वि. 1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निविदाएं आमंत्रित करने में विलम्ब एवं ऐजेन्सी का निर्धारण न किए जाने के कारण सूचित की गई।

(5) 4702-800-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना— निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 64,60.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. -2,75.57	61,84.43	48,14.36	-13,70.07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

₹ 2,75.57 लाख की प्रत्याशित बचत निधि में ₹ 10,75.57 लाख की कमी तथा ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी आबंटित कार्य की धीमी प्रगति तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 10,09.47 लाख) एवं वन भूमि के लिए अनापत्ति प्राप्त न होने (₹ 66.10 लाख) के कारण सूचित की गई। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4701-05-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना— निर्माण कार्य (नाबार्ड)— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,90.00	5,90.00	1,75.37	-4,14.63

₹ 5,90.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	1,80,00,00		
पूरक	2,00,00	1,82,00,00	57,43,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—1,24,56,44

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,24,56.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (एस.सी.एस.पी.)— 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	2,00.00	74.58	-1,25.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(2) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (टी.एस.पी.)— 5626-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	1,00,00.00	1,01,00.00	54,20.94
मूल	1,00,00.00		
पूरक	1,00.00		
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (टी.एस.पी.)— 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	2,00.00	73.71	-1,26.29
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 76—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
	कुल अनुदान			
(4) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य— 5626-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II				
मूल	70,00.00			
पूरक	75.00	70,75.00	69.01	-70,05.99
(5) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य— 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II				
		6,00.00	1,05.33	-4,94.67
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,22,47,30		
पूरक	23,37,36	2,45,84,66	1,84,95,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—60,88,67
प्रभारित		4,20	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—4,20
			..

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	45,99,00		
पूरक	15,00,00	60,99,00	42,43,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—18,55,57
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी रहा, सितम्बर 2011 (₹ 18,12.00 लाख) तथा दिसम्बर 2011 (₹ 5,25.36 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23,37.36 लाख का अनुपूरक प्रावधान द्वारा निधियों का आवर्धन त्रुटिपूर्ण बजट एवं आबंटित बजट प्रावधान के अन्तर्गत हुए व्यय पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(ii) ₹ 60,89.46 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ लाख में)	
(1) 2071-01-800-5499—सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	1,50.00		
पूरक	30.00	1,80.00	..
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			—1,80.00
(2) 2210-01-110-1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय—			
मूल	29,28.30		
पूरक	40.00	29,68.30	27,82.58
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2006-07 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			—1,85.72

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर अस्पताल मूल 13,60.70 पूरक 20.00 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।	13,80.70	12,66.11	-1,14.59
(4) 2210-01-110-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	1,82.70	..	-1,82.70
(5) 2210-02-101-4194—शासकीय आयुर्वेदिक औषधि केन्द्र और भण्डारण	3,57.80	1,84.44	-1,73.36
(6) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	2,31.00	1,78.63	-52.37
(7) 2210-02-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 9,95.70 पूरक सांकेतिक 9,95.70	9,95.70	7,01.43	-2,94.27
(8) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण और औषधालय	3,59.50	2,75.95	-83.58
(9) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (7), 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं (8) एवं 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	3,02.60	1,31.19	-1,71.41
(10) 2210-04-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	43,94.90	40,56.68	-3,38.22
(11) 2210-04-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7240—आयुर्वेदिक ग्राम	2,92.00	2,21.68	-70.32
(12) 2210-05-101-469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय	10,62.10	7,20.58	-3,41.52
(13) 2210-05-105-1352—चिकित्सा महाविद्यालय मूल 23,74.90 पूरक 3,90.00	27,64.90	25,36.15	-2,28.75
(14) 2210-05-105-1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	1,42.70	79.52	-63.18

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(15) 2210-05-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय	8,18.00	4,09.00	—4,09.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10), (12), (13) एवं (15) तथा 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2210-05-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	9,94.00	..	—9,94.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय	6,60.50	4,20.28	—2,40.22
(18) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	2,00.00	27.84	—1,72.16
(19) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय	11,82.60	9,58.04	—2,24.56
(20) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय	16,95.00	13,29.59	—3,65.41
(21) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	3,24.00	18.50	—3,05.50
(22) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा विश्वविद्यालय	3,20.00	2,20.00	—1,00.00
(23) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7328—फिजियो थेरेपी महाविद्यालय— मूल 1,30.70 पूरक सांकेतिक 1,30.70	1,30.70	57.32	—73.38
(24) 2210-06-003-2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	2,71.10	1,76.85	—94.25
(25) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	5,63.00	2,12.64	—50.36
उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17), 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (18), (19) एवं (23) एवं 2008-09 से 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (20) से (22), (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2210-04-103-4760—यूनानी चिकित्सालय	37.80	91.45	+53.65

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

प्रभारित—

(v) ₹ 4.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी रहा, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 15,00.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान से निधियों का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजट एवं आबंटित बजट प्रावधान के अन्तर्गत हुए व्यय पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(vii) ₹ 18,55.57 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय— मूल 7,94.00 पूरक 3,00.00	10,94.00	9,99.55	-94.45
(2) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय मूल 26,80.00 पूरक 12,00.00	38,80.00	26,82.00	-11,98.00
(3) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय	1,50.00	0.59	-1,49.41
(4) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	7,75.00	5,11.30	-2,63.70

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत तथा 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4210-04-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	1,50.00	..	-1,50.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत—
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	17,30,14,99			
पूरक	2,85,98,21	20,16,13,20	17,90,18,51	-2,25,94,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2012)				1,07,30,88

पूंजीगत:	22,00		15,68	-6,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				6,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 2,25,94.69 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 1,46,70.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण, दिसम्बर 2011 (₹ 1,36,78.88 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 2,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,85,98.21 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,25,94.69 लाख के अंतिम बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,07,30.88 लाख (47 प्रतिशत) का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम			
मूल	44,90.00		
पुनर्वि.	-38.50	44,51.50	41,55.50
			-2,96.00

₹ 38.50 लाख की प्रत्याशित बचत छात्रों की कम उपस्थिति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2005-06 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 2202-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6933-माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-			
मूल	23,28.00		
पुनर्वि.	-4,68.00	18,60.00	17,22.50
			-1,37.50
₹ 4,68.00 लाख की प्रत्याशित बचत रसोईयों के रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 4,19.00 लाख) एवं छात्रों की कम उपस्थिति (₹ 49.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-197-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	1,75,00.00		
पुनर्वि.	-12,28.50	1,62,71.50	1,49,14.35
			-13,57.15
(4) 2202-02-196-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	80,00.00		
पूरक	40,00.00		
पुनर्वि.	-8,31.20	1,11,68.80	89,14.06
			-22,54.74
(5) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	1,29,00.00		
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि.	-5,49.30	1,26,00.70	78,67.11
			-47,33.59
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 12,28.50 लाख, ₹ 8,31.20 लाख एवं ₹ 5,49.30 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2210-04-101-460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	10,37.80	5,07.34	-5,30.46
(7) 2215-01-198-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5504-संपूर्ण स्वच्छता अभियान	5,00.00	2,00.00	-3,00.00
(8) 2235-60-198-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	1,13,00.00		
पूरक	3,03.00	1,16,03.00	1,14,07.72
			-1,95.28
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 80-जारी		वास्तविक	आधिक्य+
	कुल	अनुदान	व्यय	बचत-
			(₹ लाख में)	
(9) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-	मूल 5,40.00 पुनर्वि. -1,00.80	4,39.20	4,13.00	-26.20
(10) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था- पेंशन-	मूल 58,00.00 पूरक 38,83.00 पुनर्वि. -20,51.03	46,31.97	75,70.69	-61.28
(11) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	मूल 17,50.00 पुनर्वि. -5,44.12	12,05.88	12,10.38	-4.50
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,00.80 लाख, ₹ 20,51.03 लाख एवं ₹ 5,44.12 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(12) 2405-101-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	मूल 3,25.00 पुनर्वि. -0.29	3,24.71	2,58.33	-66.38
₹ 0.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(13) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4970-मत्स्य पालन प्रसार मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों को अनुदान-	मूल 1,00.00 पुनर्वि. -10.00	90.00	45.00	-45.00
₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(14) 2515-101-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7489-पंचायत सचिवों के लिए आवास गृह की स्थापना-	पूरक 18,00.00	18,00.00	16,47.00	-1,53.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।				
(15) 2515-196-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 28,00.00 पूरक 8,43.40 पुनर्वि. -2,88.48	33,55.40	32,29.84	-1,25.56

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(16) 2515-196-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7019—पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि— मूल 1,90,00.00 पुनर्वि. -3,83.48	1,86,16.52	1,87,00.52	+84.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,88.00 लाख एवं ₹ 3,83.48 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत ₹ 84.00 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,43.48 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(17) 2515-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6782—छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास निधि— मूल 7,50.00 पूरक 5,00.00	12,50.00	11,63.60	-86.40
(18) 2515-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6859—ग्राम विकास योजना— मूल 7,50.00 पूरक 5,00.00	12,50.00	11,85.00	-65.00
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(19) 2515-197-7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 56,00.00 पूरक 16,86.80 पुनर्वि. -5,76.00	67,10.80	67,54.99	+44.19
(20) 2515-198-7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,96,00.00 पूरक 59,03.80 पुनर्वि. -20,16.00	2,34,87.80	2,31,35.02	-3,52.78
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत ₹ 5,76.00 लाख एवं ₹ 20,16.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत ₹ 44.19 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 5,76.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(21) 2515-198-8214—सचिवीय व्यवस्था— मूल 39,33.00 पूरक 14,58.57 पुनर्वि. -74.62	53,16.95	18,72.19	-34,44.76

₹ 74.62 लाख की प्रत्याशित बचत कांकर, कबीरधाम, राजनांदगांव एवं बीजापुर के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 80-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(22) 2515-198-8879-मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00		
(23) 2015-198-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना-			
मूल	1,00.00		
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि.	-2,50.00	1,00.00	66.25
			-33.75

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2012)।

₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(24) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	79,85.00	78,65.97	-1,19.03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2007-08 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2202-01-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओंके लिए-			
मूल	1,50,00.00		
पूरक	50,00.00		
पुनर्वि.	-12,19.56	1,87,80.44	2,04,24.02
			+16,43.58

₹ 12,19.56 लाख की प्रत्याशित जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। ₹ 16,43.58 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 12,19.56 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2515-01-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 2219-नलकूपों का रख रखाव	4,40.00	6,78.67	+2,38.67
(3) 2235-60-102-4858-इंदिरा सहारा योजना	35,00.00	36,36.03	+1,36.03
(4) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन-	3,00.00	3,68.82	+68.82

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 80—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 2515-197-8879—मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान—			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	1,30.00	1,90.00	1,77.69
			-12.31
₹ 1,30.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जनपद पंचायतों में अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2515-198-5848—ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान	1,50,00.00	1,53,03.51	+3,03.51
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

पूँजीगत :

(v) ₹ 6.32 लाख के अंतिम बचत के विरुद्ध केवल 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 6.92 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
6851-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5825—प्रोजेक्ट पैकेज हस्तकरघा			
योजनान्तर्गत उन्नत उपकरण /			
अंशपूजी / सामान्य सुविधा केन्द्र			
कार्यालय सह गोदाम			
हेतु ऋण—			
मूल	20.00		
पुनर्वि	-5.63	14.37	14.97
			+0.60

₹ 5.63 लाख की प्रत्याशित बचत बुनकर सहकारी समिति से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,23,27,30		
पूरक	98,97,27	10,22,24,57	9,80,48,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			—41,76.06
			62,86,97
प्रभारित—			
मूल	21,25,00		
पूरक	14,91,00	36,16,00	36,16,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	78,00,00	60,00.00	—18,00.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
			(i) ₹ 41,76.06 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 2011 (₹ 33,94.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 65,03.27 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 98,97.27 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
			(ii) ₹ 41,76.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 62,86.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।
			(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-01-192-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	5,40.00		
पुनर्वि.	—26.35	5,13.65	3,37.64
			—1,76.01
(2) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	—44.00	4,06.00	3,05.45
			—1,00.55

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-25.00	3,75.00	3,42.62
			-32.38
(4) 2202-02-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	-63.00	5,37.00	4,51.60
			-85.40
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 26.35 लाख, ₹ 44.00 लाख, ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 63.00 लाख की बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-05-191-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	39,98.00		
पूरक	12,63.00		
पुनर्वि.	-20,41.40	32,19.60	41,92.00
			+9,72.40
(6) 2217-05-192-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	13,34.00		
पूरक	4,21.12		
पुनर्वि.	-4,86.14	12,68.98	6,36.92
			-6,32.06
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 20,41.40 लाख एवं ₹ 4,86.14 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5866-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान	8,00.00	7,19.69	-80.31
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं हैं (जुलाई 2012)।			
(8) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00
₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(9) 2217-05-193-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	13,32.00		
पूरक	4,20.88		
पुनर्वि.	-8,75.46	8,77.42	5,37.08
			-3,40.34
₹ 8,75.46 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2010-11 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2217-05-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत न किये जाने के कारण सूचित की गई है।			
(11) 2217-80-191-7409—नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का क्षमता प्रशिक्षण—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-80.16	19.84	19.84
			..
(12) 2217-80-191-7418—शहरी स्वच्छता कार्यक्रम—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-50.88	49.12	49.12
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत ₹ 80.16 लाख एवं ₹ 50.88 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-60-192-4858—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल	3,60.00		
पुनर्वि.	-22.72	3,37.28	3,05.53
			-31.75
(14) 2235-60-192-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल	9,00.00		
पूरक	46.00		
पुनर्वि.	-1,94.92	7,51.08	7,53.81
			+2.73
(15) 2235-60-192-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—			
मूल	5,25.00		
पूरक	2,36.00		
पुनर्वि.	-3,24.36	4,36.64	4,53.13
			+16.49

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(16) 2235-60-192-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	1,83.00		
पुनर्वि.	-1,11.37	71.63	-3.36
(17) 2235-60-193-4858-इंदिरा सहारा योजना-			
मूल	5,40.00		
पुनर्वि.	-2,14.85	3,25.15	+41.71
उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 22.72 लाख ₹ 1,94.92 लाख ₹ 3,24.36 लाख ₹ 1,11.37 लाख एवं ₹ 2,14.85 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(18) 2235-60-193-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	13,50.00		
पूरक	58.00		
पुनर्वि.	-4,93.88	9,14.12	+32.79
₹ 4,93.88 लाख की की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(19) 2235-60-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य-			
5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	7,87.50		
पूरक	2,85.00		
पुनर्वि.	-4,91.99	5,80.51	+71.42
(20) 2235-60-193-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य-			
7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	2,74.50		
पुनर्वि.	-1,73.64	1,00.86	+31.64
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,91.99 लाख एवं ₹ 1,73.64 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2202-01-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	3,60.00		
पुनर्वि.	-10.00	3,50.00	+1,07.14

₹ 10.00 लाख की की प्रत्याशित बचत राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। अधिक व्यय होते हुए ₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण है।

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5866-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को मूलभूत सेनाओं के लिए एक मुश्त अनुदान	10,00.00	10,80.31	-80.31
(3) 2235-60-191-4858-इंदिरा सहारा योजना	3,00.00	6,73.99	+3,73.99
(4) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 7,50.00 पूरक 64.00	8,14.00	19,91.72	+11,77.72
(5) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 4,37.50 पूरक 6,00.00	10,37.50	15,56.04	+5,18.54
(6) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य— 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 1,52.50	1,52.50	2,81.80	+1,29.30

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(v) ₹ 18,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी निकायों का आधारभूत विकास— मूल 6,00.00 पुनर्वि. -6,00.00
(2) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी निकायों का आधारभूत विकास— मूल 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00
(3) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 9,00.00 पुनर्वि. -9,00.00
(4) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी निकायों का आधारभूत विकास— मूल 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 6217-60-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 6,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 9,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्थानीय निकायों को ऋण स्वीकृत न किये जाने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत—

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2403—पशु-पालन

2405—मछली-पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ

राजस्व :

मूल 9,55,11,95

पूरक 1,73,11,00

11,28,22,95

10,42,87,87

—85,35,08

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

85,34,85

(31 मार्च 2012)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 85,35.08 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध ₹ 85,34.85 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1392—छात्रवृत्तियां और वृत्तियां			
मूल	10,65.00		
पुनर्वि.	-17.82	10,47.18	10,23.05
			-24.13

₹ 17.82 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(2) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह

भोजन कार्यक्रम—

मूल 1,32,00.00

पुनर्वि. -12,93.23

1,19,06.77

1,19,24.14

+17.37

₹ 12,93.23 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2008-09 से 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(3) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6933- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 46,00.00 पूरक 2,50.00 पुनर्वि. -1,68.67	46,81.33	47,34.58	+53.25
₹ 1,68.67 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए- मूल 1,70,60.00 पूरक 99,40.00 पुनर्वि. -36,31.83	2,33,68.17	2,33,69.05	+0.88
₹ 36,31.83 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों की मांग न किए जाने (₹ 1,67.71 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 34,64.12 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(5) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए- मूल 1,00,75.00 पूरक 24,25.00 पुनर्वि. -6,51.93	1,18,48.07	1,17,25.93	-1,22.14
₹ 6,51.93 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			
(6) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना- पूरक 3,40.00 पुनर्वि. -95.90	2,44.10	2,59.30	+15.20
(7) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- मूल 36,00.00 पूरक 22,26.00 पुनर्वि. -16,98.99	41,27.01	43,24.83	+1,97.82

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 95.90 लाख ₹ 16,98.99 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार व्यय किये जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 82-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- पूरक 9,00.00 पुनर्वि. -1,03.91	7,96.09	7,05.55	-90.54

₹ 1,03.91 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार व्यय किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(9) 2515-796-196-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि- मूल 3,40,00.00 पुनर्वि. -6,45.62	3,33,54.38	3,33,54.38	..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----

₹ 6,45.62 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(10) 2515-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6782-छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना- मूल 5,70.00 पुनर्वि. 3,80.00	9,50.00	8,67.60	-82.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------

बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(11) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना- मूल 76.00 पूरक 1,90.00 पुनर्वि. -1,90.00	76.00	76.00	..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----

₹ 1,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2949-बालिकाओं का गणवेश- मूल 13,42.70 पुनर्वि. 1,66.25	15,08.95	15,08.95	..

₹ 1,66.25 लाख के पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,67.71 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.46 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिलों से निधियों की मांग प्राप्त होने एवं कमी जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	1,25.00	1,49.61	+24.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।			

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
मूल	22,35,00		
पूरक	2,26,00	24,61,00	—2,43,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			3,73,82

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,26.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,43.33 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2012 को किया ₹ 3,73.82 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जन जाति उपयोजना)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— पूरक	75.00		
पुनर्वि.	—63.38	11.62	—2.82
(2) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जन जाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल	93.00		
पूरक	56.00		
पुनर्वि.	—32.40	1,16.60	1,18.88
(3) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जन जाति उपयोजना)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— पूरक	90.00		
पुनर्वि.	—56.01	33.99	46.72

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 32.40 लाख एवं ₹ 56.01 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था— पेंशन—			
मूल	1,39.50		
पूरक	97.00		
पुनर्वि.	-64.86	1,71.64	1,56.99
			-14.65

₹ 64.86 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(5) 2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—			
पूरक	1,35.00		
पुनर्वि.	-1,01.09	33.91	37.77
			+3.86

₹ 1,01.09 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—			
मूल	77.50		
पूरक	73.00		
पुनर्वि.	-6.25	1,44.25	2,63.33
			+1,19.08

₹ 6.25 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 12 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक+ / कमी -
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
10. वन—			
राजस्व—			
दत्तमत	18,00,00	17,99,07	-93
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	55,85,00	77,80,00	+21,95,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी—			
राजस्व—			
दत्तमत	15,00,00	26,64,01	+11,64,01
23. जल संसाधन विभाग—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,19,42,20	49,35	-1,18,92,85
पूंजीगत—			
दत्तमत	10,00	11,26	+1,26
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	55,00,00	55,00,00	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—			
राजस्व—			
दत्तमत	41,83,80	44,80,00	+2,96,20
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	..	35,99	+35,99
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,88,89,00	1,05,79,31	-83,09,69
पूंजीगत—			
दत्तमत	20,00	..	-20,00

परिशिष्ट-I-समाप्त

1	2	3	4	
	(₹ हजार में)			
64.	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	13,46,20	13,45,00	—1,20
67.	लोक निर्माण कार्य—भवन—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,07,47,40	26,19	—81,28,10
	पूँजीगत—			
	दत्तमत	45,01,13	..	—45,01,13
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	40,00,00	40,00,00	..
योग—				
राजस्व—				
	दत्तमत	5,99,93,60	3,53,16,04	—2,46,77,56
पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,07,56,58	55,47,25	52,09,33
महायोग—				
	राजस्व	5,99,93,60	3,53,16,04	—2,46,77,56
	पूँजीगत	1,07,56,58	55,47,25	52,09,33

परिशिष्ट-II

मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण:-

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+अनुपूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अन्तरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ हजार में)				

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में कोई भी राशि अंतरित नहीं की गई है ।

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
2012